Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का ६२वां दिवस [संख्या ५९

सोमवार, दिनांक १८ मई, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर २० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल, इटावा के विद्यार्थियों का निष्कासन.

१६०३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपल्दा-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल, इटावा (कोटा) के हैड मास्टर द्वारा जुलाई से अब तक लगभग १५० विद्यार्थी स्कूल से निकाले जा चुके हैं ?

(ख) यदि हां, तो हाई स्कूल में जुलाई के अन्त में उपस्थिति क्या थी, इस समय क्या है तथा उनमें से कितने छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि अधिकांश पाठ्य पुस्तकें अभी समाप्त नहीं हो पाई हैं ?

(घ) क्या इसीलिए बाहर के छात्रों को बोर्डिंग हाउस में रहने के लिये बाध्य किया गया तथा असमर्थ छात्रों को स्कूल से निकाला गया ?

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि लगभग १॥ माह पूर्व अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों में यह भ्रम फैलाया गया कि ६० प्रतिशत से जिनकी हाज़िरी कम है उन्हें परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं दिया जावेगा और अमुक अमुक छात्र इसके अन्तर्गत आते हैं जिसके फलस्वरुप ५०-५५ विद्यार्थी स्कूल छोड़ बैठे ?

(च) क्या यह भी सही है कि विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का कारण विद्यार्थियों को बुरी तरह से पीटा जाना तथा उपस्थित होते हुए भी एबसेन्ट लगा देना था ?

(छ) क्या यह भी सत्य है कि डॉक्टर इटावा के लड़के को, जिसकी १६ मीटिंग कम थी परीक्षा में बैठने के लिये रियायत दी गई, १५ मीटिंग्स की सब विद्यार्थियों को रियायत दी गई ?

(ज) क्या तहसीलदार, इटावा के लड़कों को भी नियम विरुद्ध परीक्षा में बैठाया गया ?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(झ) यदि हां, तो कुछ समय पूर्व निकाले गये छात्रों में से ऐसे कितने छात्र थे जो डॉक्टर एवं तहसीलदार के लड़कों को दी गई रियायत के अन्तर्गत परीक्षा में बैठ सकते थे ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी नहीं ।

(ख) हाई स्कूल में जुलाई के अन्त में लडकों की २६६ संख्या थी । इस समय २६७ है । परीक्षा से पूर्व १३ छात्रों ने अपनी इच्छा से स्कूल छोड़ा । केवल २१३ छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं ।

(ग) अधिकांश पाठ्य पुस्तकें समाप्त हो चुकी है । केवल वही पुस्तकें समाप्त नहीं की जा सकी जो अपर्याप्त थीं या बहुत देर से प्राप्त हुई ।

(घ) बोर्डिंग हाउस में रहने के प्रश्न पर एक भी छात्र ने स्कूल नहीं छोड़ा है । बोर्डिंग हाउस में रहने के लिए छात्रों से जोर देकर कहा ज़रूर गया था क्योंकि ऐसी शिक्षा विभाग के कोड की धारा है । उचित संरक्षण के बिना छात्रों का गांव में रहना न केवल उसके जीवन और व्यवहार को खराब करना है वरन शिक्षा की दृष्टि से उनके जीवन को खराब करना है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) जी नहीं ।

(छ) जी नहीं ।

(ज) जी नहीं ।

(झ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या शिक्षा विभाग से इस प्रकार के आदेश हुए थे कि ६० प्रतिशत की बजाय ७५ प्रतिशत हाजरी हो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, इस वर्ष इस बात के लिये इजाज़त दी थी ।

श्री रामनारायण वर्मा : क्या हैड-मास्टर इटावा ने इस आज्ञा का पालन किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोई शिकायत नहीं है तो मैं मानता हूँ किया ही है ।

श्री रामनारायण वर्मा : डॉक्टर के लड़के को १५ दिन की छुट्टी दी गई है वह किस आधार पर दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रूल्स रेगुलेशन्स के आधार पर जितनी देने की छूट है उतनी दे सकते हैं ।

प्रश्न संख्या १६०४

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६०५

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ।

Page No.3

भूदान यज्ञ में दी गई भूमि

१६०६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितनी कितनी भूमि भूदान यज्ञ में किस किसने और कब दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) जो भूमि भूदान यज्ञ में दी गई है उस भूमि का वितरण किस किस को हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम): (क) राजस्थान में मार्च १६५६ के अन्त तक कुल ४, ३३, ७११ एकड़ भूमि ८६४६ दाताओं द्वारा भूदान में दी गई है । इसमें से ८५,०७६ एकड़ भूमि ६८६४ व्यक्तियों को वितरण की गई है जिसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) राजस्थान में किस किस व्यक्ति ने कितनी जमीन कब कब और कहां कहां दी तथा उस भूमि का वितरण किस किस को हुआ इसकी सूचियां बहुत विस्तृत हैं अतएव समयाभाव के कारण तैयार नहीं हो सकी है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : जो भूमि आज तक वितरित नहीं हो सकी है, उसका क्या उपयोग हो रहा है ? जो भूमि ग्राम दान में बांट कर दें, इतने साल हुए क्या उपयोग हुआ ? लोग ले नहीं रहे हैं या वितरण नहीं किया गया है ?

श्री सम्पतराम : उसका वितरण करने की कार्यवाही हो रही है ।

श्री मूलचन्द डागा : राजकीय शासन विभाग से तो हो नहीं सकता, भूदान के कार्यकर्त्ताओं द्वारा होगा ।

श्री सम्पतराम : भूदान कार्यकर्त्ताओं के द्वारा ही हो रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि वह भूमि बेकार है ?

श्री सम्पतराम : पूरा सबके बारे में नहीं कह सकता । पर हां, जो भूमि मिली है उसमें हो सकता है कि खराब भी हो ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जो भूमि भूदान द्वारा वितरण की गई है, क्या उसका लगान वसूल किया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : लगान वसूल होना ही चाहिये ।

श्री तेजाराम गहलोत : जिनको जमीन दी गई है क्या उन लोगों को उस भूमि पर खातेदारी राइट्स हासिल हो गये हैं ?

श्री सम्पतराम : जो जमीन भूदान द्वारा दी जाती है उनके लिये भूदान एक्ट में रुल्स प्रोविजन हैं कि खातेदारी पॉवर्स इमिजियेटली दी जाती हैं । काश्त करने के पूरे अधिकार हैं, सारे अधिकार इस कानून में दर्ज हैं । गिरदावरी में उसका नाम दर्ज होता है ।

श्री मूलचन्द डागा : अब तक भूमि काश्त की गई है उसमें उन लोगों के नाम दर्ज नहीं किये गये हैं ।

श्री सम्पतराम : आप ऐसे केसेज बतायेंगे तो इसके लिये कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बी. टी. सी एवं पी. टी. सी अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड का वितरण

१६०७. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला जयपुर के बी. टी. सी एवं पी. टी. सी. अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड की एरियर की रकम मिल चुकी है ?

(ख) उपरोक्त रकम जिन अध्यापकों को नहीं मिली है उन्हें कब तक मिल जाएगी ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) बी. टी. सी. अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड की एरियर की रकम नहीं मिली है। पी. टी. सी अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जाता है।

(ख) मामला तय हो जाने पर मिल जावेगी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक तय हो जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं जल्दी ही हो जायगा। एरियर्स रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चुकाये जायें इसके लिये ए. जी. का ऑब्जेक्शन है, लिखा पढ़ी हो रही है।

प्रश्न संख्या १६०८

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६०९

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६१०

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

करोली में खानों के ठेके

१६११. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) करोली में खानों के ठेके किस ठेकेदार के नाम हैं और कब से ? उनकी अवधि कब समाप्त हो रही है ?

(ख) क्या सरकार उनकी अवधि बढ़ाना चाहती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार वहां के श्रमिकों को सहकारिता के आधार पर उसके हिस्से करके उनको देने की व्यवस्था का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, खनिज विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) पूर्व करोली राज्य से तिवारी भूमरलाल स्वरूपलाल के नाम पूरी करोली स्टेट का पत्थर संग का ठेका दिया हुआ था जिसकी मियाद ता० ३१-३-५६ को समाप्त हो गई है।

Page No.5

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(ख) जी। सिर्फ कुछ हिस्से का रिन्यूवल दिया गया है क्योंकि यह फर्म काफी पुरानी व अनुभवी है व उसमें उसका काफी इन्वेस्टमेन्ट है और राज्य की रकम का भी समय पर चुकारा होता है तथा स्थायी कर्मचारी आदि भी नियुक्त है तथा कार्य सन्तोषजनक रहा है।

(ग) खनिज रियायत अधिनियम के अन्तर्गत बाकी बचा हुआ हिस्सा दिये जाने की कार्यवाही चल रही है। सहकारी समिति भी कार्यवाही कर सकती है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या उन्हें मोनोपोली स्टेट द्वारा दी हुई थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, यह सारा इलाका करोली स्टेट के समय में उनको पास था।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने उसको बढ़ाया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : १२०० स्क्वायर मील था, अब केवल ३५-३६ स्क्वायर माइल का दिया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : ऑक्शन किया गया या रिन्यू किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो रुल्स में आता था, उसके अन्दर था कि एक आदमी काम करता था तो उसको डिस्प्लेस किया जाय यह ठीक नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : मोनोपोली तो सर्टन पीरियड के लिये थी पर गवर्नमेंट ने इसको ऑक्शन क्यों नहीं किया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : He had a right of renewal.

श्री श्रीभानसिंह : मोनोपोली को खत्म करने की नीति है वह यहां क्यों नहीं अपनाई?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मोनोपोली समाप्त हो चुकी। इसलिये मोनोपोली का सवाल नहीं रहता। lease is not a monopoly ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Why did you not have the auction.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Not necessary. There are various methods under the Rules and lease can be granted and renewal is also allowed.

श्री पी० के० चौधरी : It is not the question. The question is whether it was beneficial or not ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : One person only to ask the question.

श्री पी० के० चौधरी : No, it is not the question. The question is whether it was in the public interest so that the Government could have more revenues.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Under the Rules if a renewal is prescribed, a party is entitled to exercise that right.

श्री पी० के० चौधरी : Mr. Speaker Sir, he is not replying to my question which is a bit different. I asked him...

Page No.6

श्री श्रीभानसिंह् : Yes, Certainly he has not replied.

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): मैं इस बात को क्लेरीफाई कर दूं। जहां तक माइन्स को ऑक्शन करने का प्रश्न है, जनरल पॉलिसी यह रही है कि जिसके पास लीज है और कार्य सुचारू रूप से बिना किसी रूल्स या शर्तों के अवहेलना की कार्य कर रहा है तो उसको ऑक्शन नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत सी बातें रहती हैं। वह उस माइन्स को इम्प्रूव करता है। मिनरल कन्सेशन रूल्स में ऑक्शन का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह् : यह मिनरल में लागू हो सकता है, स्टोन क्वेरीज़ में क्या डेवेलपमेंट करता है !

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Minor Mineral Concession rules no doubt have such a provision, but these Rules are on the basis of the Mineral Concession Rules. The Central Government has also directed that the State is granting Concessions and hence auctionshould be avoided.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : Is it obligatory upon the Government to renew...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yee, It is obligatory under the Rules when the lease has to exercise the option.

श्री श्रीभानसिंह् : The House would like to know what type of development was envisaged when the lease was renewed.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There are various places in Rajasthan where quality differ from place to place.

श्री पी. के. चौधरी : Whether any condition has been laid down under the agreement.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : In fact the agreement was made between Karoli State and the party. May I know to which condition the Hon'ble member refers. I cannot give the conditions off hand.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह् (डूडू) : ऐसा मालूम होता है कि सदन की कार्यवाही जल्दी ही समाप्त होने वाली है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें गवर्नमेंट को एसेम्बली में इसका जवाब देना चाहिये। क्वेरीज़ और माइन्स में बहुत फर्क है और जब सब चीजों की मोनोपोली खत्म हो चुकी है तो फिर इसकी क्यों रहे।

श्री अध्यक्ष : मोनोपोली का सवाल नहीं है। २००० से ज्यादा वर्ग मील...

श्री श्रीभानसिंह् : क्या यह ऑब्लिगेट्री है ?

श्री पी० के० चौधरी : My question was whether that agreement was made by the State Government or ..

श्री अध्यक्ष : He says he cannot tell off hand, what are the provisions of the agreement or...

Page No.7

श्री पी. के. चौधरी : When he has said that for the development of the Mines...

श्री अध्यक्ष : But he has replied your question. He cannot tell it offhand.

श्री पी० के० चौधरी : Is it under the Covenanting State Governments' agreement ? All these agreements were entered into before and they are not binding on the successor State.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I do not think it is correct.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब बेनिफिट हुआ है तो लीज़ बढ़ा कर दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The discretion lies with the Government.

श्री श्रीभानसिंह : The Government may allow but it is not obligatory.

श्री अध्यक्ष : It was in the interest of the State to do so. The discretion has been rightly and judiciously exercised.

श्री पी० के० चौधरी : If it is in the interest of the State, I would like to know whether this lease has materially benefitted in the form of pecuniary or...

श्री अध्यक्ष : That is one and the same thing.

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It has benefitted the state. The dead rent has been doubled almost and the rate of royalty has also been practically doubled.

श्री श्रीभानसिंह : What were the..

श्री अध्यक्ष : I say next question, please.

भारत सरकार का राजस्थान सरकार पर ऋण

१६१२. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :
(१) भारत सरकार का राजस्थान सरकार पर कुल कितना ऋण कब से बकाया है और वह ऋण किस समय किस किस काम के लिये लिया गया था ? सूची दीजियेगा ।

(२) क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उस ऋण का भुगतान राजस्थान सरकार किस तरीके पर कर रही है और आज तक कितने ऋण का भुगतान कर चुकी है ?

उप-मन्त्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचंद धारीवाल) :

(१) दिनांक २८-२-५६ को राजस्थान सरकार पर केन्द्रीय सरकार से प्राप्त रुपया ६७६६. ६३ लाख का ऋण बकाया था । यह ऋण जिस २ वर्ष में तथा जिस २ कार्य के लिये लिया गया था उसका जो संचरण २८-२-५६ को शेष रहा उसकी सूची संलग्न है ।

Page No.8

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(२) सन् १९५६-५७ तक ऋण का भुगतान जैसे जैसे देय हुआ कर दिया गया इसके पश्चात् अल्प कालीन ऋण, व्याजमुक्त ऋण, सहायता व पुनर्वास ऋण विस्थापितों से प्राप्त होने की सीमा तक और भाखरा नागल परियोजना निर्माण कार्य के हेतु प्राप्त ऋण-सुधार प्रभार (बेटरमेंट लेवी) की वसूली तक तथा भाखरा क्षेत्र में भूमि विक्रय आमदनी की सीमा तक का ही प्रतिशोधन किया जाता है। आज तक राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को रु० ७३३.९८ लाख का ऋण भुगतान कर दिया है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी ऋण द्वितीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार १५-२० वर्ष बाद देय है वह विषय अभी भारत सरकार के विचाराधीन है और इसके फैसले का इन्तज़ार है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस गृह निर्माण के लिये सरकार ने लाखों रुपये लिये है क्या इन्वेस्ट करते हैं या आमदनी होती है....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो प्लान की स्कीम के अनुसार लोन लिया जाता है।

श्री मूलचन्द डागा : किन कामों के लिये लोन लेते हैं ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह तो सूची में दिया है।

श्री अध्यक्ष : जिन कामों के लिये उनके पास पैसे नहीं होते और जहां से मिल सकते हैं।

नेक्स्ट।

जोधपुर डिवीजन में सन् १९४७-४८ में दी गई जागीरें

१६१३. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने को कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर डिवीज़न में सन् १९४७–१९४८ में बहुत जागीरें दी गई ? अगर हां, तो उन गांवों की सूची दें।

(२) उन जागीरों में दिये गए गांवों में से किन किन गांवों में पटवारियों के रहने या उनके ऑफिस के मकान सरकारी थे ?

(३) क्या उन जागीर परवाना में उन पटवारखानों के बाबत भी कोई आदेश था ? अगर हां, तो किन किन ग्रान्ट्स में यह आदेश थे व क्या थे ?

(४) क्या यह सही है कि उन सब गांवों के ये सरकारी मकान जो बरवख्त खालसा पटवारखाना थे, जागीरदारों द्वारा बेच दिये गये हैं ?

(५) क्या उन सब पटवारखानों को, जिनको जागीरदार को ग्रान्ट करने के कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी के आदेश न होते हुए भी जागीरदार ने अपने कब्जे में कर लिये या बेच दिये हैं, को वापिस लेने की कार्यवाही राज्य सरकार करेगी ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) :

(१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(३) ग्राम से प्रदान परवानों में पटवारखानों सम्बन्धी कोई आदेश नहीं था। भूतपूर्व जोधपुर राज्य में प्रचलित प्रथा यह थी कि जब कोई ग्राम जागीर में प्रदान किया जाता तो उस ग्राम के राज्य अधिकार भवन सम्पत्ति जागीरदार के ही हो जाते थे जब कि कुछ विरुद्ध अंकित नहीं होता था।

(४) जी हां। कुछ क्षेत्र बेच दिये गये।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल

१६१४. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister incharge of Sports and Athletics be pleased to state :

Is it correct that the Rajasthan Sports Council proposes to build a Stadium in Jaipur? if so, what are the exact proposals of the Council in this respect ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): Yes, The Council had approached the Maharaja of Jaipur to donate the entire land in front of his Rambagh Palace for a Stadium to be built at Jaipur. The matter is still under negotiation and has not yet been finalisrd. When finalised it is proposed to build a Stadium with the help of funds received from the Government of India (All India Sports Council), Government of Rajasthan and other donations. The matter has not yet been finalised and as such no further light could be thrown.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that under the covenanting Agreement, it was a specific condition that Jaipur Maharaja should give a suitable place opposite Ram Bagh Palace ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I have given sufficient information and it would be better if further discussions are not held.

श्री पी० के० चौधरी : Is it correct that he is giving a plot for 7 acres ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That is exactly the dispute and for this negotiations are going on.

श्री पी० के० चौधरी : It was envisaged in the Covenanting States agreement that plots are not sub-divided for selling it to the people for residential quarters.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I have already mentioned that it will not be

helpful at this stage when negotiations are going on.

श्री पां० के० चौधरी : Will the Hon'ble Minister consider that these plots are not used for commercial purposes ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : We are conscious about all the points raised by the Hon'ble Member and we will try our best that this land is given to the Stadium and it is not used for commercial purposes.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १६१५.

श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

तहसील सराड खैरवाडा व सलूम्बर के अभाव ग्रस्त गांव

६११६. **श्री देवीलाल** (सराडा-सु०) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील सराडा-खैरवाड़ा व सलूम्बर में संवत् २०१२-१३-१४-१५ की खरीफ में कौन कौन से ग्राम अकाल ग्रस्त घोषित किये गये ? उन गांवों में फसल का कितना नुकसान हुआ ? छूट प्रति गांवों में कितनी कितनी दी गई, सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें।

(२) ... है कि जिन गांवों में छूट दी गई थी उनका भी लगान पूरा ब्याज सहित वसूल किया गया ?

उपमंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम)

(१) तहसील सराड़ा खैरवाड़ा व सलूम्बर में सं. २०१२-१३-१४-१५ की खरीफ़ में निम्न गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये थे :

संख्या	तहसील	संख्या ग्राम जो अकाल ग्रस्त घोषित कियेगये २०१२	२०१३	२०१४	२०१५	नुकसान
१.	सराड़ा	६२	७७	१०८		८ आने से १६ आने।
२.	खैरवाड़ा	२६	२१	१७६		८ आने से १६ आ.
३.	सलूम्बर	–	–	१६६		८ आने से १६ आ.

जिन गांवों में जितनी छूट दी गई है, उसकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) यह सही नहीं है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील में जो लगान की छूट दी गई उसको वसूल किया गया ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं। रूल्स के

Page No.11

(श्री सम्पतराम)

मुताबिक जिनको छूट दी गई वह वसूल नहीं की गई।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है कि सराडा तहसील में जो लगान की रकम है वह ब्याज सहित वसूल की गई है ?

श्री सम्पतराम : जिस रकम को नियमानुसार जमा कराना चाहिये था वह जमा नहीं कराने पर ब्याज सहित ली गई होगी लेकिन जिनका सस्पेन्ड या रेमिशन किया गया है उनका दुबारा वसूल करने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री लक्ष्मण हीरात : अगर वसूल करली गई और वह मामला सरकार के सामने लाया जाय तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सम्पतराम : उसको रिफन्ड कर देगी या आगे के ड्यूज में एडजस्ट कर लेगी।

श्री लक्ष्मण हीरात : खैरवाड़ा तहसील में अभी इसी तरह का वसूल किया गया जिसका केस चल रहा है, आपके पास भी आया होगा।

श्री सम्पतराम : खैरवाड़ा के बारे में आप स्पेसिफिकली बता रहे हैं तो मैं जांच कर लूंगा। लेकिन जहां तक मुझे पता है इस प्रकार से कोई रकम वसूल नहीं की गई।

श्री लक्ष्मण हीरात : आपको यदि रसीदें बतायी जायं तो क्या आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री सम्पतराम : रसीदें बताने का प्रश्न नहीं है। आप सदन में जो कह रहे हैं उसी आधार पर जांच कर लेंगे।

प्रश्न संख्या १६१७

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल

(अनुपस्थित)

श्री मनरूपराम परिहार

ग्राम खींवाड़ा, तहसील देसूरी का स्कूल भवन

१६१८. **श्री मनरूपराम परिहार** : (खारची-सु०) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि गांव खींवाड़ा, तहसील देसूरी का स्कूल भवन निर्माण में देसूरी विकास खंड द्वारा धनराशि दी गई है ? यदि हाँ, तो कितनी रकम, और जनता की कितनी रकम लगी ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त स्कूल भवन निर्माण के ठेके का टेन्डर काल नहीं किया गया और एक व्यक्ति को ठेका दे दिया गया ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम):
(क) जी हां। विकास खंड द्वारा ४००० रू. की धन राशि दी गई। जन सहयोग द्वारा ६२१० रू० की राशि प्राप्त हुई व पंचायत कोष से १००० रू. लगाये गये।

(ख) सरकारी अनुदान इस कार्य के लिये पंचायत को दिया गया और स्कूल भवन उन्होंने ही बनाया, इसलिये सरकारी तौर पर टेन्डर बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.12

श्री मनरूपराम परिहार : इस प्रश्न के चार आइटम थे, दो का ही उत्तर दिया गया बाकी का जवाब नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : बाकी को डिसअलाउ किया गया ।

बीमा विभाग के कार्यालय का समय

१६१६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि बीमा विभाग के कर्मचारियों को निर्धारित समय के अतिरिक्त भी कार्यालय में आकर अर्धरात्रि तक व अवकाश के दिन भी आकर कार्य करने को विवश किया जाता है ?

उप-मंत्री, वित्त विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जी नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि बीमा विभाग में जो क्लब है वहां के डायरेक्टर और अन्य कर्मचारीगण दिन भर तो नाटक आदि में व्यस्त रहते हैं और जो काम बाकी रह जाता है उसके लिये दूसरे लोगों को विवश किया जाता है ज्यादा देर तक ठहर कर वे काम करें ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी बात नहीं है जितना काम एक कर्मचारी को करना चाहिये उतना ही काम उसको दिया जाता है। यदि वह कर्मचारी ऑफिस आवर्स में उतना काम खत्म नहीं कर पाता तो कुछ देर तक वह रुक जाता है और जो अधूरा काम रहता है उसको कर देता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि वहां के कर्मचारी निर्धारित समय पर निर्धारित काम करने के अलावा भी ज्यादा समय रुक कर काम करते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा है कि जितना काम एक कर्मचारी को करना चाहिए उतना निर्धारित है वह । यदि उतने समय में काम खत्म नहीं कर पाता है तो अपने काम को खत्म करने के लिए ऑफिस आवर्स के बाद भी बैठकर करता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या बीमा विभाग के कर्मचारी के लिए यह निश्चित् है कि उसको इतना काम करना चाहिये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, ऐसा फॉर्मुला बना रखा है, लेकिन जो काम ऑफिस आवर्स में खत्म नहीं कर सकते कुछ समय बाद में रुक कर उसको खत्म कर देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : निर्धारित समय पर निर्धारित काम को खत्म नहीं करना क्या यह गवर्नमेंट ऑफिसियल की इनएफीशियेन्सी नही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसको इनएफीशियेन्सी नहीं कहा जा सकता । यह सही है कि जितना काम एक कर्मचारी को करना चाहिए वह यदि समय पर नहीं कर पाता है तो ऑफिस आवर्स के बाद घंटा आध घंटा ज्यादा रुक कर अपने काम को खत्म करता है तो यह उसकी इनएफीशियेन्सी नहीं बल्कि यह तो उसकी कर्तव्यपरायणता है कि वह ज्यादा समय देकर भी अपने सौंपे हुए काम को करता है । ऐसा भी हो सकता है बीमारी की वजह से वह काम पूरा नहीं

Page No.13

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

कर पाया हो या किसी काम को ठीक प्रकार से समझ न सका हो ऐसे कामों में कुछ देरी लग सकती है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार एक कर्मचारी के बीमार हो जाने के बाद भी उनका काम उसी से करवाती है । उसके लिये एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं रखती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बीमारी से यह मतलब नहीं कि वह काम को डिस्पोज़ ऑफ बिल्कुल न कर सके, ऐसी हालत हो सकती है कि जितना काम उसको करना चाहिये वह नहीं कर पाता वैसी हालत में विभाग की ओर से इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं कि वह ऑफिस आवर्स के बाद भी उस काम को करे लेकिन जो करना चाहता है वह कर सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि विभाग की ओर से इस प्रकार का निर्धारित नहीं किया हुआ है कि अमुक समय के अन्दर अमुक काम इतना कर लेना चाहिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विभाग की ओर से यह एवरेज वर्क निर्धारित है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : वर्क का भार इतना है कि सारे के सारे कर्मचारियों को रुक कर काम करना पड़ता है पहले से ही काम का पर्सेन्टेज इतना है कि रुक कर काम करना पड़ता है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल इतना ही है कि जो काम निर्धारित कर रखा है वह निर्धारित समय में पूरा नहीं हो सकता विभाग की ओर से इस प्रकार का निर्णय लिया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऑर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड है उसी के अनुसार काम का निर्धारण किया गया है । एक घंटे के अन्दर कितना काम हो सकता है उसी के आधार पर तय किया हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में जांच की गई और उनकी ऐसी राय है कि जो कार्य का निर्धारण किया गया है वह काम उतने समय में नहीं हो पाता, इसलिए वहां के कर्मचारियों को अधिक समय तक बैठ कर काम करना पड़ता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई जानकारी नहीं लेकिन जहां तक काम का सवाल है वह ऐसा है कि जो व्यक्ति समय के अन्दर काम नहीं कर पाता वह कुछ समय के लिए बाद में बैठ कर उस काम को करता है, यह कोई हमेशा की बात नहीं है कभी कभी ऐसा होता है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या दूसरे विभागों में भी यही नीति अपनायी जाती है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि नाटक आदि में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण वहां के कर्मचारियों को ज्यादा समय तक रुक कर काम करना पड़ता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसे कोई नाटक नहीं होते ।

कोटडा तहसील के विकास खंड में श्रमदान

१६२०. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विकास अधिकारी, कोटडा के वहां की परिस्थिति को देखते हुए श्रमदान कम करने सम्बन्धी कोई सुझाव आये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कार्यान्वित किया जायगा ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) :

(क) जी हां।

(ख) वह विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मण हीरात : कब से विचाराधीन है ?

श्री सम्पतराम : जल्दी ही फैसला होने वाला है। श्रमदान का पर्सेन्टेज कम करने की बात थी। फाइनेन्स डिपार्टमेंट से डिस्कश हो चुका है कुछ और डिस्कशन बाकी है वह भी जल्दी ही कर लिया जायगा।

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह माना जाय १६५६ के अन्त तक यह फाइनल हो जायगा ?

श्री सम्पतराम : माने या न मानें जितना जल्दी कर सकते हैं किया जायगा।

बाली तहसील में जागीरदारों के गलत तस्दीक किये गये दावे

१६२१. श्री मोतीबाबा (बाली-श्री बेनाराम गहलोत द्वारा (खारची) पूछा गया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या पाली ज़िले में बाली के तहसीलदार के विरुद्ध जागीरदारों के मुआवजों के दावे गलत तस्दीक करने की शिकायत पेश हुई है ?

(ख) क्या यह सही है कि तहसीलदार बाली ने जागीरदार बोया, जागीरदार लालराई, जागीरदार बिसलपुर के दावों में घास की आय को भी सम्मिलित कर दिया है जब कि घास का जोड खुदकाश्त में दर्ज है और फिर भी उसका मुआवज़ा माली आय में तस्दीक कर दिया है ?

(ग) क्या यह सही है कि तहसीलदार, बाली ने उन लाग बागों जो जो कि माफ हो चुकी है, उनकी आय भी उनके मुआवजों की रकम को आय में जोड़ दी है ?

(घ) क्या यह सही है कि तहसीलदार, बाली ने भीटवाड़ा आदि कई जागीरों के दावे रेकॉर्ड में आमदनी दर्ज न होते हुए भी बिना जांच जैसी आय जागीरदारों ने बताई उसको तस्दीक कर दिया ?

(ङ) इस प्रकार जागीरदारों के दावे गलत तस्दीक कर सरकारी खज़ाने में नुकसान पहुंचाने के अपराध में उक्त तहसीलदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, इन जागीरों के दावे में घास की आय जागीरदारों के रेकॉर्ड से तस्दीक की है जब कि बोड जिससे कि वह आय होती है खुदकाश्त में दर्ज होना पाया गया है।

(श्री सम्पतराम)

(ग) जी हां, खरडा इत्यादि लाग की आय जागीरदारों के रेकॉर्ड के आधार पर तस्दीक की गई है।

(घ) जागीर भीटवाड़ा के जागीरदार ने जो रेकॉर्ड पेश किया उसी के आधार पर तहसीलदार ने आय तस्दीक की।

(ङ) जी हां मामला विचाराधीन है।

श्री बेनाराम गहलोत : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री सम्पतराम : ४।११।५८ से।

मैसर्स जयपुर डेवेलपमेंट सिन्डीकेट को सोप स्टोन का ठेका

१६२२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सही है कि मैसर्स जयपुर मिनरल्स डेवेलपमेंट सिन्डीकेट, जयपुर को सोप स्टोन का डगोता झरना, और दौसा में १८ वर्गमील में काम करने का लीज़ मिला हुआ है ?

(ख) क्या यह सही है कि अब यह एरिया १८ वर्गमील से घटा कर १३ वर्गमील का कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

(ग) क्या यह सही है कि मिनरल कन्सेशन रूल्स और माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अन्तर्गत १३ वर्गमील का एरिया भी एक लीज होल्डर के पास नहीं रह सकता ? यदि हां, तो इस फर्म के पास इतना क्यों है ?

(घ) इस फर्म पर किस किस वर्ष की कितनी कितनी बकाया है और वह निर्धारित समय पर वसूल क्यों नहीं की जा सकी ? कृपया कारणों सहित तालिका सदन की मेज़ पर रक्खें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब, इन्फोर्मेशन पूरी नहीं आ सकी है इसलिये आगे टर्न पर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ इन्फोर्मेशन है वही दे दें।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं कम्पलीट इन्फोर्मेशन के बगैर नहीं देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : जितने इन्कम्पलीट आप हैं उतना ही जवाब दे दें।

(हंसी)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं इन्कम्पलीट जवाब नहीं देना चाहता।

श्री भैरोंसिंह : चाहना, नहीं चाहना आपके हाथ में नहीं है। यह तय तो हाउस को करना पड़ेगा। कल सैशन एडजोर्न हो जावेगा। आपकी जवाब देने की टर्न आवेगी नहीं और इस तरह आप चाहते हैं चार महीने बाद में टर्न आवे तब जवाब दें और तब तक लीज होल्डर को जो कुछ फ़ायदा वह उठा रहा है, वह उठाने दें। आप यह चाहते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के वक्त भी यह सवाल उठाया गया था और इस

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

सम्बन्ध में इन्फोर्मेशन हाउस में पहले भी दी जा चुकी है। यह सवाल फिर पूछा गया है पर इसमें कुछ सूची मांगते थे उसकी इन्फोर्मेशन हमारे पास में इकट्ठी नहीं हो सकी है। अब हाउस एडजोर्न होने वाला है यह अन्फोरचुनेट है कि आपका सवाल आज आया।

श्री भैरोंसिंह : यह कहना तो बिल्कुल गलत है कि इन्फोर्मेशन नहीं मिली है। सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स के वक्त प्रश्न उठाया गया पर उत्तर बिल्कुल अन्सेटिसफैक्टरी था। बल्कि यह कहना चाहिये कि तथ्यों के विपरीत था। यदि वे यह समझते हैं कि उन्होंने सप्लीमेंटरी ग्रान्ट के वक्त उत्तर दिया था तो इससे उनको इस प्रश्न की जानकारी तो है ऐसा समझना चाहिये, तो वे सेटिसफेक्टरी उत्तर दे दें। आगे टर्न पर पोस्टपोन करने की बात क्यों कहते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इस वास्ते कि आपको पूरा सेटिसफाई करना चाहता हूँ और फुल इन्फोर्मेशन के साथ सेटिसफाई करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : फुल न सही, आपकी नॉलेज तो है इसका यह मतलब हुआ उसी के अनुसार आप जवाब अभी दे दें। बाकी जवाब बाद में दे देना। जितना आपको नॉलेज है उतना तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी आवेगी तो आपके पास भेज दी जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Is he sure that he shall continue upto the next session ? How can he assure that he will continue till the next Session ?

श्री भैरोंसिंह : यह जवाब कब मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : जब आ जावेगा तब। डिटेल मालूम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही।

श्री भैरोंसिंह : हाउस तो एडजोर्न हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : फिर भी आपको उत्तर भेज देंगे।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भेजे देंगे साहब।

प्रश्न संख्या १६२३

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

गढ़मोरां तहसील नादोती में मिडिल स्कूल

१६२४. श्री पृथ्वीराज पटेल (गंगापुर-सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या सरकार को विदित है कि ग्राम गढ़मोरा, तहसील नादोती की जनता द्वारा मिडिल स्कूल के वास्ते १२ कमरे बनवा दिये जाने पर भी वहां पर मिडिल स्कूल अभी तक नहीं खोला गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि वहां की स्कूल में १५० लड़के पढ़ते हैं और गांव की आबादी २५०० की है ?

(श्री पृथ्वीराज पटेल)

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर मिडिल स्कूल खोलने का प्रबन्ध करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) छात्र संख्या १५० है और जनसंख्या १२७२ है ।

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर और जिला विकास समिति की सिफारिश होने पर दूसरी शालाओं के साथ साथ इसको भी मिडिल स्कूल बनाने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा ।

प्रश्न संख्या १६२५

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला बादल' ।

(अनुपस्थित)

बालिका विद्यालय, किशनगढ़

१६२६. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किशनगढ़ नगर में बालिकाओं के लिए सिर्फ एक ही कन्या विद्यालय है ?

(ख) क्या इस कन्या विद्यालय में मदनगंज से भी, जो इस विद्यालय से करीब १।।। मील दूर है, बालिकाएं पढ़ने आती हैं ?

(ग) अगर हां, तो क्या सरकार ने इन बालिकाओं के लिये बस की व्यवस्था कर रखी है ?

(घ) अगर नहीं, तो क्या सरकार बस की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अभी बस की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(घ) इस वर्ष और बसों की चेसिस बनवाने का सरकार ने निश्चय किया है । ये बसें जयपुर रेंज के गर्ल्स स्कूलों को दी जावेंगी । इसलिये अन्य गर्ल्स हाई स्कूलों के साथ किशनगढ़ गर्ल्स हाई स्कूल को बस देने का प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मिनिस्टर साहब विचार करेंगे । वहां स्कूल एक हो है और मदनगंज से ...इसलिये अवश्य....

(हंसी)

पटवारी, कोटार के विरूद्ध रिश्वत की शिकायत

१६२७. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या पटवारी, कोटार, तहसील बाली के खिलाफ ग्राम बेलार, कोटार की जनता ने

(श्री बेनाराम गहलोत)

रिश्वत की शिकायत पेश की ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : जी हां । जांच की जा रही है और पटवारी की बदली कर दी गई है ।

श्री बेनाराम गहलोत : जांच कौन कर रहा है ?

श्री सम्पतराम : तहसीलदार कर रहा है ।

प्राइमरी स्कूल, हरिजन बस्ती, हसनपुरा

१६२८. डॉ० **चन्द्रकला** (किशनपोल बाज़ार जयपुर—डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) पूछा द्वारा गया) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) हरिजन बस्ती, हसनपुरा, जयपुर में प्राइमरी स्कूल कब से चल रहा है ? इसमें कक्षावार छात्र संख्या क्या है ?

(२) क्या यह सच है कि मकान के अभाव के कारण ही यहां की छात्र संख्या नहीं बढ़ पाती है ?

(३) स्कूल के पास कितना मकान और कितनी ज़मीन है ? क्या वह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोनों का विस्तार करने की व्यवस्था करेगी ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) दिनांक १०।७।५० से, कक्षा १ में ४, कक्षा २ में १५, और कक्षा ३ में चार छात्र हैं । कुल छात्र संख्या २३ है ।

(२) जी नहीं ।

(३) एक कमरा है । स्कूल का भवन निर्माण ६० फीट बाई ४० फीट के एक प्लॉट में किया गया है । छात्रों की संख्या को देखते हुई यह पर्याप्त है ।

प्रश्न संख्या १६२६

श्री अध्यक्ष : श्री मोडूलाल ।

(अनुपस्थित)

तहसील नोखा में चरागाह

१६३०. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील नोखा (ज़िला बीकानेर) के किस किस गांव में चरागाह मुकर्रर नहीं किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज़ पर रक्खें ।

(ख) उपरोक्त गांव में शीघ्र चरागाह मुकर्रर कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही ?

उप-मंत्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (क) १०२ गांव में चरागाह मुकर्रर नहीं किये गये हैं । सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(ख) जिलाधीश बीकानेर ने तहसीलदारों

Page No.19

(श्री सम्पतराम)

को राजस्थान काश्तकारी नियम, १६५६ की धारा ६ के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी करते हुए आदेश दिये हैं कि चरागाह के लिये भूमि नियत करने के लिये एस. डी. ओ. के जरिये प्रस्ताव भेजें।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री गिरधारीलाल : यह ज़िलाधीश महोदय ने विज्ञप्ति कब जारी की ?

श्री सम्पतराम : यह तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : तारीख नहीं है तो सप्लीमेन्टरी पूछ कैसे सकते हैं ?

श्री सम्पतराम : मैं निश्चित तौर से कहता हूँ कि विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इससे आपका मतलब सप्लीमेन्टरी करने का पूरा हो जाता है। अब तारीख से न भी हुई तो कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है।

श्री गिरधारीलाल : अन्दाज़ से बता दीजिये, महीना बता दीजिये।

श्री सम्पतराम : साल, तारीख टाइम कितने घंटे पर दी गई, यह सब बता दूंगा।

ग्राम महमदगढ़ की एक अध्यापकीय स्कूल के अध्यापक का डेपूटेशन पर भेजा जाना

१६३१. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम महमदगढ़, तहसील उनियारा में एक अध्यापकीय स्कूल है ? अगर हां, तो कब से और विद्यार्थियों की क्या संख्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त अध्यापक को किसी दूसरी जगह डेपूटेशन पर भेज दिया गया है ? अगर हां, तो कब से और अब उस स्कूल में कौन अध्यापक पढ़ाता है ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां। वह टांक स्टेट के समय से हैं और विद्यार्थियों की संख्या १५ है।

(ख) जी हां, सितम्बर सन् १६५७ से डेपूटेशन पर भेज दिया गया है। अब श्री वृद्धिचन्द्र उस स्कूल में पढ़ाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो वृद्धिचन्द्र को मुस्तकिल कर दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं भी रहे, तो उससे हर्ज को क्या बात है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह नहीं रहता है, इसलिए संख्या बढ़ती नहीं है। इधर के उधर भागे भागे फिरते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वृद्धिचन्द्र रह कर आपके सहयोग से उसको आगे बढ़ावेंगे।

Page No.20

हिंडोली विकास खण्ड के ग्राम सेवक व ग्राम सेविका

१६३२. श्री भंवरलाल शर्मा (हिन्डोली): क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) हिन्डोली (ज़िला बूंदी) विकास खण्ड में कितने ग्राम सेवक है व ग्राम सेविकाएं नियुक्त हैं ? किस ग्राम सेवक का हैड क्वार्टर किस ग्राम में है ? सूची सदन की मेज़ पर रक्खें ।

(२) इनके लिये गांवों में रहने के मकान का क्या प्रबन्ध है ?

उप-मन्त्री, योजना विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) उनके लिये मकानों की व्यवस्था की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

पटवारियान तफा किशनगढ़ के विरुद्ध शिकायत

१६०४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : क्या राजस्व-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पटवारियान तफा किशनगढ़ व तहसील किशनगढ़, ज़िला अजमेर के खिलाफ, रिश्वतखोरी व गरीब काश्तकारान को अनुचित तरीके से तंग करने आदि की निवासीगणान काश्तकारान किशनगढ़ की तरफ से सरकार के पास शिकायतें पेश हुई है ?

(२) यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मन्त्री, राजस्व विभाग (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां । सिर्फ पटवारियान तफा किशनगढ़ के खिलाफ शिकायत हुई थी ।

(२) शिकायतें तो जांच करने पर सही नहीं पाई गई, परन्तु वैसे ही लम्बे अर्से से एक स्थान पर रहने वाले पटवारियों के तबादले किये जा चुके हैं जिसमें किशनगढ़ तफा का पटवारी भी शामिल है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच किससे करवाई ?

श्री सम्पतराम : यह एस. डी. ओ. और तहसीलदार ने की है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस जांच के दौरान में जिन लोगों ने शिकायत की, क्या यह सही है कि उन लोगों के बयान नहीं लिये गये ?

श्री सम्पतराम : स्थिति यह है कि जिन लोगों के शिकायत पर हस्ताक्षर थे, उसमें उनके पते नहीं लिखे गये थे । फिर भी तलाश करने पर जिन जिन का पता लगा, उनके बयान जांच के दरमियान लिये गये ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री अनोपसिंह ।

Page No.21

सरकारी बीड़ों में चारे का स्टोर

१६०८. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकारी बीड़ों में चारे का स्टोर किया जाता है ? यदि हां, तो ज़िलेवार उसकी तादाद क्या है ?

(ख) क्या इस स्टोर में से चारा बेचा भी जाता है ? यदि हां, तो सन् ५५ से अब तक किस दर से व कब कब बेचा गया ?

(ग) अब कुल स्टॉक में चारा कितना मौजूद है ?

उप-मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(१) हां, सरकारी बीड़ों में चारे का स्टोर किया जाता है। ज़िलेवार सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(२) हां, स्टोर में से चारा बेचा भी जाता है। सन् ५५ से अब तक जो चारा बेचा गया, उसकी सूची सदन की मेज़ पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(३) अब तक स्टॉक में २२२८३४ मन चारा मौजूद है।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अनोपसिंह : क्या इन बीड़ों में पैदा हुए चारे को नीलाम भी किया जाता है ?

श्री सम्पतराम : आम तौर से स्टोर किया जाता है क्योंकि कोई नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है तो उसको मीट करने की आवश्यकता होती है पर स्पेशल सरकमस्टान्सेज़ में नीलाम भी किया जा सकता है।

श्री अनोपसिंह : वहां की स्थिति को देखते हुए मेरे ख्याल से पूरा का पूरा स्टोर करना चाहिये, बजाय नीलाम करने के, क्या वहां की अकाल की स्थिति को देखते हुए सरकार इसको उचित नहीं समझती ?

श्री सम्पतराम ; इस बारे में तो श्योर हूं कि स्टोर करके ही रक्खा जाता है। आम तौर से नीलाम नहीं होता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों की बात दूसरी है। ६६ पर्सेंट स्टोर ही किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि स्टोर का इयरली फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है।

श्री सम्पतराम : जहां आवश्यकता होती है वहां किया जाता है। जहां आवश्यकता नहीं होती वहां नहीं किया जाता।

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि इतने मन घास है। यह किसी बेसिस पर आप कहते हैं ? या तो ईयरली फिज़िकल वेरीफिकेशन होता होगा जिसमें से टोटल में से कन्ज़म्पशन को माइनस करके जो बैलेन्स रहता हो उसको आप बताते होंगे, नहीं तो यह बैलेन्स आप किस बेसिस पर कहते हैं ?

श्री सम्पतराम : अन्दाज़न होता है। जितना बिकता है उसको निकाल कर बाकी का इतना हमारे स्टॉक में है, यह कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह माना जावे फिर कि जो जो घास का खर्चा होगा उसको माइनस करके जो बैलेन्स रहा वह बता दिया है।

श्री सम्पतराम : मानने न मानने का सवाल अलग है। तोल कर भेज देते हैं पर जिस समय स्टोर करते हैं तो यह ज़रूरी नहीं कि उसे तोल कर उस ज़गह पर रक्खें। पर जितना अन्दाज़ होता है उस पर जितना बाहर बेचते हैं या भेजते हैं उतना डिडेक्ट करके देख लेते हैं कि इतना रहा है। जहां जब भेजने की ज़रूरत होती है तभी तोलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह बताया कि तोल कर स्टोर नहीं करते अन्दाज़ से करते है, इन दोनों में से कौन सही है ?

श्री सम्पतराम : इतने डिटेल्स की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन यह बताया कि आम तौर से भेजा जाता है तब तोल कर भेजा जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब घास स्टोर किया जाता है तब तोल कर किया जाता है या अन्दाज से ?

श्री सम्पतराम : किस स्टोर से आपका मतलब है ? जब पर्चेज़ करके स्टोर करते हैं तब से या कब से ?

श्री भैरोंसिंह : जो स्टॉक बताया गया, स्टोर किया गया जिस समय तोल कर किया था और जो बाकी बचा उसको भी आपने तुलवा लिया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आना चाहिये। मन्त्रीजी ने बताया कि इतना बैलेन्स रहा तो क्या उन्होंने बैलेन्स को तुलवाया है ?

श्री अध्यक्ष : वे कहते है डिटेल्स उनके पास नहीं है।

श्री अनोपसिंह : क्या यह सही है कि आल के समय आवश्यकता को मीट करने के लिये आपको यू. पी. से घास मंगानी पड़ी ?

श्री सम्पतराम : मेरे ख्याल से यू.पी. से नहीं आई।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या आपको मालूम है कि घास तोला नहीं जाता है ?

श्री सम्पतराम : मैंने डेफिनेट इन्फोर्मेशन हाउस में नहीं दी है। मेरा अन्दाज़ था वह बताया। यदि डिटेल्ड इन्फोर्मेशन की आवश्यकता हो तो जानकारी दी जा सकती है।

श्री अनोपसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां की घास को तो आप बेचते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो यू. पी. से मंगाते हैं, क्या यह सही है ?

श्री सम्पतराम : मैंने यह नहीं कहा कि यू. पी. से मंगाया, लेकिन यदि जरूरत हो तो बंगाल और दूसरे स्थानों से भी मंगाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि पिछले वर्ष यू. पी. से घास नहीं मंगाया गया ?

श्री अध्यक्ष : मंगाया गया ।

श्री अनोपसिंह : जब कि आपके यहां ग्रास मौजूद था उसको बेच कर बाहर से मंगाने से क्या मतलब था ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सदस्यों को मालूम है कि १६५१–५२ में सारे इलाके में अकाल था और ग्रास की कमी थी इसलिये यू. पी. से मंगाना पड़ा । जब आवश्यकता होती है तो बाहर से मंगाना पड़ता है ।

श्री मदनसिंह दांता : घी बेच कर तेल खाते हैं।

श्री अनोपसिंह : क्या लास्ट ईयर मंगाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित)

जिला गंगानगर में अतिवृष्टि तथा आग लगने से ध्वस्त घरों के लिये सरकारी सहायता

१६१५. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर में अतिवृष्टि तथा आग लगने से ध्वस्त कितने हरिजनों के घरों को समाज कल्याण विभाग से कितनी २ सहायता दी गई ?

(ख) क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री महोदय ने श्री गंगानगर की उस हरिजन बस्ती को खुद मौके पर जाकर देखा ?

(ग) क्या हनुमानगढ़ टाउन में हरनामसिंह हरिजन का घर जल जाने के प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया है ? यदि हां, तो उसे क्या सहायता प्रदान की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई । इस साल ही एक सामूहिक प्रतिवेदन आया है जिसकी जांच की जा रही है ।

(ख) जी हां, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) श्री हरनामसिंह हरिजन को उसके घर जल जाने से उसे २२५ रु० की सहायता दी गई ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : सामूहिक प्रतिवेदन कब आया ? आपने भाग (१) के उत्तर में कहा है....

श्री अध्यक्ष : आप हमेशा तारीख पूछते हैं और वे बता नहीं सकते ।

श्री गिरधारीलाल : तारीख पर ही सब कुछ निर्भर करता है ।

श्री अध्यक्ष : लीजिये तारीख सुन लीजिये ।

श्री गिरधारीलाल : क्या जवाब दिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल।

(अनुपस्थित)

श्री मोडूराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

६. ५ म० पू०

सदन को मेज पर रखे गये पत्र

सचिव, विधान सभा (श्री धर्मेन्द्र परिहार) : मैं, सदन की मेज पर इस सदन में विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(क) वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई :

१. दी नाथद्वारा टेम्पल बिल, १६५६

२. दी राजस्थान पेसेन्जर्स एंड गुड्स टैक्सेशन बिल, १६५६

(ख) वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई :

१. दी राजस्थान सेल्स टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५६

२. दी राजस्थान एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५६.

३. दी राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट (एडेप्टेशन) ऑर्डिनेन्स अमेन्डमेन्ट बिल, १६५८.

४. दी राजस्थान कोर्ट फी एंड स्टाम्प ड्यूटी लॉज (एक्सटेन्शन) अमेन्डमेन्ट बिल, १६५६.

५. दी राजस्थान फाइनेन्स (एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स) बिल, १६५६.

६. ६ म० पू०

सदन की विभिन्न समितियों के मनोनीत सदस्य

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जन लेखा समिति, १६५६-६० के लिये श्री हरिदेव जोशी तथा प्राक्कलन समिति, १६५६-६० के लिये श्री भोलानाथ को सभापति नियुक्त किया जाता है।

सदन की अन्य समितियां भी मनोनीत कर दी गई हैं जिनके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। इन समितियों का कार्यकाल वर्तमान समितियों के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर ही आरम्भ होगा। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (कमेटी ऑन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन) का कार्यकाल नियमों के प्रभावशील होने की तारीख से आरम्भ होगा।

कार्य सलाहकार समिति

(Business Advisory Committee.)

१. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२. श्री हरिदेव जोशी
३. श्री श्रीमानसिंह
४. श्री भैरोंसिंह (१४)
५. श्री रघुवीरसिंह
६. श्री राजामानसिंह

विशेषाधिकार समिति

(Committee of Privileges)

१. श्री आबिदअली (सभापति)
२. श्री भैरोंसिंह खेजड़ला
३. श्री बृजमोहनलाल शर्मा
४. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
५. श्री नाथूराम (बागीडोरा)
६. श्री बेनाराम गहलोत
७. श्री रामचन्द्र
८. मेजर श्री फतेहसिंह
९. श्री रघुवीरसिंह
१०. श्री दयाकृष्ण विजय

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

(Committee on Government Assurances)

१. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (सभापति)
२. श्रीमती गौरी पूनिया
३. श्री अमृतलाल यादव
४. श्री रामकरणसिंह
५. श्री लच्छूराम

याचिका समिति

(Committee on Petitions)

१. श्री ज्वालाप्रसाद (सभापति)
२. श्री मूलचन्द डागा
३ श्री अमृतलाल पायक
४. श्री हरिकिशन
५. श्री भंवरलाल
६. श्री अर्जुनदास
७. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
८. श्री शिवचरणदास
९. श्री मोहरसिंह
१०. डॉ० चन्द्रकला.

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

(Committee. On Subordinate legislation).

१. श्री बरकतुल्लाखां (सभापति)
२. श्री रामचन्द्र चौधरी
३. श्री सोहनलाल भटनागर
४. श्री रामप्रसाद लड्ढा
५. श्री चंदनमल वैद
६. डॉ० बहादुरसिंह
७. श्री महेन्द्रसिंह पंवार
८. रावराजा श्री सरदारसिंह
९. श्री मदनसिंह दांता
१०. श्री तेजाराम

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जानेवाले विधेयक

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

Page No.26

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंत्री): अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह : On a point of information. Sir... अभी सचिव महोदय ने बताया कि दि राजस्थान पेसेन्जर्स एंड गुड्स टेक्सेशन बिल पर राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो गये, मैं जानना चाहता हूं कि ये हस्ताक्षर कौनसी तारीख को हुए ?

श्री अध्यक्ष : अभी बता देंगे ।

राजस्थान बन्दोबस्त लगान अतीत प्रभावी प्रयुक्ति (वैधकरण) विधेयक, ५९

(पुरःस्थापन)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सैटलमेन्ट रेन्ट्स रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन (वेलिडेशन) बिल, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान लैंड एक्वीज़ीशन (संशोधन) विधेयक, १९५९

(पुरःस्थापन)

अध्यक्ष महोदय, मैं दी राजस्थान लैंड एक्वीज़ीशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

राजस्थान उप-अनुदान पुनर्ग्रहण वैधकरण विधेयक, १९५९.

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सबग्रान्ट्स रिज़म्पशन वेलिडेशन बिल, १९५९ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

६.११ म० पू०

प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थापन के हेतु समय की वृद्धि

श्री दामोदरलाल व्यास (सभापति, प्रवर समिति) :अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १६५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु निश्चित समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाने की अनुमति दी गई।

श्री दामोदरलाल व्यास (सभापति, प्रवर समिति) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्रिवेन्सन ऑफ फ्यूनरल फीस्ट्स बिल, १६५६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के हेतु निश्चित समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

६.१२ म० पू०

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद विधेयक, ५६

(प्रवर समिति को निर्दिष्ट)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि A Bill to provide for the Constitution of Panchayats Samitis and Zila Parishads in the State of Rajasthan'. इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

मैं ऐसा समझता हूं कि जितना महत्वपूर्ण और आवश्यक यह विधेयक है, उस बात को देखते हुए इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी को रेफर करना उचित होगा और सलेक्ट कमेटी भी जितनी जल्दी हो सके, इसके उपर अपना निर्णय दे और हम बीच के अन्दर किसी समय इस सदन में मिल कर इसको

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पारित कर सकें इस बात का प्रयत्न करना है। राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस बात को राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया था और उस अभिभाषण में यह था कि २ अक्टूबर से राजस्थान में इस विकेन्द्रित व्यवस्था को हम लागू करना चाहते हैं और उसी के अनुसार आवश्यक ट्रेनिंग वगैरह की कार्यवाही की जा रही है और दूसरी भी जो कार्यवाही करनी चाहिए, वे चालू हैं। आज भारतवर्ष में जब से हमारी प्रथम पंच-वर्षीय योजना शुरू हुई और इसके बाद जो कुछ देश का विकास होने लगा, हम सबने इस बात का अनुभव किया कि देश का विकास जिस तेजी से अभी हो रहा है, उसकी गति और तेज करना आवश्यक है। राजस्थान के अन्दर पंचायतें कई जगह काफी अर्से से काम कर रही हैं और विकास के कार्यों में इस बात का अनुभव किया गया है कि पंचा-यतें जहां जहां इसमें सक्रिय रूप से सहयोग देती हैं, आम तौर से देती हैं, उससे विकास के काम में काफी गति मिली है और विकास का काम गांव तक फैलने की वजह से उनको एक प्रकार की प्रेरणा और ट्रेनिंग भी मिली है और उनकी रुचि इस सम्बन्ध में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन सारे हालातों पर विचार करते हुए, इस बात को लक्ष्य में रख कर कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमको बनानी है और जिसके ज़रिये हम यह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यापक रूप से हमारे गांवों की तरक्की हो, गांव के लोगों का, गांव में रहने वालों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो, इन सब प्रश्नों को अपने सामने रख कर चलते हैं तो यह माना जाता है कि गांव के विकास का मतलब यह है कि एक गांव के अन्दर अच्छी पंचायत, एक वहां सहकारी समिति और उसके साथ साथ स्कूल हो। इसलिए इन तीनों चीज़ों को मिलाकर गांव का विकास कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में पंचायत एक तरह से महत्वपूर्ण इन्स्टिट्यूशन बन जाती है, जिसके जरिये हमें गांवों के विकास के लिए काम करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी, जैसा हम मानते हैं कि हम यह नहीं चाहते कि उसमें सरकारी दखल हो या सरकारी प्रेरणा से ही वह चीज़ बने बल्कि अब हम विकास की उस स्थिति तक पहुंच सके हैं जब गांव के रहने वाले भाई बहिनों को इन कामों को उठाना पड़ेगा। और दूसरी जगहों के हम विकास के इतिहास को पढ़ें, तो पूंजीवादी देशों की बात अलग है, लेकिन सामूहिक रूप से जन सहयोग अधिक से अधिक मिले, यहां आवश्यक हो जाता है और उस जन सहयोग के लिए बलवन्तराय मेहता कमेटी, कम्युनिटी प्रोजेक्ट मिनिस्टरी की तरफ से बैठाई गई थी। उन्होंने यह सिफारिश की कि जन सहयोग अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने की दृष्टि से गांवों में पंचायतें ठीक रूप से चलाई जायं। इन सब दृष्टिकोणों से, यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम आज जो गांवों के बहुत से काम काज हैं, उनका विकेन्द्रीकरण करें। उस विकेन्द्रीकरण को करने की दिशा में राजस्थान के लिए हमने यहां पर तय किया है कि बिना भेदभाव के यह काम हो। इस सारे बिल के अन्दर एक विशेषता है, जो अब तक कहीं नहीं हुई। वह यह है कि हमने सारे राजस्थान को ब्लॉक्स के अन्दर बांट कर ब्लॉक्स के अन्दर २ अक्टूबर से पहले राजस्थान को बांट देंगे, एक विकास खंड की जितनी आबादी होती है, उस प्रकार सारे राजस्थान को अलग अलग विकास खंडों में

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

विभाजित किया गया है। उसके बाद चाहे विकास खंड खोले हैं, या नहीं खोले हैं, जो शैडो ब्लॉक्स वहां हैं, उन सारी जगहों में पंचायत समिति बननी चाहिए। पंचायत समिति के अन्दर सरपंच होंगे पंचायतों के क्योंकि हमारे यहां सरपंच डाइरेक्टली इलेक्ट होते हैं, सीधे आम लोगों की तरफ से होते हैं, इसलिए विकास समिति के अन्दर रखना हमने उचित समझा है। वे पंचायत समिति में प्रतिनिधि होंगे और फिर कोऑप्शन के मामले की गुंजाइश रखी है। इस प्रकार कोऑप्शन में महिलाओं को, हरिजनों को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और उसके बाद कृषि पंडित को रखने की बात कही है। इसके अलावा दो व्यक्ति और होंगे, जिनको पंचायत समिति चाहे। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई है। उसके द्वारा हम चाहते हैं कि गांवों के अन्दर सारा काम काज वहां के लोग करें। बजट पास करने का अधिकार, जो रकम उनको ट्रान्सफर की जायगी, उनको ऑपरेट करने का, बजट पास करने का अधिकार पंचायत समिति को दिया है। जो जिला परिषद् कायम की जायगी, उस जिला परिषद् के पास पंचायत समिति बजट भेजेगी और जिला परिषद् सुझाव दे सकती है और सुझाव के साथ पंचायत समिति के पास बजट भेज सकती है, लेकिन अन्तिम निर्णय पंचायत समिति लेगी इसके बारे में। अब तक यहां पर से सारे डिटेल्स तय करके कहा करते हैं कि दूसरे लोग सहयोग दें। इसके बजाय अब सबसे बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि जो सरपंच उस पंचायत समिति में बैठेंगे, वे वहां पर जो प्लानिंग पेटर्न है, उसको ख्याल में रखते हुए सारे के सारे फैसले करेंगे कि जिस प्रकार उस ब्लॉक के अन्दर काम होना चाहिए, यह तो सही है कि एक माने में काफी जिम्मेदारी वहां पर जाती है, जिसे सारे आदमी मिल कर अलग अलग ब्लॉक्स के अन्दर पूरा करेंगे। पीछे प्राइमरी स्कूल्स, दूसरे एक्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको भी ट्रान्सफर करने की बात है, जो पंचायत के पास जायं और उनकी देख रेख, बजट वगैरह का काम काज वे करें। यह करने के साथ ही साथ मैं समझता हूं कि जैसी कि विकास करने की हमारी कल्पना है कि गांवों में स्वावलम्बन की भावना पैदा हो और वे खुद काम करें। यह भावना ज्यादा से ज्यादा पैदा हो और धीरे धीरे हम उस चीज़ को बढ़ाते हुए चले जायं। यह कदम उठाया है, इसके अन्दर इस बात का ख्याल रखा है कि वह व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहे और उसके साथ ही साथ हम इस बात की कोशिश करें कि गांव के लोगों के अन्दर स्वावलम्बन की भावना आवे और यह स्थिति पैदा हो अन्ततोगत्वा, जिससे कि लोग अपने रात दिन काम खुद करने लग जायं, और उसके अन्दर ऊपर से दखल कम से कम हो जाय। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाय, तो यह सबके हित में होगा, देश के हित में होगा, गांवों के हित में होगा और उसके जरिये जो शक्ति पैदा होगी, वह असल में आगे ले जाने वाली शक्ति होगी। आज के दिन जैसा मैंने आपसे कहा कि संसार में विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं, उनमें जन सहयोग का सबसे बड़ा प्रश्न होता है और जन सहयोग तभी प्राप्त होता है जब जो सहयोग देने वाले हैं, वे स्वयं निर्णायक हों, काम करने वाले हों। यह भावना उनमें पैदा हो। हमारा यह विश्वास है कि गांव के अन्दर जो लोग हैं, जो अब तक विकास का कार्य हुआ, उससे यह अनुभव हुआ है कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उनमें यह शक्ति है कि वह भला बुरा पहचान सकते हैं। अब वे जो कार्य करेंगे शुरू में, उसमें त्रुटियां होने की बात हो सकती है, लेकिन काम वहां पर पुख्ता तौर से होगा और आगे के लिए कार्यों का निर्णय स्वयं करेंगे और देश का विकास करने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, जिसके विस्तार में मैं इस मौके पर जाऊं,यह मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। इस सम्बन्ध में चर्चायें काफी अलग अलग लेवल्स पर हुई हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की थी और सारी स्टेजों पर चर्चा हुई है और अब यहां पर इस विधेयक को लाया जा रहा है। इस दृष्टि से इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए, वहां वे और गौर करें क्योंकि यह विधेयक इस प्रकार है कि बहुत से विधेयकों के लिए ऐसा होता है कि किसी राज्य के किसी विधेयक को सामने रख कर उस पर विचार करना आसान हो जाता है, लेकिन यह अपने ढंग का विधेयक है, जिसे राजस्थान में ला रहे हैं । तो हमें हर पहलू पर विचार करके इस बारे में निर्णय करना है और इस निर्णय के करने में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी चाहता हूं कि हम शायद बीच में इस सदन का अधिवेशन बुलायें बारिश के दिनों में, अगस्त में या जुलाई के आखीर में, तब तक प्रवर समिति की रिपोर्ट तैयार हो जाय और प्रवर समिति की रिपोर्ट उसके सामने आने तो सदन में भी और संभव हो तो सदन के बाहर भी सभी पार्टीज़ के लोग मिलकर विचार करें कि किस प्रकार गांवों को मजबूत कर सकते हैं इस बात को भी ख्याल में रखना है कि जो कुछ किया जा चुका है वह स्थायी रहे और गांवों में विकास की ओर बढ़ने की प्रेरणा किस प्रकार रहे। आज हमारे देश में सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है कि उत्पादन बढ़े। उत्पादन बढ़ता है तो गांव स्वावलम्बी होते हैं और उसके साथ दूसरी शक्ति भी बढ़ती है। सहकारी समिति भी हो जाती है। सहकारी समिति बनाने के लिए पंचायतों के अन्दर प्रेरणा हो और होती है तो इससे पॉवर फुल होती है और जब यह जानकारी होती है तो उसके बाद कामकाज आगे बढ़ने लगता है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसके साथ मैं अध्यक्ष महोदय, मानता हूँ कि विकास के कार्य ज्यों २ फैल रहे हैं, और ज्यादा फैलेंगे, उसके साथ साथ यदि सरकारी तन्त्र फैलता जावे तो यह जनतन्त्र के विकास के लिए कोई स्वस्थ परम्परा नहीं होगी। यदि कुछ ऐसी डेवेलपमेंट की इन्स्टिट्यूशन्स का निर्माण कर दें जो उन कामों को हाथ में लेकर स्वावलम्बन की दृष्टि से वे काम करें तो स्वस्थ जनतन्त्र पनपाने का गांवों के अन्दर ज़्यादा गुन्जाइश रहती है और एक अच्छा ढांचा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन अभी अधिक से अधिक वाद विवाद में पड़ने की स्टेज़ में नहीं है क्योंकि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर रहे हैं उसके बाद पूरी तौर पर इस पर सदन में यह सदन के बाहर भी चर्चा करना चाहते हैं और मेरा यह भी विचार है सदन के माननीय सदस्य इस पर भी विचार करेंगे कि हम एक सेमीनार की शक्ल में मिल कर इन प्रश्नों पर चर्चा करें जो हमारे सामने हैं और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो और उनमें से एक चीज़ निकले। अब तक

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जो सोच विचार हुआ है, उसका मैं कहूं एक ढांचा, एक स्वरूप आप सब के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मैं स्वयं जानता हूं कि इस पर विचार करने पर कई प्रश्न आवेंगे, कोई रद्दोबदली करने की चीज़ हो सकती है क्योंकि कुल चीजें हैं, सब मिलाकर गांवों और देश हित की दृष्टि से विचार करनी हैं। यह तो देखना है कि हमें विकेन्द्रीकरण करना है, गांवों तक सत्ता पहुँचानी है ताकि वे मजबूत और स्वावलम्बी बनेंगे।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि नाम आप फरमायें तो अभी पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष : पढ़ दीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :

१. मिनिस्टर इन्चार्ज।
२. रेवेन्यू मिनिस्टर।
३. श्री पुरुषोत्तनलाल शर्मा।
४. श्री तेजाराम।
५. श्री जयचन्द्र।
६. श्री रामप्रसाद लड्ढा।
७. श्री लक्ष्मण हीरात।
८. श्री धन्नालाल हारित।
६. श्री नारायणसिंहजी (डिग्गी)।
१०. श्री बी. एन. जोशी।
११. श्री तेजपाल।
१२. श्री सम्पतराज।
१३. श्री बरकतुल्ला खां।
१४. श्री रामचन्द्र चौधरी।
१५. श्री शिवनाथसिंह।
१६. श्री मोहरसिंह।
१७. श्री प्रभुलाल पुरोहित।
१८. कुमारी सन्नोदेवी।
१६. श्री लच्छूराम।
२०. श्री दलपतसिंह।
२१. श्री अनोपसिंह।
२२. श्री रघुवीरसिंह।
२३. श्री रामनारायण।
२४. श्री दयाकृष्ण विजय।
२५. श्रीमती कमला श्रोत्रिय।

ये २५ सदस्य प्रवर समिति के लिए प्रस्तावित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a point of order Sir, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६ विचारार्थ लिया जा रहा है और जिसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और कहा है कि पहले के भांति और गौर से इस पर विचार करना चाहते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल की कापी अभी मिली है और न तो इसको देख सके हैं और न ही इसको स्टडी कर सकें हैं और जब गौर से इस पर विचार करने का प्रश्न आता है तो कम से कम इस पर कैसे विचार बिना पढ़े और स्टडी किये हुए रखे जा सकते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आज इस पर विचार न किया जावे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Rule 98 provides that "no such moti-

(श्री पी. के. चौधरी)

on shall be made until after copies of the Bill have been made available for the use of members, and that any member may object to any such motion being made unless copies of the Bill have been so made available for three clear days before the day on which the motion is made and such objection shall prevail unless the Speaker in his discretion allows the motion to be made." We have received the copies only this morning and it is very difficult to give any opinion today. We therefore suggest that it may be taken into consideration later on. This motion could not be moved either for Select Committee or for consideration.

श्री अध्यक्ष : इस बिल की प्रतियां बहुत देरी से बांटी गई इसमें कोई दो राय नहीं है। कल रात्रि को भेज दी गई थी तो कुछ माननीय सदस्यों को कल रात्रिको हो मिल गई और कुछ को आज सुबह मिलीं।

श्री पी० के० चौधरी : I got this copy only this morning.

श्री अध्यक्ष : I told only some members... अब प्रश्न यह रह जाता है कि सिर्फ कापी लेट मिली इसलिए विचार न किया जाय लेकिन सदन की कार्यवाही ऐसी माननीय सदस्यों की राय है कि जल्दी ही स्थगित कर दी जाय। इसके लिए हमारी तरफ से टाइम के विषय में रिलेक्सेशन हुआ था और इसलिए इसको मूव करने की इजाजत भी दी गई थी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इसको स्वीकार करना चाहिये। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया सदन में और सदन के बाहर भी इस पर विचार करने के लिए काफी मौका मिलेगा इसलिए इन बातों को ध्यान में रख कर फिर से विचार कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल ले लिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं आपसे निवेदन करूं कि वाद-विवाद का प्रश्न तो अलग है वरना सिलेक्ट कमेटी की जो स्टेजेज़ हैं, जिस प्रकार बातचीत करने का निवेदन किया है उसको देखते हुए विचार व्यक्त करने का काफी अवसर मिलने वाला है। दूसरी चीज़ यह भी बताई कि माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही को आज ही स्थगित कराना चाहते हैं इसलिए इस बिल को कन्सीड्रेशन के लिए लाया गया। वैसे इसको लाने में वक्त लगा और कापियां भी कल ही पहुंची ये सारे फैक्टस हैं। इसको इसलिए मूव किया कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर रहे हैं और उसके बाद भी काफी मौका मिलेगा इस पर सोच विचार करने के लिए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सदन को इस पर आगे बढ़ने का अवसर दें। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इसको प्रेस करके अभी करवाना चाहते हैं। यदि सदन आगे बैठने के लिए तैयार है तो हमें इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर सदन की राय कैसे मालूम होगी। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में सदन की राय भी आना चाहिये We shall not be able to participate in the debate.

श्री अध्यक्ष : दो माननीय सदस्य ही बोले हैं जो कि जयपुर में रहते हैं और दूसरे माननीय सदस्य तो इसको एडजोर्न कराना चाहते हैं।

ठा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): I think this Bill is based on Mehta Committee report and everybody has seen that.

श्री अध्यक्ष : I agree.

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : The Hon'ble member is too clever to remember all that. He might have read that and might have forgotton it also. But it is my right to have a copy of it three days earlier. With all due apologies to the Leader of the House, I would like to say that it should be made available for three clear days before the day on which the motion is made. I got my copy only today in the House. If the House wants to adjourn...

श्री अध्यक्ष : As I have already mentioned, the Hon'ble members have a right and the Chair has also its own discretion to relax. Even if you insist and they are not satisfied, I can perfectly allow the discussion today, tomorrow or any day you like.

(विराम)

I think more opportunities are given and whatever the Hon'ble members want to say they may in one way or the other.

इस बात को ध्यान में रखते हुए रिलेक्सेशन दिया गया है। बाकी सामान्यतया तो ऐसा नहीं होता है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इसको तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और अब इसके बाद में फिर डिस्कशन होगा।

श्री अध्यक्ष : You are not moving your amendment ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I am moving Sir.

श्री अध्यक्ष : At least you do that.

श्री पी० के० चौधरी : I move that this Bill...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : I am sorry to interrupt. For the last name, I suggest that the Advocate General's name be included.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move that this Bill be circulated for public opinion upto 31st July, 1959. अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है इसको इन्ट्रोड्यूस करते हुए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है कि यह काफी इम्पोर्टेन्ट बिल है। We are taking steps so far as our administrative machinery is concerned or so far as the execution of the plan is concerned. इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा और जैसा मूवर ऑफ दी बिल ने कहा कि इस बिल के ऊपर सदन के अन्दर और सदन के बाहर सभी जगह

(श्री पी. के. चौधरी)

डिसकशन होना चाहिए और विचार विनिमय होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफी विचार करना है और लोगों की जानकारी हासिल करनी है तो पब्लिक ओपीनियन के लिए उसको सरकुलेट करना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। यह बात ठीक है कि बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट को हमने पब्लिश किया है लेकिन जहां तक यह बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है इसके ऊपर जिस ढंग से हमें पब्लिक ओपीनियन चाहिए उस ढंग से पब्लिक ओपीनियन इल्यूसिट नहीं किया है और उसको असरटेन करने की कोशिश नहीं किया है। इस सदन के सिवाय कुछ माननीय सदस्यों के और कुछ ऑफिसर्स के पब्लिक में जो लोग हैं जैसे पंचायत के अधिकारी हैं, पंच हैं और सरपंच हैं या लोअर लेविल पर जो लोग हैं उनके पास किसी के पास मेहता कमेटी की रिपोर्ट नहीं पहुंची है और जनता की राय हमें अच्छी तरह से मालूम नहीं हुई है।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल हम ला रहे हैं इसके जरिये हम काफी इम्पोर्टेन्ट फंक्शन्स करीब करीब लॉ एण्ड ऑर्डर और दो एक इम्पोर्टेन्ट फंक्शन्स को छोड़ करके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्सऔर डेवेलपमेन्ट फंक्शन्स सब के सब आज पंचायत समिति को डेलीगेट कर रहे हैं और उसको सारे एग्ज़ीक्यूशन की जिम्मेदारियां दे रहे हैं। इसके करने के पहले जो मशीनरी लाना चाहते हैं और उसमें जो प्रोविज़न्स रखना चाहते हैं वह कहां तक उस काम को करने के लिए उपयुक्त होंगे उस सम्बन्ध में हमें अपनी राय देनी चाहिए और उसके सम्बन्ध में काफी सोच विचार करना चाहिए। जहां तक मेहता कमेटी की रिपोर्ट है हम जनरली उसको एग्री करते हैं लेकिन जहां तक उसके इम्पलीमेन्ट करने का सवाल है इम्पलीमेन्ट करने के टाइम हमें काफी सेफगार्ड्स और प्रिकॉशन्स उसमें रखने चाहिए और आज पंचायतों में जो मिसमेनेजमेन्ट देखते हैं उसका रिपीटीशन न हो और उसकी वजह से जो डवेलपमेन्ट वर्क्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स हैं वह मिसफायर न करें, आज उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीजें हम देखते हैं। एक तो वहां पर दलबन्दी चलती है यानि पार्टी फिक्शन्स हैं और कई बेसिस पर पंचायतों में दलबन्दी है और दूसरी बात हम देखते हैं कि जहां तक करेप्शन का सवाल है हम होम डिपार्टमेन्ट या एन्टीकरेप्शन डिपार्टमेन्ट से स्टेटिस्टिक्स एकत्रित करें तो कम से कम रिपोर्टेड केसेज जितने हैं उसमें ६० पर्सेन्ट केसेज़ पंचायत से सम्बन्धित हैं, जहां तक करेप्शन का सवाल है। तो आज हम जब कि सारी की सारी पॉवर्स डवेलपमेन्ट की और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स की, लॉ एण्ड ऑर्डर को छोड़ कर, पंचायत को देने जा रहे हैं तो हमें इस प्रोसेस को कुछ सेफगार्ड करना चाहिये ताकि जिस दलबन्दी को हम पंचायतों में देखते हैं हम उसके ऊपर आ सकें।

अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो सबसे पहली चीज़ नज़र आती है और जिसको मूवर ऑफ दी बिल ने कहा है वह पंचायत समिति के सदस्यों और सरपंच ऑफ पंचायत को रखते हैं। क्योंकि सरपंच डाइरेक्ट इलेक्शन्स से आये हैं लेकिन यहां पर मैं माननीय मूवर ऑफ दी बिल का ध्यान और अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान मेहता कमेटी की रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें साफ सिफारिश की गई है कि पंचायत समिति का

(श्री पी. के. चौधरी)

इलेक्शन हो वह इनडाइरेक्ट होना चाहिए क्योंकि पंचायत समिति में हम एफिशियेन्ट लोग चाहते हैं और ऐसे लोग चाहते हैं जो कम से कम उस पद को निभा सकें। जो लोग डाइरेक्ट इलेक्शन से आते हैं Direct Election does not count for efficiency. जो लोग डाइरेक्ट इलेक्शन से आते हैं it is not necessary that it should be dealt with an efficient man. लेकिन इनडाइरेक्ट इलेक्शन जब होता है तो कम से कम डाइरेक्ट इलेक्शन से जो लोग आयें उनका इनडाइरेक्ट इलेक्शन होता है तो उसकी क्रीम ऑफ दी पीपुल, ज्यादा बैटर स्टफ उसमें आ सकता है, इसकी गुंजाइश रहती है।

आज जहां तक पंचायत का विषय है और उनके चुनाव हैं सरपंच का चुनाव डाइरेक्ट इलेक्शन से होता है। इसमें पार्टी फैक्टर काउन्ट करता है, ग्रुप फैक्टर काउन्ट करता है लेकिन जैसा मेहता कमेटी ने सिफारिश किया है उन्होंने सरपंच के लिए सिफारिश नहीं किया था। उन्होंने यही कहा था कि हर पंचायत से एक आदमी जो पंच लोग हैं वह एक आदमी को पंचायत समिति में भेजेंगे। याने उन्होंने इनडाइरेक्ट इलेक्शन का तरीका रखा है। यानि पंच जो डाइरेक्ट इलेक्शन से आये हैं उनमें से whom ever be the best man. इसमें सबसे ज्यादा केपेबल आदमी हो और जो सरपंच आया हो they represent the various interests in the Panchayat area. तो पंचायत समिति में रिप्रेजेन्टेटिव बैठते हैं तो सब को रिप्रेजेन्ट करने का मौका मिलता है। He is represented by the only section of the people. जो फैक्ट हैं आप थियोरेटिकल इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि he can be of any section. यह तो डेमोक्रेसी का तकाज़ा है और नियम है कि जो मेजोरिटी से आता है वह आता है। लेकिन मेहता कमेटी ने जिसके ऊपर स्ट्रेश किया था इनडाइरेक्ट इलेक्शन से that man will command all the confidence of the people in that area. और जो पंचायत का आज ढांचा है और जो उसका फॉरमेशन है उसको प्योर सिक्यूलर बेसिस पर उसके अन्दर चुन कर नहीं आते हैं। कम्युनिटी बेसिस पर आते हैं या ग्रुप बेसिस के ऊपर उसको वोट मिलते हैं। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। यह पोज़ीशन है। इसलिए सबसे पहले डिफिकल्टी जो इसमें नज़र आती है वह यह है कि डाइरेक्ट इलेक्शन का जो तरीका रखा है सरपंच को लाने का वह मैं समझता हूँ कि मेहता कमेटी की रिपोर्ट का जो आइडिया था उसको आपने मिस कर दिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरपंच उसके लिए इनइलीजीबल है। लेकिन उसको आने के लिए १२ या १५ पंच हैं वह चुन कर भेज सकते हैं। वह होता है it becomes almost a direct election.

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय उसमें एक चीज़ मैं और देखता हूँ इस बिल में कि तहसील पंचायतें भी उसके साथ साथ फंक्शन करेंगी। मैं मानता हूं कि जब हम सारे के सारे ढांचे को बदल रहे हैं तो तहसील पंचायत को रख कर डुअल यानि डायेरकी तहसील लेवल पर क्यों रखना चाहते हैं? इस बिल में क्लियरली यह देखा जाता है कि एक पंचायत समिति रहेगी और एक तहसील पंचायत कोएग्ज़िस्ट करेगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जब हम ब्लॉक्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। नेशनल ब्लॉक्स हैं वो वास्तव में पर्टिक्यूलर

(श्री पी० के० चौधरी)

एरिया ले कर नेशनल ब्लॉक्स एरिया बनता है तो जहां हम एड्मिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को डिवाइड कर रहे हैं तो तहसील पंचायतों को रखने का क्या मतलब है ? मैं तो समझता हूं : the Tehsil Panchayat should disappear for all purposes. पंचायतें भी लेते हैं और तहसील पंचायतों को रखते हैं तो यह मेरी समझ में नहीं आता । ब्लॉक एरिया नहीं है वहां के लिये रहती हैं । मेहता कमेटी की रिपोर्ट यह थी कि ब्लॉक है वहां ब्लॉक एरिया की पंचायत हो और दूसरी जगह तहसील पंचायत हो। सेवन्टीथाउजेन्ड की पॉपुलेशन का रखेंगे, वहां ब्लॉक एरिया हो गया तो तहसील पंचायत क्यों रहनी चाहिये ? मेरी तो राय है कि तहसील पंचायत नहीं रहनी चाहिये । रखते हैं तो इसके माने यह हुए कि ड्बेल फंक्शन करना चाहते हैं ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेहता कमेटी ने रिपोर्ट में कहा था कि पंचायतों को जुडिशियल फंक्शन देना है तो जिस तरह की जुडिशियल पंचायतें आज हैं उनके लिये सिफारिश की थी कि एरिया बढ़ा देना चाहिए एरिया कितना हो, यह नहीं रख कर मैं तो कहता हूं जुडिशियल पंचायतें अलग रखनी चाहिये । एडमिनिस्ट्रेटिव पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट की पंचायतें हम पंचायत समिति को दे रहे हैं, यह पंचायत फंक्शन करेंगी पंचायतों के जरिये this power which is given to the Panchayat will subsequently slide on the Panchayats तहसील पंचायत सरकार के सारे के सारे पावर एक्सरसाइज़ करेंगी । पंचायतों को हम जुडिशियल पॉवर दे रहे हैं जितना बड़ा प्लॉट क्रियेट होता है यह एडिमनिस्ट्रेशन के लिये नहीं जुडिशियल फंक्शन की वजह से होता है और वास्तव में देखा जाय तो इन्फ्लुएन्स के आधार पर, पार्टीबाजी के आधार पर जुडिशियल फंक्सन्स पंचायतों के होते हैं। पंचायतों में सबसे इम्पॉर्टेन्ट चीज जुडिशियल फंक्शन है जिसकी वजह से बड़े प्लॉट्स बनते हैं । इस बिल के जरिये पंचायतों के जुडिशियल फंक्शन को हटा देना चाहिये नहीं तो जुडिशियल फंक्शन आज कल पंचायतों का चल रहा है उसमें कास्टिज्म, कॉम्युनलिज्म, फैवरेटिज्म होता है और ६० परसेंट करप्शन के केसेज होते हैं। वहां पंचायत समिति के कायम होने के बाद जुडिशियल फंक्शन पंचायतों का रखेंगे तो करप्शन, कास्टिज्म, फेवरेटिज्म कॉम्युनलिज्म ६० परसेंट से नाइन्टी परसेंट बढ़ जायेगा। इसलिए मेरी राय है कि इसको इम्लीमेंट करते समय जुडिशियल फंक्शन पंचायतों के हैं उनको सेपरेट कर देना चाहिये । इस ढंग से हमें प्रोवाइड करना चाहिये कि पंचायत समिति का एरिया है वहां एक या दो जुडिशियल पंचायतें बना दें। मेहता कमेटी ने भी रिपोर्ट में यही कहा है। इन्फ्लुएन्स होता है because of local contacts. local influence इसलिये उन्होंने भी सजेस्ट कर दिया था कि एरिया बड़ा कर दीजिये ताकि इन्फ्लुएन्स काम न करे। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस मौके पर जब इस बिल को पास कर रहे हैं तो क्योंकि थियोरेटिकली मान चुके हैं कि जुडिशियरी को एग्ज़ीक्युटिव से अलग करेंगे, लॉ कमिशन की रिपोर्ट आने पर जुडिशियरी को एग्जीक्युटिव से अलग करना है। उनकी शिफ़ारिश भी यही रहेगी क्योंकि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी का यह मूल सिद्धान्त है। जब हायर लेवल पर जुडिशियरी को एग्ज़िक्युटिव से सेपरेट करेंगे तो क्या पंचायत बेसिस पर,

(श्री पी. के. चौधरी)

डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर अलग नहीं करेंगे । डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको स्टेट गवर्नमेंट की मंशा मालूम रहती है इसलिये जुडिशियल पंचायतें रहते हुए जो जुडिशियल फंक्शन करना चाहते हैं तो हायर लेवल पर तो जुडिशियरी को एग्जीक्युटिव फंक्शन्स से अलग करेंगे और पंचायत लेवल में हम इन दोनों को साथ रखेंगे तो यह पंचायतोंवाली स्कीम फेल हो जायेगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि पंचायत एरिया के लिये जुडिशियल पंचायत अलग बना दीजिये या पांच छः पंचायतें मिला कर जुडिशियल पंचायत अलग बना दीजिये । जुडिशियल पंचायतों को गुट्ट बाज़ी से, करप्शन से दूर करना चाहते हैं तो उनको जुदा कीजिये नहीं तो सारे डवेलपमेंट में रोड़े अटकेंगे । जहां ग्रुप बेसिस पर, कास्ट बेसिस पर चुनाव होंगे तो वहां गुट्टबन्दी भयंकर स्वरूप लेगी । जो मायनोरिटी में हैं, या जो खिलाफ हैं उनके खिलाफ फैसला देंगे अगर जुडिशियरी को इनसे सेपरेट नहीं करेंगे तो । It is liable to meet with failure.

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो टाइम के लिये रखा है कि एग्जिस्टिंग पंचायतें हैं वे मार्च, १६६० तक फंक्शन करेंगी, यह जो समय, टाइम लिमिट मांगा है मेरा इसके विरुद्ध मत है । सारी पंचायतों का री एलेक्शन होना चाहिये । उस दफा पंचायतों के चुनाव हुए थे तो लोगों ने उन पंचायतों के लिये उम्मीदवार लोगों को वोट दिये थे तो यह जान कर दिये थे कि इन पंचायतों के ये ये अधिकार हैं, इस इस तरह के काम ये पंचायतें करेंगी । उस समय जो पंचायतों को अधिकार थे उन अधिकारों को ध्यान में रख कर लोगों ने उस प्रकार के लोगों को वोट दे कर पंच चुना था, वोट देते समय वे लोग जान रहे थे कि जिन पंचों को वोट दे रहे हैं what functions these Panchas are supposed to exercise उस पंच का क्या काम रहेगा, इसको देख कर उस केपेसिटी के आदमी को चुन कर पंचायत में भेजा है लेकिन आज जब आप उनको डवेलपमेंट का काम दे रहे हैं तो हो सकता है कि वोटरों का एटीच्यूड चैन्ज हो जावे और मैं मानता हूं कि उनका एटिच्यूड चैन्ज हो जावेगा । वे देखेंगे कि इस स्थान पर किसी एफिशियेन्ट आदमी को भेजा जावे । जो आदमी आप भेजेंगे पंचायत समिति में फंक्शन करेंगे जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अच्छी तरह से चलेगा । आप जिस तरह से पंचायतों को टोन-अप करना चाहते हैं, आप उन्हें प्रोपरली इम्पलीमेंट करना चाहते है तो उनका री-इलेक्शन होना चाहिए । तो भी आपको सारी की सारी पंचायतों का चुनाव मार्च, १६६० से पहले पहले कराना चाहिये । जब जो लोग पंचायतों के पंचों को वोट देंगे और पंचायत समिति को चुनेंगे और वे ही पंचायत समिति में काम करावेंगे so looking at the new functions that devolves on them. नया जो काम उनका सौंपा गया है, उस नये काम को जिम्मेदारी से निभा सकें, ऐसे लोगों को वे भेजेगें । अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्सनल अनुभव है, पंचायतों में जिस समय किसी को भेजने का सवाल आता है तो वे लोग कहते हैं कि करना क्या है किसी बुड्ढे को भेज देते हैं । वे यही कहते हैं कि वहां तो वोट ही देना होता है । मगर जब गांव के लोगों को मालूम होगा कि वहां पर विकास के कार्य होंगे तो वे लोग यह सोचेंगे कि किसी बुड्ढे को न भेज कर किसी पढ़े लिखे को भेजा जावे । ऐसा कई बार हुआ

(श्री पी. के. चौधरी)

है कि दो तीन लोग मेट्रिक पास थे उनको नहीं भेजा गया और उनके बाप के बाप को भेज दिया गया। यह कहा गया कि वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां तो वोट ही देना होता है। अब मान लें कि नया इलेक्शन होता है और वोटर को यह मालूम होता है कि पंचायतों के जरिये से सारे के सारे काम करवा रहे हैं तो वे बाप के बाप को नहीं भेजेंगे और अपने एफिशियेन्ट लड़कों को भेजेंगे। यह फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल है और यह सारा का सारा काम पंचायत समितियों को सौंप रहे हैं और जो नये लोग आवेंगे वे उस काम को एफिशियेन्टली पंचायतों के जरिये एग्जीक्यूट करावेंगे। इसको देखते हुए मैं यह मानता हूँ कि पंचायतों के चुनाव की तारीख आप निश्चित करें और वह ३१ मार्च, १६६० से पहले करें। अगर आपको इस मामले में किसी प्रकार से डेट एक्सटेन्ड करना है तो आप कर सकते हैं मगर किसी भी हालत में ३१ दिसम्बर, १६५६ तक कर सकते हैं और उससे ज्यादा लम्बी डेट नहीं होनी चाहिये। ज्यादा से ज्यादा आप उसको ३१ मार्च, १६६० कर सकते हैं। आपकी डेमोक्रेसी की मदर जिसको आप कहते हैं वह इंगलैंड है। वहां पर जिस समय इलेक्शन का समय आता है तो पार्लियामेंट को डिजोल्व करके नया इलेक्शन कराते हैं। They used to call upon the Parliament that you seek vote of confidence. After dissolving the Parliament they used to face the electorate. इस तरह से मैं मानता हूं कि अगर आप ३१ मार्च, १६६१ रखेंगे तो सारा इसका पर्पज़ है वह डिफीट हो जावेगा। सारी पंचायतों को डिजोल्व करनी चाहिये और उनका इलेक्शन कराना चाहिये ताकि सभी पंचायतों में अच्छे लोग आ सकें।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इसमें कृषि-पंडित को रखने का प्रावधान है कि एक कृषि पंडित लिया जावेगा जो कृषि सम्बन्धी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से जानता हो। दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑप्शन से लिया जावेगा। मैं इन दोनों बातों के खिलाफ़ हूं। मैं नहीं चाहता कि इसमें ज्यादा कोऑप्टेड सदस्य हों। मैं एक महिला के लेने के पक्ष में हूँ। जहां पर कोई महिला इलेक्शन से नहीं आये वहां एक महिला ली जावे और कृषि पंडित की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कैसे लोग कृषि पंडित बनते हैं। हमें उन लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। This is no qualification for expert agriculturist यह जो इसमें रखने का तरीका है उसके दोनों को कोऑप्शन में लाने के मैं सख्त खिलाफ़ हूँ। कृषि पंडित वे लोग हैं जो खेती का काम करते हैं और वे लोग पंचायतों में चुन कर आते हैं। मैं समझता हूं कि कृषि पंडित की कोई जरूरत नहीं है। आपके एक्सपर्ट वहां पर रहते हैं और वह एक्सपर्ट की एडवाइस सामने रख सकेगा। हम एक्सपर्ट को ही तो कृषि पंडित का टाइटल देते हैं।

इसलिये मैं कृषि पंडित के रखने के सख्त खिलाफ़ हूं। इसमें जो रिप्रेजेन्टेटिव रहेंगे १५ या २० आदमी रहेंगे। उसके बाद आपने दो महिलाओं को रख दिया, एक कृषि पंडित को रख दिया और दो एक्सपर्ट सोशल वर्कर रखे। इस तरह से आप ७ या ८ आदमियों को नोमीनेट करके रख देते हैं तो जो इलेक्टेड पार्टी का डिसिशन

(श्री पी. के. चौधरी)

होगा उसको वे क्रिटिसाइज़ करेंगे और उनका अन्ड्यू इन्फ़लुएन्स पड़ेगा । एक महिला जानी चाहिये दो महिलाएं नहीं जानी चाहिये । मैं समझता हूँ कि जरा सा इन्ट्रेस्ट लेनेवाले लोग चुनाव में आते है तो फिर महिला जो भी इन्ट्रेस्ट सोशियल वैलफेअर में लेगी तो अवश्य चुनाव में आ सकती है even if she takes one percent interest एक आदमी जितना सोशियल वर्क में इन्ट्रेस्ट लेता है तो वह डाइरेक्ट इलेक्शन में आ सकता है तो महिला तो अवश्य आ सकती है । अगर कोई महिला इन्ट्रेस्ट नहीं रखती है तो नहीं आ सकेगी । इसलिये जो महिला अपनी सेवाएं कॉन्ट्रिब्यूट करेंगी उसके फेवर में वोट लोग देंगे । मैं यह निवेदन करूंगा कि एक महिला का प्रोविजन रहे । इसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट के एक व्यक्ति का प्रोविज़न है । कृषि पंडित को उड़ा देना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि पंचायत समिति में किसी भी एम. एल. ए. को नहीं रखा है । उसका क्या कारण है समझ में नहीं आया । मैं समझता हूँ कि एम. एल. ए. को नहीं रख कर उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूएन्सी से बिल्कुल कट ऑफ करना है । समझ में नहीं आता कि एक एम. एल. ए. को रखने से उनको क्या दिक्कत होगी ? इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा । मेहता कमेटी ने सिफारिश की है मगर उन्होंने यह नहीं कहा है कि एम. एल. ए. को नहीं रखना चाहिये । The Panchayat Samiti should consist of the following and none else इतना ही उन्होंने कहा है । उसमें उन्होंने एम. एल. ए. को नहीं करने के लिये कहा हो यह मेरी समझ में नहीं आता । तीसरी बात यह है कि हमने मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इन टो टो (In toto) नहीं किया है । दूसरी बात यह है कि Mehta Committee was not the last word on the subject. मैं नहीं मानता कि सारी विज़डम का ठेका मेहता कमेटी ने ले रखा है । एम. एल. ए. को क्यों नहीं रखा गया है ? आप एक तरफ तो यह चाहते हैं कि डवेलपमेंट के कार्यों में सहयोग दें । दूसरी बात यह रहती है कि ओरनामेंटल ज़िला परिषद् का डे टू डे एक्टीविटीज में कोई काम नहीं रहेगा । मैं समझता हूँ कि it is not that we cannot deviate this way or that way from it. मैं समझता हूं कि सारे सदन के सदस्य भी मेरे साथ इससे सहमत होंगे । बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं ।

१० म० पू०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान पंचायत और ज़िला परिषद बिल सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है । अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि इस बिल को अच्छी तरह देखने का सदन के माननीय सदस्यों को अवसर मिलता और उसके बाद गंभीरता से विचार किया जाता लेकिन जब यह यहां पर विचारार्थ प्रस्तुत हो ही गया है तो इस सम्बन्ध में मैं भी यह आवश्यक समझता हूं कि मैं अपने कुछ विचार सदन के सामने प्रस्तुत करूं । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री ने अभी फरमाया कि राजस्थान देश के अन्य प्रान्तों के मुकाबले में इस प्रसंग को लेकर सबसे आगे है । इस विषय के सम्बन्ध में यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री भैरोंसिंह)

को धन्यवाद दिया जावे तो उचित होगा। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि जिस प्रकार का डीसेन्ट्रेलाइजेशन आप करना चाहते हैं उस डी–सेन्ट्रेलाइजेशन से जो वास्तव में डी–सेन्ट्रेलाइजेशन का सिद्धान्त है वह पूरा होगा या नहीं और यदि वह पूरा होता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रस्ताव का हमें स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन पिछले जो हमने कानून बनाये हैं उन कानूनों की दृष्टि में यदि हम इस कानून को देखें और उसके बाद विशेष अन्तर नज़र नहीं आता है तो कुछ ऐसा लगता है कि मोटे सिद्धान्त सरकार ने अवश्य स्वीकार किये हैं किन्तु सिद्धान्तों का अमली रूप डी–सेन्ट्रेलाइजेशन की भाषा में नहीं किया है।

डी–सेन्ट्रेलाइजेशन का मतलब जहां तक सरकार की ओर से लगाया जा रहा है कि ग्रामीण लोगों को जितने विकास के काम हैं या स्वायत्त शासन के काम हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। अब सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिकार दिये जावें तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को इस कानून से परिचित करायें। रिएक्शन देखने का तो प्रश्न अभी दूर है लेकिन जनता का परिचय करायें इस कानून से यह हमारा पहला कर्तव्य होता है। मुझे इस बात का खेद है कि डी–सेन्ट्रेलाइजेशन के द्वारा जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करना चाहते हैं और कानून अंग्रेजी भाषा में बनाना चाहते हैं। आज तक हमने देखा है और पंचायतों का भी अनुभव है कि कानूनों में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से कानूनी भयंकर गल्तियां रह जाती हैं। हाई कोर्ट ने भी इस बात का उल्लेख किया है अपने ज़जमेंट में कि ग्रामीणों को ट्रेनिंग देने में यदि आवश्कता न हो तो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग न किया जाय। उसको दूर करना तो दूर रहा लेकिन कानून बना रहे हैं अंग्रेजी भाषा में और अब अंग्रेजी भाषा में बना रहे हैं तो निश्चित् रूप से इसका जो अनुवाद होगा वह क्लिष्ट भाषा में होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं जैसा कि आप कह चुके हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो क्या आप अंग्रेजी भाषा में कानून बना कर डी–सेन्ट्रेलाइजेशन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? हां, जहां ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के सवाल हों और वहां अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो तब तो यह समझ में आ सकता है लेकिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों को ट्रेनिंग देने का सवाल है, ग्रामीणों से काम कराने का प्रश्न है तो वहां अंग्रेजी भाषा में कानून बना कर उनसे चाहते हैं कि वे विकास के कार्यों में अधिक सहयोग दे सकेंगे, यह असंभव लगता है। आप कहेंगे कि हिन्दी में अनुवाद कर दिया जावेगा। लेकिन आपको विदित होगा कि अनुवाद से लॉ कोर्ट में कानूनी मुद्दों पर स्वीकार नहीं किया जाता किन्तु वह तो जिस भाषा में कानून पास किया गया है उसी भाषा में स्वीकार किया जाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे आगे न बढ़ें। वे आगे बढ़ने से पहले पीछे जाकर देखें और इसका समाधान करें जिससे कि ग्रामीणों के अन्दर सुधरी और सीधी भाषा में कानून का निर्माण करें ताकि वे लोग अच्छी तरह से जान सकें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है वह यह है कि हमने इस कानून में

Page No.41

(श्री भैरोंसिंह)

तीन एक्ट्स का अमेंन्डमेंट किया है। पहला पंचायत एक्ट, दूसरा म्यूनिसिपेलिटीज़ और तीसरा जिला बोर्ड कानून। इन तीन एक्ट्स में पहले अमेन्डमेन्ट करना है और उनको करने के लिए जिस प्रकार का कन्वेन्शन आज तक है और जिस प्रकार की पद्धति आज तक सदन में रही है और यह भी कहूं कि आज तक जिस प्रकार के नियम है उनके अनुसार इस कानून में संशोधन किसी भी प्रकार करना था तो पहले मूल कानून में अलग से संशोधन करायें, जहां रीपील करने की आवश्यकता हो वहां रीपील करें, किसी क्लॉज़ को लेकर सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता हो तो पहले सब्स्टिटयूट करें। जो कुछ बच जाता है उसके बाद इसको रखते तो अच्छा था। अब यह कहा जाय कि यह बिल अलग है, डिफरेन्स है कन्सोलिडेटेड कानून होगा लेकिन जब तक अलग अलग कानूनों में इस प्रकार संशोधन पहले नहीं लाये जायेंगे तो कई कठिनाइयां इससे पैदा होंगी। अब कहा जाय कि इस कठिनाई को भी दूर किया जा सकता है। पंचायत एक्ट में इन सेक्शनस को हटा कर इसमें इन्कोरपोरेट करके व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन कल से मोटी दिक्कत हो जावेगी कि कुछ धाराओं को लेकर अमेन्डमेंट कर दिया। यह कोई पंचायतों का एक्ट नहीं है किन्तु एक इन्डिपेन्डेन्ट बिल है और मैं समझता हूं कि इस सदन में इस प्रकार की रूलिंग हुई है और पिछले सेशन में कई प्रकार की रूलिंग्स हुई हैं कि दूसरे लेजिस्लेशन से लेकर उससे सम्बन्ध नहीं है चूंकि इन्डिपेन्डेन्ट नेचर का बिल है, अमेन्डमेन्ट नहीं किया जा सकता। उसमें भी आपत्ति है। यह हो सकता है कि सलेक्ट कमेटी में इस पर विचार किया जावे लेकिन जहां मूलत: ही गलती हो तो उसको तो वहीं से दुरुस्त किया जाना चाहिये। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिन कानूनों में संशोधन करने का है उनको लाकर अमेन्डमेन्ट बिल पास करायें जांय और उसके बाद कन्सोलिडेटेड बिल पास करायें ताकि कानून में आगे जाकर अड़चन न हो।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इसका आगे प्रश्न पैदा होता है कि डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के प्रश्न को लेकर मैं कुछ ऐसा समझ पाया हूं और पंचायत समिति के शिड्यूल दिया हुआ है उसके फन्कशन्स का उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार यह चाहती है कि पंचायत समितियां और पंचायतों के मार्फत जितने विकास के काम हैं करवाये जांय। इसमें किसी को आपत्ति हो सकती है, ऐसा मुझे समझ नहीं आता लेकिन प्रश्न एक पैदा होता है कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन का जो मूल सिद्धान्त है उसको लागू किया हैं या नहीं? सत्ता का हस्तान्तरण कर और उसका स्वतन्त्रता से उपभोग कर सकें इसकी व्यवस्था करना यह डीसेन्ट्रेलाइजेशन का मूल सिद्धान्त है। यहां पॉवर्स दिये हैं। कैसे दिये हैं कि सत्ता का अंकुश रहे। जहां सत्ता का अंकुश रहा तो पॉवर्स न देने के बराबर ही हैं। हटाने के पॉवर्स, सस्पेन्शन के पॉवर्स अपने हाथ में रखते हैं इसका मतलब यह होगा कि सत्ता दी है हमारी इच्छानुसार काम करने की किन्तु हमारी इच्छा के विरूद्ध काम करते हैं तो उस सत्ता का उपभोग नहीं कर सकते। मैंने इस बिल को शुरू से लेकर अन्त तक देखा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जहां पंचायत एक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में अधिकार नहीं दिये हैं डिजोल्व करने के या

(श्री भैरोंसिंह)

सुपरसीड करने के वहां इस प्रकार के अधिकार दिये है डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन में, यह समझना चाहिये कि पहले कानून बनाये हैं वहां डीसेन्ट्रेलाइजेशन का क्वेश्चन न होते हुए भी उसके मूल सिद्धान्त को स्वीकार किया है और एक बात करके अब बैक आउट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक हाथ से तो सत्ता देते है और दूसरे हाथ से उसको खींच लेते हैं। जिस विधेयक को लाकर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी कहें कि हमने ऐसा कानून बनाया है कि हम दूसरे प्रान्तों से आगे बढ़े हुए हैं। यहां गावों से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसके द्वारा पीछे जाने की भी कोशिश की जा रही है। इन दोनों स्थितियों में विचार करना पड़ेगा कि हम ऐसे अधिकार सरकार के हाथ में दें या नहीं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब सदन में टाउन म्यूनिसिपल बिल पर विचार हो रहा था, म्यूनिसिपेलिटीज़ को डिजोल्व करने या सुपरसीड करने के बारे में सदन में गर्मागर्म बहस हो रही थी और उस बहस के साथ साथ एक सिद्धान्त हमने स्वीकार किया था वह यह था कि इस प्रकार के जो लोकल युनिट्स है उनको डिज़ोल्व करने के पॉवर्स गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होने चाहिये। इस प्रकार के एक सिद्धांत को सदन ने एक महिने पहले स्वीकार भी किया था। सदन जिस एक चीज को स्वीकार करता है लोकल बॉडीज़ को डिजोल्व या सुपरसीड करने के एबसोल्यूट पॉवर्स गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होने चाहिये इसके विपरीत हम कानून पास करें और एक महिने पहले जिस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं जिसको हम एक महिना भी निभा नहीं सकें तो जो अधिकार सरकार दे रही है उसको बाद में कैसे निभा सकेगी?

सरकार इसके लिये कहेगी कि यह प्रारम्भिक काल है, पंचायत समितियों को ट्रेनिंग देना है जिला परिषदों को ज्ञान देना है उनके प्रारम्भिक काल में कन्ट्रोल नहीं रखा गया तो मुमकिन है सत्ता का दुरुपयोग हो। इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि आज हम इस प्रकार के अधिकार बिना किसी प्रकार के अंकुश के दे सकते हैं या नहीं? मैं, अध्यक्ष महोदय, यह चाहता हूँ कि पंचायतों के विषय में ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया है। आज चार साल हो गये पंचायतों के निर्माण हुए और जनता पंचायतों के काम से परिचित हो चुकी है। जिला बोर्डस के तथा तहसील पंचायतों के क्या क्या फंक्शन्स हैं उनसे जनता परिचित हो चुकी है और वह किस प्रकार से अमल में इन फंकशन्स को लाती है इसका भी ज्ञान उनको हो चुका है।

इसके अलावा दो बातें हैं एक तो कानून की अनभिज्ञता के कारण आपको दिक्कत पैदा होती है और दूसरा चरित्र की कमी महसूस करते हो। इन पर हम यदि विचार करते हैं तो हमें जहां तक उनके कानून की अनभिज्ञता का प्रश्न है उनको कानून से परिचय हुआ या नहीं और जिस प्रकार का सुपरवीज़न है उसको हटाया जा सकता है या नहीं, इस पर सरकारी की ओर से दो बातें कही जा सकती हैं। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखते हुए कन्ट्रोलिंग पॉवर्स गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक चरित्र का प्रश्न है, जिस समाज के चरित्र का प्रश्न है उसी समाज के प्रतिनिधि हम भी हैं। उनके लिए कहा जाता हो कि वे ईमानदारी

(श्री भैरोंसिंह)

से काम नहीं करते और नहीं कर सकते तो हमारे लिये और आपके लिये भी यह कहा जा सकता है कि हम और आप भी ईमानदारी से काम नहीं करते। जो आदमी उनका प्रतिनिधि है उसी का प्रतिबिम्ब भी उसी प्रकार का होगा। अगर आप उन पर इस प्रकार का इल्जाम लगा सकते हैं कि वेईमानदारी से काम नहीं कर सकेंगे या वे काम करने में अयोग्य हैं तो आप के ख्याल में यही बात है और इसी कारण आप यह नहीं चाहते कि उनको दिये हुए अधिकारों का वे अतिक्रमण न करलें, छोटे छोटे निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर सत्ता का कहीं अतिक्रमण न कर दें। उनको इस बात की जानकारी है या नहीं, जो कुछ अधिकार उनको दे रहे हैं उनको इम्पलीमेंट करने की योग्यता है या नहीं। जहां तक योग्यता का सवाल है जब पंचायतों का निर्माण हुआ था हमने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि पंचों में शिक्षा की कमी है इस कारण कुछ संकट पैदा हो सकता है। जब हम यदि पंचों और सरपंचों को पढ़े लिखे रखते हैं तो पढ़े लिखे लोग गांवों में नहीं मिलेंगे। इसलिये हमने साधारण हिन्दी का ज्ञान सरपंच के लिए आवश्यक रखा और बाकी पंच अनपढ़ हो सकते हैं। इस मूल बात को हमने स्वीकार किया था। जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं तो वैसी हालत में वे अनपढ़ हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। आज इसके कारण उनमें अयोग्यता है तो यह उनकी जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि पहले तो पढ़ाई लिखाई की शिक्षा उनको नहीं मिल सकती थी और जब यह अवसर आया तो उनको हम शिक्षा नहीं दे सके और इसी कारण उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। इस कारण आप उनको अयोग्य भी कह सकते हैं। लेकिन जहां तक पंचायत के चुनाव का सवाल है वे पंच चुन कर आ सकते हैं। इसी आधार पर उनको अयोग्य कहना और सुपरवाइजरी पॉवर्स लेते हैं तो अध्यक्ष महोदय, यह किसी प्रकार से उचित नहीं होगा।

डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर कौन सा काम करेगा ? उसके लिये लिख दिया गया है He will work under the rules prescribed by the Government. डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफिसर क्या काम करेगा वोट देने का अधिकार दे दिया गया। ज़िला परिषद अपने आप में चुनाव कर सके इस प्रकार का अधिकार दे दिया। लेकिन जहा आपने रूल्स बनाने का प्रावधान अपने हाथ में रख लिया तो उससे यह शंका पैदा होती है कि वे कौन से रूल्स होंगे ? क्या सरकार अब भी इसी स्थिति में नहीं आई है कि वह स्पष्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफ़िसर जो जिला परिषद् का सर्वे सर्वा होगा, उसके ये ये अधिकार होंगे, क्या इस प्रकार की बात सदन में कहने की हिम्मत वे नहीं कर सकते ? सरकार इस प्रकार का प्रावधान रख कर बैकडोर से अन्दर आने की कोशिश की है : under the rules prescribed by the Government. नियम बनेंगे उन नियमों के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफ़िसर के ये ये फंक्शन्स होंगे, इस प्रकार का उल्लेख होगा। कुछ अधिकार तो हम इसमें रख रहे हैं इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफ़िसर के और भी अधिकार हो सकते हैं। जिन अधिकारों का उपयोग वह ज़िला परिषद् में, उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप करके कर सकता है। माननीय मंत्री महोदय की तरफ से इस प्रकार की कार्यवाही के सम्बन्ध में हम आश्वासन चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट ऑफ़िसर

(श्री भैरोंसिंह)

ज़िला परिषद् के कार्य में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा यदि इस प्रकार का प्रावधान नियम में करते हैं तो ये सब चीजें बिल की मन्शा से विपरीत होंगी। जनता इस काम के अन्दर कम से कम सरकार का हस्तक्षेप हो, ऐसी आशा करती है। आज अगर इस काम में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो इसका कारण एडमिनिस्ट्रेशन में, पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ खराबी हो सकती है। आज भारतवर्ष में डेमोक्रेसी को चालू हुए काफी अर्सा हो गया है फिर भी हम इस अवस्था तक पहुंच गये हों कि डेमोक्रेसी को एक एक कण से परिचय हो गया हो, यह बात नहीं है। हमारा सभी का अभी तक ट्रेनिंग पीरियड है। आज जिन के वोटों पर हम विधान सभा में बैठे हैं उन लोगों का भी ट्रेनिंग पीरियड है। अगर ट्रेनिंग पीरियड समझ कर ही आप यदि सरकार का अधिक हस्तक्षेप करना शुरू करेंगे तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि ये संस्थायें स्वतंत्रता-पूर्वक काम नहीं कर सकेंगी। वहां यह भी शुबा पैदा हो सकता है कि उनको डायरेक्ट करने के लिए आपको अलग से मशीनरी कायम करना पड़ेगी वैसी हालत में वह अपने इन्डिपेन्डेन्ट वोट को अप्लाई नहीं कर सकेंगी।

अध्यक्ष महोदय, इसमें चुनाव पद्धति को लेकर भी एक व्यवस्था की गई है और इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है कि चुनाव इन्डायरेक्ट हों। इस सिद्धांत को हमें वास्तविकता के आधार पर आंकना पड़ेगा। पंचायतों के जो चुनाव होंगे उनमें सरपंच पंचायत समिति का निर्माण करेंगे। पंचायत समितियों के प्रधान व प्रमुख मिल कर ज़िला परिषद् का निर्माण करेंगे। यह चुनाव पद्धति सुगम अवश्य है और यह मानी हुई बात है कि इन्डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं वे सुविधा-पूर्वक होते हैं उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। लेकिन किसी किसी हालत में इन्डायरेक्ट इलेक्शन भी घातक होते हैं और डीसेन्ट्रेलाइजेशन की पॉलिसी के अगेन्स्ट होते हैं। जहाँ ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के हाथ में सत्ता हो यह विकेन्द्रीकरण का मतलब है। वहां इन्डायरेक्ट इलेक्शन में आम जनता को चुनने का अधिकार नहीं होता। जहां आम जनता अपना मत दे सकती है वह डायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में चुने हुए लोग मतदान करेंगे। डीसेन्ट्रेलाइजेशन में हमें यह सोचना होगा कि हम आम जनता को अधिकार देते हैं या नहीं? एक जगह अधिकार दिया है कि पंचायतों के जो इलेक्शन हैं वे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और पंचायत समितियों का चुनाव चुने हुए पंचों द्वारा या सरपंचों द्वारा और जो पंचायत समितियों के लिये चुने गये हैं उनके द्वारा जिला परिषद् का चुनाव होगा। एक राइट जो चार वर्ष पहले दे रखा था वह यों का यों ज़ारी रखा है। उनके अधिकारों में ज्यादा अन्तर नहीं है। लेकिन जहां हमने जिला परिषदों के लिये पंचों को इलेक्टोरेट्स मान कर चले, उनको वोट देने का अधिकार दिया वहां डीसेन्ट्रेलाइज़ेशन के पोइन्ट पर हम बैक आउट कर गये। सुविधा, सुविधा की रट के अन्दर हमने जो सुविधाजनक मार्ग अपनाया वहां हमने लोकल इलेक्टोरेट्स के सारे अधिकार वापिस ले लिये। सरकार ने जहां एक तरफ पंचायतों का निर्माण करके जनता को अधिकार दिया वहां पंचायत समितियों का इलेक्शन न मान कर एक्स

(श्री भैरोंसिंह)

ऑफिसियो मेम्बर हो सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करके इलेक्शन के अन्दर इलेक्टोरल कॉलेजेड बनाये और जितने भी मेम्बर हों वे सब उसके इलेक्टोरेट हो सकते हैं। उसमें होगा क्या कि हर आदमी चुना हुआ होगा और जो पंचों के साथ बैठता है उसका संबन्ध भी एक एक ग्राम पंचायत के पंच से होगा। इतना संबन्ध होने पर मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि विकास के काम में समन्वय होगा। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या कि एक दफा चुनकर जो जिला परिषदों में चले गये उनका संबन्ध जनता से छूट गया। उनका सम्बन्ध पंचों से टूट गया। पंचायत समिति के सदस्यों से टूट गया क्योंकि उन पर कोई रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं रही। ५ व्यक्तियों के हाथ में रेस्पोन्सिबिलिटी आ गई जिसके लिये दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

चाहिये यह कि डाइरेक्ट नहीं जनता से करवा सकते तो पंचों से पंचायत समिति का निर्माण करावें, ज़िला परिषदों का निर्माण करावें ताकि सारे मेम्बर उन लोगों प्रति उत्तरदायित्व पूर्ण काम कर सकें, उनके उनके प्रति अच्छे सम्बन्ध रहें और हमारे जन कल्याणकारी कार्यों की प्रगति भी हो। अगर ऐसे नहीं हुआ तो मैं यह निश्चित रूप से कहता हूं कि चुने हुए एजेन्ट या प्रतिनिधि जो इनमें पहुंचेंगे गैर जिम्मेदार लोगों की तरह से भी काम कर सकते हैं। वे इलेक्टोरेट के प्रति कॉन्फिडेन्स निर्माण नहीं कर सकेंगे। जन संपर्क में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी और आपके योजना के काम में रूकावटें भी पैदा हो सकती हैं।

मैं यह चाहता था कि जिस प्रकार का सरकार का दृष्टिकोण है कि इन कामों में सबका सहयोग लेना चाहिये और सहयोग के दृष्टिकोण से ही डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का क्वेश्चन भी स्वीकार किया। पर मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यह सहयोग तभी मिलेगा जब राजनैतिक दलबन्दी इसमें न रहे। आपकी पार्टी-पोलिटिक्स इसमें न रहे। दलबन्दी की पोलिटिक्स का इसमें नाम निशान तक न रहे। तब तो ऐसा दृष्टिकोण आ सकता है कि उन विकास के कामों में रेवेन्यु के कामों में, जुडिशियरी के कामों में, हर प्रकार के जन हित के काम में पार्टी का दृष्टिकोण नहीं रहेगा पर एक सही चीज का दृष्टिकोण रहेगा। पर आज चाहे मैं भी कहूं कि पार्टी-पोलिटिक्स से ऐसा नहीं होगा तो भी यह सही नहीं होगा। मुझे भी और सरकार को भी यह स्वीकार करना पड़ेगा और स्वीकार करते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, माननीय मन्त्रीजी को भी स्वीकार करना चाहिये यह प्रिन्सिपल कि इन कामों में पार्टी-पोलिटिक्स नहीं आनी चाहिये। एक राय से हम सब द्वारा स्वीकार करने के बाद भी डेमोक्रेसी में पार्टियों का, राजनैतिक पार्टी-पोलिटिक्स का एग्ज़िस्टेन्स तो रहता ही है और है और लाज़िमी भी है।

एक राय से काम करने के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बावजूद भी इसको हमें मानना पड़ेगा कि हम अभी इतने एड्वांस नहीं हुए हैं कि मासेज़ में इस बात को एस्टेब्लिश कर दें कि लोकल यूनिटों में कम से कम पार्टी-पोलिटिक्स का हाथ न रहे। जितनी कोशिशें इस दिशा में हम ने, सरकार ने आज तक की है वह फाल्स रही हैं, नाकामयाब रही हैं और यहां तक हुआ है कि इसी के आधार पर, इसी पार्टी-पोलिटिक्स के आधार पर कई जगह के चुनावों तक को स्थगित करना पड़ा है। इस

(श्री भैरोंसिंह)

अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि पार्टी पोलिटिक्स इन लोकल यूनिटों में से दूर नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में जो पार्टी उठती हैं इन लोकल यूनिटों में उन सब का आपस में किस प्रकार से सहयोग लिया जाय, इस दृष्टिकोण को हमें अपनाना पड़ेगा। आज यहां सदन में १७६ की संख्या में से विरोधी दल में ५७ हैं उधर १२० हैं। उस स्थिति में आज कोई चाहे कि किसी कमेटी का इलेक्शन हो और मेजोरिटी के आधार पर करने का डिसीज़न लिया जावे और उसमें अपोजीशन के मेम्बर चाहें कि वे किसी भी कमेटी में लिये जा सकें तो अपोजीशन के मेम्बर किसी भी कमेटी में बहुमत के आधार पर एक भी मन्जूर नहीं हो सकते। पर इस बात को सामने रख कर कि अपोज़ीशन का कोऑपरेशन लेना है, कमेटी के मेम्बर उनको भी बनाना है ताकि वे अपने व्यूज को वहां वेन्टीलेट कर सकें तो इस दृष्टिकोण को जब हमने सामने रखा तो हमेंने नियम की व्यवस्था इस प्रकार की कि अपोज़ीशन को अकोमोडेशन देने के लिये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनाव कराये जावें। इसका सुबूत है हमारे यहां की जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति आदि समितियां। यदि इनमें मेजोरिटी के आधार पर मेम्बर लिये जाते तो एक भी विरोधी पक्ष का सदस्य इनमें नहीं आ सकता था पर चूंकि विरोधी पक्ष एकोमोडेट करना था, उनका सहयोग वांछित था इसलिये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर चुनाव कराया गया और इसका परिणाम यह है कि इन कमेटियों में भी तीन, तीन, चार, चार आदमी विरोधी पक्ष के भी दिखाई दे रहे हैं।

इसी सिद्धान्त पर हमें इस मामले को भी लेना होगा। पंचायत समिति और ज़िला समितियों का निर्माण निश्चित रूप से राजनैतिक आधार पर होगा। वे अब भले ही जनता को भ्रम में डालने के लिये या बरगलाने के लिये कह दें कि पार्टी-पोलिटिक्स यहां नहीं होगी पर मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह सम्भव नहीं है। आज की डेमोक्रेसी में ये लोकल यूनिट बड़े महत्व के हैं। इनका बहुत बड़ा महत्व है इनके आधार पर आज लेजिस्लेचर्स और पालियामेन्ट के चुनाव निर्भर करते हैं। इन लोकल यूनिटों के सहारे से वे ये चुनाव लड़ते हैं, इनका बहुत बड़ा सहारा होता है और उस सहारे को कोई भी खो नहीं सकता। इसलिये मज़बूर होकर, सामने स्पष्ट रूप से भले ही न हो पर छिपे रूप से इनमें राजनीति का प्रवेश करावेंगे। इसलिये ज़िला परिषद् या पंचायत समितियों के चुनावों में राजनीति का रंग निश्चित रूप से आवेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। बहुमत के आधार पर अगर चुनाव हुए तो विरोधी पार्टी के लोग उनमें एक भी नहीं आ पावेंगे और जब वे नहीं आ पावेंगे तो डीसेन्ट्रलाइज़ेशन और विकास के दृष्टिकोण को आड में लेकर वे पार्टियां जिनका रिप्रेजेन्टेशन उनमें नहीं हो पावेगा हमेशा छल–छिद्र या आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी द्वारा यह प्रयास करती रहेंगी कि जो पंचायत समितियां या ज़िला परिषदें बनाई गई हैं उनका अमुक काम ठीक नहीं, उनमें अमुक प्रकार का सुधार होना चाहिये, उसमें यह होना चाहिये, वह होना चाहिये। कई प्रकार की ऐसी दिक्कतें और अड़चनें वे खड़ी करेंगे। उनमें आपस में मन मुटाव होगा। अगर उनकी कभी कोई सही बात भी

(श्री भैरोंसिंह)

हुई, सही सुझाव भी हुआ तो, जो पार्टी पॉवर में आई है वह उसको भी नहीं मानेगी । इस प्रकार की बातें रोज़मर्रा की बातें हो जावेंगी और जहां उनका दिमाग और शक्ति रचनात्मक कामों में लगनी चाहिये वहां उसमें नहीं लगकर अन्य दिशा में उनकी शक्ति का अपव्यय होगा । इन सारी चीज़ों को खत्म करने के लिये यदि हर व्यक्ति या हर समूह का रिप्रेजेन्टेशन उसमें रहता है तो इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ अपने आप समाप्त हो जावेंगी । जो कुछ उनका दृष्टिकोण हो सकता है या जो कुछ उनके इलेक्टोरेट की मंशा हो सकती है वह अच्छी तरह से ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों में रखी जा सकती है । इसलिये इस प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन के सिद्धान्त को स्वीकार करना पड़ेगा । पंचायतों के पंच इलेक्टोरल कॉलेज़ डिमान्ड करेंगे । उनके द्वारा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन के बेसिस पर पंचायत समिति का निर्माण होगा और उसके द्वारा प्रोपोर्शनेट रिप्रजेन्टेशन के आधार पर ज़िला परिषद् का निर्माण होगा ताकि एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखने का दृष्टिकोण पूरा हो और आपसी सम्बन्धों में भी किसी प्रकार की खराबी न हो, अनावश्यक आलोचना न हो और इसके द्वारा जो मन्तव्य हम पूरा कराना चहाते हैं उसमें भी बाधा उपस्थित न हो । यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया तो जो कोऑपरेशन हम चाहते हैं हर क्षेत्र के, हर भाग के, हर पार्टी के लोगों का विकास के कामों में तो वह हमें मिलेगा और निश्चित रूप से इससे लाभ होगा ।

अध्यक्ष महोदय, पहले जहां तक तहसील पंचायत का प्रश्न पैदा होता है या पंचायत समिति का प्रश्न पैदा होता है सरकार ने एक सिद्धान्त स्वीकार किया है कि जितने भी तहसील पंचायत और पंचायत समितियों के क्षेत्र हैं उन सब को ब्लॉक्स में विभाजित किया जावेगा । मैं इसे अच्छा समझता हूं कि सारे राजस्थान को ब्लॉक्स में विभाजित कर दिया जावे । पर कुछ दिन पहले विधान सभा में प्रश्न पूछा गया था जिसके द्वारा सरकार की ओर से आश्वासन मिला कि राजस्थान में पूरे १६६२ तक सारे एरिया को ब्लॉक्स एरिया में कवर किया जावेगा । अब प्रश्न पैदा यह होता है कि हम एक पंचायत समिति का निर्माण करते हैं और इसलिये करते हैं कि उसको कुछ सत्ता दी जावे और उसके द्वारा जो ब्लॉक में विकास कार्य होनेवाला है वह अपने द्वारा करे । अब स्थिति यह होगी कि नॉन ब्लॉक्स एरिया जो १६६२ तक रहेगा उसको किसी ब्लॉक एरिया में डिमार्केट कर सकते हैं जनरली कि उस एरिया का फलां फलां ब्लॉक का एरिया यह होगा । डिमार्केशन कर सकते हैं । पर इसके बाद पड़ोसी का एलोकेशन है वह पंचायत समिति को नहीं मिलेगा, न ब्लॉक को मिलेगा ? तो एक पंचायत समिति जो ब्लॉक एरिया में है वह दूसरे ढंग से काम करेगी और जो नॉन ब्लॉक एरिया में है वह दूसरे ढंग से काम करेगी और यह मौजूदा रूप ३वर्ष तक रहेगा क्योंकि १६६३ में आप सब एरिया में सम्मिलित कर सकेंगे और १६६२ में अभी तीन वर्ष बाकी हैं। इसका मतलब यह समझें कि यह एरिया ऐसा रहेगा जो ब्लॉक एरिया में शामिल नहीं किया जावेगा। अब सारे ब्लॉक १६५६ में खोल दिये जावें यह भी नहीं कह सकते, १६६० में खोल दिये जावें यह भी नहीं कह सकते चाहे पिछली बार पंचवर्षीय योजना में आश्वासन दिया हो पर वह पूरा नहीं कर सकते।

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

इसलिये अब कहते हैं कि इसको १६६२ तक एक्सटेन्ड किया जावे। अब इसके लिये भी केटेगोरिकली एश्योरेन्स देना पड़ेगा कि जो नॉन। ब्लॉक एरिया है उसमें फुल तहसील का नॉन ब्लॉक एरिया है उसको १६६० की फरवरी में ब्लॉक में ले लिया जावेगा। कुछ एरिया १६६१ में ले लिया जावेगा। यह जो अनसर्टेन्टी का एटमोस्फियर है उसे खत्म करना पड़ेगा ताकि लोग उत्साह लेकर आगे बढ़ें और काम करें। पर अब तक के फैक्ट्स ये रहे हैं कि जहां आवश्यकता हुई अपनी मर्ज़ी का काइटेरिया बना कर सरकार ने ब्लॉक खोले हैं चाहे नम्बर किसी दूसरे क्षेत्र का आता हो। चाहे काइटेरिया के अनुसार भी वहां खोलना आवश्यक था पर उसकी अवहेलना करके उस काइटेरिया के अनुसार नीचे रहते हुए भी अपने कृपापात्रों के एरिया में खोल दिया। अब आगे भी ऐसा दृष्टिकोण पंचायत समितियों में रखेगी यह तो इससे सरकारने पंचायत समितियों में जिनमें खोलना चाहिये था सरकार के काइटेरिया के हिसाब से भी और उसमें नहीं खोला ब्लॉक तो इससे डिससेटिसफैक्शन पैदा होगा। इस असन्तोष से संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और उस संघर्ष को लेकर सरकार के मुकाबले में वे आवेंगी। नॉन ब्लॉक एरिया की पंचायतें संघर्ष करेंगी और उसमें एटमोस्फियर आप जैसा चाहते हैं वैसा पैदा नहीं होगा और असन्तोष के फीलिंगर्स बढ़ती जावेंगी।

कहीं कहीं तहसील पंचायतें पूरी की पूरी ब्लॉक में हैं, कहीं नहीं हैं और कहीं कुछ हिस्सा ब्लॉक में है कुछ नॉन ब्लॉक में है। उस स्थिति में कम्पोजिट ब्लॉक में नहीं होने से वे योजना के कार्यों को प्रगति नहीं दे सकेंगे। पर जहां नॉन ब्लॉक एरिया और ब्लॉक एरिया में पंचायत समितियां जावेंगी नॉन ब्लॉक एरिया में किसी भी ऑर्डर में हेरफेर हुआ तो निश्चित रूप से जो सरकार का सहयोग लेना है वह नहीं मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा यह विवादास्पद भले ही रहे पर संघर्ष अवश्य चालू हो जावेगा। उस संघर्ष को दूर करने के लिये उसमें एक शिड्यूल तैयार करें। शिड्यूल तैयार करके बतायें कि राजस्थान के अन्दर ब्लॉक्स में इतना एरिया और नॉन ब्लॉक्स इतना एरिया में है और इस एरिया में फलां फलां क्षेत्र जिसको डिमार्केट किया है वह एरिया फलां फलां महीने और फलां फलां सन् में ब्लॉक में शामिल कर लिया जायेगा। यदि इस प्रकार का एश्योरेन्स दिया तो यह संघर्ष में जो हमारी एनर्जी वेस्ट होनेवाली है वह इसमें वेस्ट नहीं होगी बल्कि हम उसका उपयोग कर सकें ताकि हम लोग उस ज़ील से काम करें कि सन् १६६० में हमारे क्षेत्र में ब्लॉक खुलनेवाला है और उसके ग्राउन्ड को बेस बनाकर आज जिनके ऊपर जो विशेष सुविधाएँ ब्लॉक्स में मिलती हैं उनके प्राप्त होते ही हम आगे बढ़ें और दूसरों के मुकाबले में खड़े हो जायें: लेकिन मैं इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं समझता हूं।

१०. ३१. म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चौथा प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक आता है तहसील पंचायतों के बारे में। तहसील पंचायतें और पंचायत समिति इनके

(श्री भैरोंसिंह)

हमने कुछ फंक्शन्स अलग अलग किये हैं। तहसील पंचायत का जहां तक काम है हमने उसको कुछ जुडिशियल पॉवर्स दी हैं और हमने कुछ उसको हमने कुछ रेवेन्यू पॉवर्स दी हैं, उसको सुपरवाइज़री पॉवर्स भी दी हैं टैक्सेशन के पॉवर्स भी हमने दिये हैं। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के अधिकार हमने तहसील पंचायतों को दिये हैं। अब उनके अधिकार के अन्दर हम पंचायत समितियों का निर्माण करते हैं। पंचायत समिति डवेलपमेन्ट का काम करती हैं, यह मानकर यदि हम चलें तो एक तहसील के अन्दर एक पंचायत समिति जो कि डवेलपमेन्ट का काम करती है और एक है तहसील पंचायत जो कि पंचायतों की अपीलें रेवेन्यू मेटर्स या जुडिशियल मैटर्स में आती हैं उसकी वह अपील सुनेगी। जहां तक ये दोनों मोटी बातें हैं वहां तक तो मतभेद नहीं हो सकता लेकिन उनमें यह स्थिति जब पैदा होगी जब कि पंचायतों के ऊपर कन्ट्रोल होगा। एक तरफ तो कन्ट्रोल होगा तहसील पंचायतों का और दूसरी ओर कन्ट्रोल होगा पंचायत समितियों का। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पंचायत के ऊपर दो का अधिकार। जो अधिकार हमने बांटे हैं उनसे मालूम होता है कि डवेलपमेन्ट के काम के लिए दोनों ही रेस्पोन्सिबल हैं। लेकिन एक की रेस्पोन्सिबिलिटी लेकर केवल पंचायत समिति को यह अधिकार दिये हैं लेकिन डवेलपमेन्ट के काम के अलावा जो एग्ज़ीक्यूटिव, रेवेन्यू या इसी प्रकार के अधिकार हैं वे तहसील पंचायत के हाथों में रहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि एक पंचायत के ऊपर हम दोहरे अधिकारी या दोहरी सत्ता का निर्माण करें तो ऐसी स्थिति में यह विचार करना पड़ेगा कि क्या आज की स्थिति में पंचायतें पनप सकती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब तक हम कानून में संशोधन नहीं लायें और उसकी सही ट्रेनिंग नहीं दें तब तक जो दोहरी सत्ता रहेगी उसका मुकाबला स्थानीय पंचायतें नहीं कर सकेंगी। इसलिए उनके ऊपर अतिरिक्त भार आवेगा और उस अतिरिक्त भार दूर करने के लिए मैं ऐसा समझता हूं कि हमें इसमें कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। वह व्यवस्था अब किस प्रकार से हो सकती है ? व्यवस्था जिस प्रकार से यू० पी० ने की है वह इस प्रकार से हो सकती है जिस प्रकार से बलवंतराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में कुछ उल्लेख आया है। जब कि विकास के काम हमने दोनों ही पंचायतों को दिये हैं तो पंचायत के पास जुडिशियल काम रहता है तो वह यह तो केवल जुडिशियल मैटर्स में जिम्मेदार रहें और बाकी के कामों के लिए दूसरी पंचायतों का निर्माण हम कर दें। लेकिन जहां तक जुडिशियल मैटर्स का सम्बन्ध है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो और कोई दोहरी सत्ता उसके ऊपर हस्तक्षेप न कर सके इसलिए ज्यादा से ज्यादा उनको हमें इन्डीपेन्डेन्स देनी होगी और वह इन्डीपेन्डेन्स तभी हो सकती है जब कि पंचायतें यह महसूस करने लगें कि जो कानून बने हुए हैं वे इम्पलीमेंट करने हैं। यदि इम्पलीमेंटेशन में गल्तियां रहे तो डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन यहां पर तो एक ही पंचायत को जुडिशियल और डवेलपमेंट के काम दे दिये। अब डवेलपमेंट के कामों में झगड़ा होगा, लैण्ड एक्वीज़ीशन का झगड़ा आ सकता है, टैक्स लगानेके बारे में झगड़ा आ सकता है। ज़ीरे के ऊपर, धनिये के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है

(श्री भैरोंसिंह)

और मिर्च के ऊपर लगाया जा सकता है। पंचायतों को कॉमर्शियल टैक्स लगाने का प्रावधान रखा है। अब ऐसे टैक्स लगाने के काम को पंचायत समिति के अन्दर जिसने ऐसा टैक्स लगाया है वहां के लोगों में संघर्ष पैदा होते हैं तो निसन्देह है कि आज आदमी इतने जागरूक नहीं हुए हैं कि वे उस रिएक्शन को दिमाग में न रखें और कोई भी जुडिशियल मैटर का काम आ जाये तो उसके काम को पूरा न करें। इसलिए जहां तक हम ऐसा समझते हैं कि हम अभी बचपन में हैं जहां हम बचपन में हैं वहां हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कभी भयंकर गलती नहीं हो जाये और वह भी जुडिशियल काम में गलती न हो जाये इसमें सावधानी बरतें।

तो इस सदन को स्वीकार करना चाहिए कि एक तो हमें एग्ज़ीक्यूटिव पंचायत की स्थापना करनी चाहिए और एक जुडिशियल पंचायत की स्थापना करनी चाहिए जो कि केवल जुडिशियल ऑफिसर्स के थ्रू जुडिशियल तहसील पंचायत के होगी और बाकी का हस्तक्षेप उसमें नहीं होगा। यह हो सकता है कि उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो। अब प्रश्न फिर पैदा होगा कि यदि चुनावों के आधार पर यह जुडिशियल पंचायतें बनाई तो चुनावों में पार्टी का दृष्टिकोण होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। मैं मेरे गांव में यदि जुडिशियल पंचायत के लिए खड़ा होता हूं और अपने लोगों से वोट मांगता हूँ और मेरे कार्यकर्ता मुझे वोट देते हैं तो निश्चित रूप से मेरे में इतनी वीकनैस है कि मैं अपने इलेक्टोरेट के प्रति रेस्पोन्सिबल हूं। अब मैं कहां तक रेस्पोन्सिबल हूं यह प्रश्न है मेरे से सम्बन्धित अलग अलग व्यक्तियों का। अब मैं इतना रेस्पोन्सिबल हूं कि मैं उनके सार्वजनिक हितों का ध्यान रखूं। मगर कोई अपना व्यक्तिगत हित लेकर आये तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ करता है और उसका केस पंचायत के सामने आता है तो मेरा दृष्टिकोण यह रहेगा कि उसने मुझे वोट में मदद दी थी और जो न्याय मैं दे सकता हूँ वह नहीं दे सकूंगा। इसलिए हमें इस सदन में स्वीकार करना पड़ेगा कि इन सारी अड़चनों को दूर करने के लिए जुडिशियल और एक्जीक्युटिव पंचायतें अलग अलग होनी चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो हम जुडिशियल पंचायतों का चुनाव नहीं करा कर डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल सेशन्स जज को अधिकार दे दें कि जो अच्छे अच्छे और जुडिशियल माइन्डेड आदमी हैं और कानून को जो अच्छी तरह इन्टरप्रेट कर सकें इस तरह के दो, तीन व्यक्तियों को नोमीनेट करके जुडिशियल पंचायतें बना दी जायें। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यू०पी० का जो इस प्रकार का एक्सपीरियेन्स है और उसको सही माना है वही एक्सपीरियेन्स राजस्थान में भी लाभदायक सिद्ध होगा। यदि यह नहीं किया गया तो मैं ऐसा समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि शायद जुडिशियल और एग्ज़ीक्यूटिव के झगड़ों में स्थानीय पंचायतें, पंचायतसमितियां, तहसील पंचायत और ज़िला परिषद् इनके अन्दर आपस में वैमनस्य फैल जायेगा और एक दूसरे को सत्ता के बारे में कई प्रकार की अड़चनें पैदा हो जायेंगी।

यह ज़रूर है कि सरकार ने इसको महसूस किया है और शायद कुछ आधार उन्होंने ऐसे रखे हैं कि स्थानीय पंचायतें और पंचायतों में झगड़ा हो जायेगा तो उनका निबटारा कौन करेगा।

Page No.51

(श्री भैरोंसिंह)

पंचायत समिति और पंचायत में मान लीजिए कोई डिमार्केशन के बारे में झगड़ा हो जाये या कोई अन्य झगड़े हो तो उनका फैसला कौन करेगा ? तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार ने इसको महसूस किया है लेकिन जो उसका निदान होना चाहिए और जो उपचार होना चाहिए वह उपचार नहीं किया है बल्कि निदान करके छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकार की बीमारी भयंकर हो सकती है यदि उसका सामयिक उपचार नहीं किया गया तो।

ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जो माननीय मुख्य मन्त्री ने बातें रखी हैं उनके सम्बन्ध में यही निवेदन करूंगा कि अच्छा तो यह होता कि इस बिल को जनता की ओपीनियन जानने के लिए भेजते और पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजने में यह बात अवश्य है कि जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय अपने २ अक्टूबर के भाषण में ज़िला परिषद् का आश्वासन दिया है वह शायद पूरा न हो सके, इस प्रकार की भावना इसमें आ सकती है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि एक महीने का टाइम देकर हम पब्लिक ओपिनियन इस संबंध में मांगे तो निश्चित रुप से वेल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। आपकी केवल यह भावना है कि विधान सभा पब्लिक की रिप्रेज़ेन्टेटिव बॉडी है इसलिये पब्लिक को पूछने की आवश्यकता नहीं है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि लीडर ऑफ दी हाउस सारी विधान सभा के प्रतिनिधि हैं इसलिये उन्होंने जो कानून बना दिया उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्यंकित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जनता की राय ली जाय और एक महीने के अन्दर अन्दर राय ली जाय। उसके बाद सलेक्ट कमेटी हम अपॉइन्ट करदें। वह सेशन के बीच में चार, पांच दिन तक बैठ कर विचार कर ले और अपनी रिपोर्ट हाउस के सामने पेश करदें। फिर हाउस जैसा उचित समझे वैसा निर्णय ले ले। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि श्री पी. के. चौधरी ने जो संशोधन पेश किया है उसको सदन स्वीकार करे।

ठा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये सदन के अंदर जो विचार हो रहा है उसके विरोध में मुझे कुछ कहना है। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में यह कह सकते हैं कि उसका पूरा पूरा पालन कौन करेगा यदि उनको यह पता नहीं होगा कि यह कानून क्या है तो मैं समझता हूं कितने अन्याय की बात यह होगी ? जिनको कानून का पूरा ज्ञान होना चाहिये, जो कानून उन पर लागू होगा उस व्यक्ति को यह पता नहीं कि उसके लिये क्या कानून बन रहा है, वह ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं, पंचायतवाले इसको ठीक समझते हैं या नहीं, जनता उसको ठीक समझती है या नहीं, इस बारे में जब तक जनमत न हो, जब तक जनता के सामने नहीं जावे, तब तक मैं समझता हूं इसे पास करना उचित नहीं होगा। क्योंकि जनता के लिये कानून बना कर उन पर थोपा जावेगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। उनको कोई विशेष अधिकार नहीं मिल रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में बेगार के लिये कानून बनाये जाते थे और लोगों को कहा जाता था कि देखो यह तुम्हारे ही घर का काम है, तुमको पॉवर देते हैं, ठीक तरह से काम करना लेकिन तुमको इतना बोझ

Page No.52

(ठा० श्री मदनसिंह)

उठाना पड़ेगा, इस तरह से काम करना पड़ेगा। इसी तरह के पॉवर आज दिये जाते हैं। या तो यह जनमत के लिये जायेगा या सलेक्ट कमेटी के लिये जायेगा इसलिये डिटेल में अभी इस पर बहस करना ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां पर इसमें कुछ परिवर्तन अवश्य होगा उसके बाद ही डिटेल में बात कर सकते हैं। लेकिन प्रिन्सिपल के बारे में मैं कहता हूँ कि आज जो कुछ पॉवर जनता को देनी थी वह सारी की सारी सरकार के पास है और अलग अलग कानून बने उस समय हमने कहा था कि जनता को पॉवर देनी चाहिये। म्यूनिसिपल बिल के समय भी हमने राय दी थी कि जनता को अधिक अधिकार मिलने चाहिये लेकिन उस समय भी यह कहा गया कि टैक्स पर विचार करने का, म्यूनिसिपेलिटी को भंग करने आदि के अधिकार गवर्नमेन्ट के पास रहने चाहिये।

मैं एक छोटी सी मिसाल सदन के सामने उपस्थित करूंगा उससे सभी माननीय सदस्य समझ जायेंगे कि कौनसी पॉवर देना चाहते हैं कौनसी नहीं। वह मिसाल एक शिकारी के बारे में है, शिकार के जरिये किस तरह से वह अपना काम निकालता है। एक आदमी था वह गांव में गया और कहा कि आप लोगों में से जो बड़े शिकारी हैं वे मेरी मदद करें। मुझे अमुक अमुक चीजों की ज़रूरत है। वे जंगल में शिकार के लिये गये और उसने कहा कि ५ चीजों की मुझे ज़रुरत है। एक लावा, एक तीतर, एक रोज़, एक छोटा सा जानवर जिसे राजस्थान में कहते हैं पिदिया की। तीन, चार गांव वालों ने मिल कर उस शिकारी को शिकार में कामयाब कर दिया और वे जब घर आनेवाले थे तब वे सभी चीजें शिकारी के साथ में थी। अब शिकारी का मन बदलता है। उस समय वह यह नहीं समझता कि उसने किसकी मदद ली है। वह कहता है तीतर घर के भीतर, लावा कंवर कलेवा। रोज बड़ासा माना और मण भर का पिद्द रहना। तीतर को घर के भीतर करो, मेरे कंवर का कलेवा होगा। रोज का और मण भर का पिद्दा गांव वालों को दे दिया। इसी तरह जब हम चुनाव लड़ते हैं। भारत की आज़ादी इस देश मे हुई थी इसलिये कि जनता राज्य करेगी। आज होना तो यह चाहिये कि जनता कानून बनावे और एसेम्बली के मेम्बर्स उस पर चलें। लेकिन शायद जनता इतनी काबिल नहीं है इसलिये आज पूरे के पूरे अधिकार गवर्नमेन्ट को हैं और जनता को केवल देखने मात्र के लिये कानून यहां से बना कर दे दिये जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, शायद सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि मैंने एक रिज़ोल्यूशन रखा था सरपंच और पंच....

श्री उपाध्यक्ष : We are not to discuss the resolution which the House has discussed before.

ठा० श्री मदनसिंह : मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि कैसे जनता के अधिकारों का हनन होता है और ढोंग बना रहे हैं कि हम जनता को अधिकार देते हैं। जिस समय चीज़ रखी जाती है पूरा हाउस अपोजीशन करता है। आज कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उस समय अपोजिशन किया गया था, एक सरपंच या पंच पुलिस कस्टेडी में अन्याय होता है तो उसको देख नहीं सकता तो मैं पूछता हूं कौनसा पॉवर दिया जाता है ? पॉवर दो तीन तरह के होते हैं। एक सोशियल, एक इकोनोमिक और तीसरा जस्टिस। ये तीनों

(ठा० श्री मदनसिंह)

मुख्य चीजें हैं, पब्लिक हित की हैं। मंदिरों के लिये कानून बना वह सोशियल वर्क था उसे पंचायतों के हाथ में देना चाहिये था, सारे मंदिरों का सुधार होता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो विषय है उस पर ही बोलें। जो विधेयक पास हो चुके हैं उनको बार बार सदन में लाने की इज़ाज़त नहीं है।

ठा० श्री मदनसिंह : सारी जनता पर जो अन्याय होता है उसकी मिशाल देना मेरा फर्ज़ है।

श्री उपाध्यक्ष : I have given my observations. The Hon'ble Member will please confine himself to the question itself.

ठा० श्री मदनसिंह : किन किन चीज़ों का अधिकार है यदि इस पर नहीं बोल सकता तो बोलूंगा किस पर ? इसलिए डिटेल में नहीं जाकर जो जनता का अधिकार था जिससे सोशियल अपलिफ्ट कर सकें, इकोनोमिक अपलिफ्ट कर सकें, जुडिशियरी में बढ़ सकें। ये यदि नहीं रखे जाते हैं तो यह बेगार है। ऐसे कानून के लिए सोचना समझना तक किसी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो अधिकार जनता का था जिसको देख कर महसूस करते कि आज हमको आजादी मिली है, हम कुछ कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चीज होनी चाहिए उस तरह की चीज नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जनता के पास जरूर जाना चाहिए और वह (जनता) यह बतावे कि कौनसी त्रुटियां इसमें हैं। हम अपने ढंग से करें। इसी तरह से चुनाव के सम्बन्ध की चीज है। मैं इस ओपीनियन का हूं कि चुनाव जनता से होना चाहिए। मैं ऊपर से थोपे जानेवाले मेम्बर्स के पक्ष में नहीं हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : ऊपर से कहां थोपे गये ?

ठा० श्री मदनसिंह : यह तो लोगों का ऐसा ऊपर से विचार है।

श्री उपाध्यक्ष : अन्दर क्या लिखा है इसका ख्याल नहीं है।

ठा० श्री मदनसिंह : मैंने इसे पूरा पढ़ा है लेकिन डिटेल में नहीं जाकर केवल ऊपर की बातों को अर्ज कर रहा था। ब्लॉक्स में भी कमी है, पूरा डिपार्टमेंट है, इतना खर्चा भी हो रहा है और उसके बावजूद भी सारा बेगार मान कर रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि पब्लिक के डवेलपमेंट में इमदाद देना हमारा काम है लेकिन सारा काम गवर्नमेंट की मशीनरी को सौंपा गया है और बेगार का काम जनता को सौंपा गया है। जिस सत्ता को जनता चाहती है वह सब आपके हाथ में है। जनता चाहती है कि वह आपको हटा सके।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सत्ता जनता को दी हुई है।

ठा० श्री मदनसिंह : आज यदि यह अधिकार होता, पंचों या सरपंचों को अधिकार होता कि एसेम्बली के मेम्बर्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा सकें तो

(ठा० श्री मदनसिंह)

अच्छा रहता। गवर्नमेंट अपने ऑफिसरों द्वारा थोपा गया कानून बना देती है उसी के माफिक चलना पड़ता है। इस कानून के माफिक उनको चलना पड़ेगा। कई पंचायतों में हम सुनते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां लडती हैं। वे लड़ कर क्या करती हैं? जो भी कानून सरकार थोपती है, चाहे जनसंघ की पंचायत हो चाहे किसी दूसरी पार्टी की हो वह कानून के अनुसार चलती है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह देखना चाहिए कि कानून की मंशा को जनता समझती है या नहीं समझती है, वह उस कानून को बरदाश्त कर सकती है या नहीं; उसके अनुसार काम कर सकती है या नहीं, पंचायत को चलानेवाले कानून को समझते हैं या नहीं। जब तक उनकी राय न हो, कानून थोपना उचित नहीं है। मैं समझता हूं देश में बड़ी अच्छी अच्छी राय दे सकते हैं। बड़े बड़े कानून देश में हैं उनको लगा सकते हैं, उन कानूनों के अनुसार काम चला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक जनता से नहीं पूछा जाय तब तक कानून नहीं रखा जाय। मैं समझता हूं कि जैसी प्रजातन्त्र में एक कहावत है वह है कि प्रजा का ही राज्य है, हम तो प्रजा के नौकर हैं। प्रजा मालिक है हम तो नौकर हैं। मैं समझता हूं कि नौकर कानून बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। नौकर व्यवस्था नहीं देता है, नौकर को वह हटा सकता है जो उसका मालिक है। मैं समझता हूं कि यह प्रचारार्थ अच्छी चीज़ है कि हमारी सरकार ने अपने अधिकार प्रजा को पूर्ण रूप से सौंप दिए हैं जनता के हाथ में सौंप दिए हैं, यह मंशा इस कानून के माफिक पूरी हुई है। लेकिन इस कानून के माफिक प्रजा को अधिकार मिला हो, ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए मेरा मत है कि यह प्रजा के समक्ष जाना चाहिए और जब तक पूर्ण रूप से प्रजा विचार नहीं करे तब तक मैं समझता हूं कि ऐसे कानून के ऊपर विचार नहीं होना चाहिए क्योंकि इस का पूरा कन्सर्न प्रजा में है और प्रजा को पॉवर मिली है। अब पॉवर देनेवाला कौन है, मुझे पता नहीं। क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि वह स्वयं पॉवरफुल है, उसको क्या पॉवर देनी है। इसलिए यह भी स्पष्ट हो जायगा कि जो पॉवर दी है उसका पालन कर सकेंगे या नहीं, यह व्यवस्था हो सकेगी या नहीं। हमारे यहां राजाओं के टाइम में भी कई व्यवस्था बनी थी। म्यूनिसिपेलिटीज़ भी राजाओं के समय में बनी थी और पंचायतें भी बनी थी लेकिन उनके लिए अपनी मर्ज़ी से कानून बना दिये जाते थे।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करते करते वापिस आरम्भ पर आ गये।

ठा० श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि आना ही चाहिए क्योंकि कोई चीज़ आप खत्म करना चाहते हैं तो आरम्भ से अन्त तक होती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ सिद्धान्त की चर्चा कर रहे हैं।

ठा० श्री मदनसिंह : अगर समझ में आये तो।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक का कलेवर छूट गया है।

ठा० श्री मदनसिंह : विधेयक का कलेवर तो माननीय महेन्द्रसिंहजी पंवार प्रस्तुत करेंगे।

(ठा० श्री मदनसिंह)

मैं समझता हूं कि जो सिद्धान्त की बात है उसके ऊपर चलना चाहिए और इसका क्या रूप होगा, उसका पता नहीं है । इसलिए जब तक प्रजा इसके ऊपर विचार नहीं कर लेती तब तक इस पर विचार नहीं करना चाहिए और इसको नहीं लेना चाहिए ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के समक्ष आया, मुझे इस बात की तो खुशी है कि जनसंघ के माननीय सदस्यों के दिल में भी यह इच्छा है कि जनता के पास अधिकार इस रूप के अन्दर हों । मुझे आश्चर्य यह हुआ कि इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह के पास जो अख्तियारात थे वे कम कर दिये गये हैं और आभास यह देने का प्रयत्न हुआ कि जो अधिकार थे वे कम किये जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि जहां सस्पेन्ड करनेवाली पॉवर इसमें रखी है उसकी भाषा थोड़ी सी मैं पढ़ दूं तो उचित होगा । उसमें कहा यह है कि :

"If at any time it appears to the State Government that a Panchayat Samiti or a Zila Parishad has failed to exercise its powers or perform its functions or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it by or under this Act or any other law for the time being in force, the State Government may direct the Panchayat Samiti or, as the case may be, the Zila Parishad to remedy such failure, excess or abuse or to give a satisfactory explanation therefore, and..."

And then all other action will be taken. तो इस बात को ख्याल में रखते हुए, सस्पेन्ड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आॅर्डर निकाल दे, इस बिल में पूरी तरह से देखेंगे तो ऐसी कोई मन्शा नहीं है । ऐसी बात है तो अमेंड की जा सकती है, उसके लिए जो डाइरेक्शन दिखाये गये हैं । ऐसी बात हो तो उसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता क्योंकि उसका बड़ा असर होने वाला है पूरे क्षेत्र में । तो मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य मानेंगे कि ऐसी इमरजेन्सी हो सकती है जिसमें सस्पेन्ड करने का सवाल आवे तो कोई न कोई आॅथोरिटी होनी चाहिए । जो खामियां करता है उसको सस्पेन्ड करने के बारे में जो पॉवर है उसको स्पेशल सर्कम्सटान्सेज़ में फंक्शन करें और किसी भी डिसेन्ट्रलाइजेशन में मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं होती है कि कोई पॉवर किसी में वेस्ट न करती हो और जो एक प्रकार की स्थिति पैदा हो उस पर एक्शन न ले सकें ।

हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट, सेन्ट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर, प्रेसीडेन्ट कहीं न कहीं पर इस प्रकार की पॉवर निहित रहती है, जिसकी वज़ह से चैक रहता है । डेमोक्रेसी में चैक्स रहा करते हैं । हमारी मन्शा नहीं है कि हम सुपरसीड़ करना और पोलिटिकल प्रेसर डालना चाहते हैं लेकिन ऐसी स्थिति, हालत पैदा हो जाय और एक्शन लेने की बात आवे तो एक्शन लेने की गुंजाइश होनी चाहिए, जिसके ज़रिये एक्शन लिया जा सके । एक्शन लेने के पहले एक्सप्लेनेशन लेने की बात है । अगर कोई बात गलत हो तो उसमें अमेंड़मेंड करने के लिए डाइरेक्शन दिये जाय, यह बात इसमें है । मैं निवेदन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करना चाहता हूँ कि यदि कोई इस बात को कहे कि हम विकेन्द्रीकरण नहीं करना चाहते हैं तो राजस्थान के अन्दर आज ऐसी हालत पैदा हुई नहीं हुई है जिसकी वजह से हमारे सामने डिसेन्ट्रलाइजेशन करने के लिए कम्पलशन खड़ा हो जाय, न ऑल इंडिया की सब स्टेट्स ने यह कर दिया है और राजस्थान ने न कर दिया हो जिसकी वजह से हमारे पर कम्पलशन आयेगा। हम खुद इस बात को मानते हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से बिल को लाया गया है।

दूसरा रहा सवाल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ज़िला परिषद् का, जिसके लिए कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं रखे हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि डिसेन्ट्रलाइज़ेशन के बारे में मूल में यह है कि हमारी पंचायतें ताकतवर बनें और इसके लिए यह ज़रूरी है कि पंचायत समिति नज़दीक से एक दूसरे से मिल कर कामकाज करें। इसलिए ज़िला परिषद् को सुपरवाइज़री और एडवाइज़री फंक्शन के लिए रखा है। इसके लिए बहुत नज़दीक ऑथोरिटी हो। इसलिए ऐसी इन्स्टिट्यूशन पैदा करना आवश्यक है। उस दृष्टि से यह बात रखी गई कि सरपंच हैं वे आपस में बैठ कर निर्णय करें और ज़िला परिषद् सुपरवाइज़री और एडवाइजरी फंक्शन करे और डिस्ट्रिक्ट के जो फंक्शन थे, वे पंचायत समिति को करने के लिए आज इसमें सौंपे जा रहे हैं।

अब और कुछ चर्चाएं इस सम्बन्ध में आई कि किस प्रकार इसका चुनाव हो, किस तरह के हम अधिकार दें और क्या करना है। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि खाली दिमाग रख कर सारी बातों के ऊपर हमें चर्चा करनी है कि डाइरेक्शन क्या क्या बनें और साधन ज्यादा हों और हमें लक्ष्य को सामने रख कर चलना है। तो कुल मिला कर पंचायतों को अधिक से अधिक ताकतवर बनाने के लिए कौनसा रास्ता ठीक होगा? उस रास्ते को ध्यान में रखते हुए इसमें दिया है कि जो कन्सोलिडेटेड फन्ड हैं, जो रेवेन्यू आदि ट्रान्सफर होने वाली हैं पंचायत समिति को जिससे काम करना है उसके लिए पंचायत समिति को सामूहिक रूप से निर्णय लेना चाहिए। अधिक से अधिक अधिकार पंचायत समिति को सौंपने के लिए सारे बिल में प्रावधान किये हैं। पंचायत समिति में सरपंच बैठ कर काम करें। अब पंचायत समिति के बारे में यह प्रश्न है कि पंचायत समिति के रूप में जो सरपंच डाइरेक्ट इलेक्शन से आते हैं उसकी बजाय इन्डाइरेक्ट तरीके से उसके अन्दर आयें तो ठीक है। दूसरे उपयुक्त व्यक्ति आयें तो ठीक है। अब जब कि हम जनतंत्रीय प्रणाली को विकेन्द्रित करते हैं तो हमें आशा करनी चाहिए कि जो जनता चुन कर भेजेगी वे ठीक होंगे और अगर हम सीमा निर्धारित करने लगें तो बहुत मुश्किल आयेगी, उलझनें आयेंगी, दिक्कतें पड़ेंगी। भारत का जो संविधान है और जो देश का शासन चलाते हैं वहां भी यह व्यवस्था इस दृष्टि को सामने रख कर निर्माण की गई है। जनता जिनको प्रतिनिधि बना कर भेजेगी वे सच्चे प्रतिनिधि हैं। अब इसमें कुछ गलती हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं लेकिन जो सच्चे आदमी हैं उनको जनता चुन कर भेजेगी....

११ म० पू०

इसमें जो १९६० है जिसमें सारी पंचायतों

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

की एक साथ पंचायत समिति बनेगी। उसमें जो टर्म रखा गया है उसमें माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा ख्याल है कि हमारी पंचायतों का जो आज एक तरह से स्वरूप है, जनसंख्या वगैरह है, दुबारा इन सब चीजों को देखना चाहते हैं। बड़ी पंचायतें होना जो विकेन्द्रीकरण और सहकारिता की तरफ कदम उठाना चाहते हैं उससे मेल नहीं खाती। छोटी पंचायतें होनी चाहिये। हजार, पन्द्रह सो की आबादी की सहकारी समिति भी बने तो आपस में कॉन्टेक्ट हो, एक दूसरे को जानने पर ऐसे संगठन बनाने चाहिये। वैसी पंचायतों का स्वरूप बनाने में, ढांचा बनाने में साल, दो साल का समय लगेगा। पंचायतें काम ही न करें, वह भी उचित नहीं होगा तो ऐसी दशा में जो पंचायतें हैं उन्हीं को रख कर काम करना चाहते हैं जो हमें आगे ले जावेंगी। इसमें और संशोधन की, चैंज की आवश्यकता होगी वे किये जा सकेंगे और जो दिक्कतें होंगी उन्हें ठीक किया जा सकेगा।

अब सवाल रहता है इन्डायरेक्ट चुनाव का। हमने यह व्यवस्था रखी है कि पंचायत समितियों के प्रमुख ज़िला परिषदों के एक्स ऑफिसियो हो जांय। उधर सरपंच हैं वे पंचायत समिति के एक तरह से सदस्य हो जांय। इसका मूल कारण है कि पंचायतों में जो काम होगा उसमें सरपंच प्रमुख पार्ट प्ले करता है। इसी तरह पंचायत समिति होगी उसके प्रधान खास तौर से जिम्मेदारी से काम करनेवाले रिप्रेजेन्टेटिव, तहसील पंचायत के रिप्रेजेन्टेटिव भी शामिल होंगे। पंचायत समिति में होंगे मेम्बर के तौर पर। तहसील पंचायत समिति के चेयरमैन हैं वे जिला परिषद में नहीं बैठते हैं और और ही आदमी कलेक्ट हो कर चले जाते हैं तो जिला परिषद् की राय होगी वह नीचे तक ठीक तरह से कन्वे नहीं हो सकती। नेशनल डवेलपमेंट की मीटिंग हो वहां विरोध किया जाय कि चीफ मिनिस्टर की बजाय सदन चुनेगा वह वहां जा कर बैठेगा तो यह विरोधाभास होगा। जो इम्प्लीमेंट करनेवाला है वह नहीं रखा जाय तो कॉम्प्लीकेशन्स होंगे। इस बात की गुंजाइश मिल जाती है कि जो व्यक्ति चुने गये वे पंचायत परिषद् के सभापति हो गये। जिला परिषद् के अधिकारों में सुपरवीज़न और एडवाइज़र की बात इसलिये रखी है, यह नहीं है कि ऑथोरेटेटिव बॉडी की तरह काम करे, उनको मौका देकर डवेलपमेंट करने देना चाहिये। यह सारी कल्पना इस पर है इसलिये डायरेक्ट इलेक्शन से सरपंच आयें उनको रखा गया है। पंचायत समिति में सरपंच हैं, एम. एल. एज. भी जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या एम. पीज. भी जायेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : अपर हाउस के मेम्बर्स की क्या पोज़िशन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे मेम्बर हैं।

श्री होतीलाल : But from which constituency ? Of which District he will be a member ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे खुद

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

तय कर लेंगे, एक ज़िले में जिसमें रहना चाहें रह सकते हैं, सब में नहीं।

तो ज़िला परिषदें हैं वह इनके ब्रोड फंक्शन्स हैं, एड्हॉक ग्रान्ट है, इसको अच्छी तरह से बैठ कर विचार करें। असल में जो पंचायतें हैं उनको क्लीयर गाइडेंस से डवेलप करना है। यह फंक्शन ज़िला परिषदों का है, गवर्नमेंट का है और एम. एल. एज., एम. पीज़. हैं उनको करना है। इस प्रकार के संगठनों को हम चाहते हैं।

जुडिशियल पंचायतें अलग रहें या नहीं रहें इस पर ज्यादा विस्तार से बात हो सकती है। मैं इस वादविवाद में पड़ना उचित नहीं समझता। दोनों पहलुओं पर हमें विचार करना होगा। कई माने में जुडिशियल पंचायतें अलग रहें तो यह ज्यादा उचित रहेगा। तहसील पंचायतों के बारे में भी बहुत से मानते हैं कि आवश्यक हैं, कई कहते हैं कि अनावश्यक हैं। आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है पर हम यह मानते हैं कि जुडिशियल वर्क पंचायतों के पास रहता है तो पंचायत समिति के पास अपील के रहने से कॉम्प्लीकेशन होता है। इसलिये यही उचित है कि प्रेजेन्ट स्टेट्स है उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करें। इनसे जो एक्सपीरियेन्स हो उसके आधार पर जो उचित हो फिर वह करें।

जुडिशियल पंचायतों के बारे में यह बात जरूरी है कि जिस तरह की आज पंचायतें हैं उनको जुडिशियरी फंक्शन से अलग करना मुश्किल है। कई ५,००० की आबादी की हैं, कई ढ़ाई हज़ार की हैं, वह तभी हो सकता है जब कि छोटी पंचायतें हों। पांच, छः पंचायतों का ग्रुपिंग करके जुडिशियल पंचायतें बना सकें इसलिये हमने इसको बिल में शामिल नहीं किया। अलग अलग पंचायतें बन जायं, इस व्यवस्था को शुरू कर देना चाहते हैं। बड़ी पंचायतें होने में कई बातें सामने आती हैं। व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं होता है, वहां कई तरह की उलझनें होती हैं। विकास के मामलों में जहां पंचायत हैड क्वार्टर्स हैं वहां ज्यादा विकास हो जाता है। इन सारी चीजों को लक्ष्य में रखा गया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को एबोलिश करके कुछ पॉवर्स गवर्नमेंट ले लेना चाहती है, ऐसी बात नहीं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के फंक्शन, फाइनेन्सेज थे, उनको चाहते हैं कि पंचायत समिति के जरिये काम होना चाहिए। ज्यादातर इस नेचर के थे जो हमारे शिड्यूल में आ जाते हैं।

दूसरा यह एक और प्रश्न उठा कि ब्लॉक्स कुछ एरियाज़ में हैं और कुछ में नहीं हैं। दोनों में यह करने से उलझन पैदा होगी। यह तो फैक्ट है कि सब जगह ब्लॉक्स एक साथ नहीं हो सकते। तो एक व्यवस्था यह हो सकती है कि जैसे बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट में सिर्फ ब्लॉक एरिया में ही पंचायत समिति के कार्यक्रम को रखा गया है, दूसरी जगह नहीं रखा गया है। लेकिन हमने इस पर सोचा और हमारा ख्याल हुआ कि कई एक्टीवीटीज़ ऐसी हैं जिनसें विरोधाभाव आवेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम ब्लॉक की सर्विसेज़ को लेते हैं। वहां पर सर्विसेज़ होंगी और अगर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सर्विसेज़ करें तो किस प्रकार करेंगे ? जब यह प्रश्न आता है ब्लॉक्स के लिये अलग और तहसीलों के लिए अलग तो यहाँ कॉन्फलिक्ट आता है। आज का समय वह नहीं कि किसी के लिए एक इन्ट्रेस्ट हो और दूसरे के लिए और हो। जिस हद तक और एडहॉक फन्ड देने का सवाल होगा जिससे सर्टन एक्टीवीटीज़ दूसरे स्थानों पर चलने लगे। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रखना होगा कि ब्लॉक में आई सारी हुई सारी बातें फिट इन हो सके। इन सारी बातों को सोचने के बाद ऐसा लगा कि अलग अलग रखते हैं तो उचित नहीं होगा।

अब रही यह बात कि किस जगह ब्लॉक्स खुलेंगे और किस जगह शेडो ब्लॉक रहेंगे ; क्योंकि इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया कहती है कि ऐसे करिये, जिला परिषद् की राय होगी उसके बाद शेडो ब्लॉक का कन्सीड्रेशन भी इसमें किया जावेगा। ऐसे कई सवाल जुड़ेंगे। जिनके जुड़ने से कई बातें ऐसी होंगी जिन पर ध्यान देना होगा। एक सड़क आपके प्लान में आ जाती है और उस समय यदि आपसे यह कहें कि आप इस कार्य को करें तो आप उस कार्य में काम नहीं करेंगे और मदद नहीं देंगे क्योंकि इनिशियेटिव आपकी तरफ से नहीं हुआ था और जब आप इनिशियेटिव नहीं लेंगे तो काम नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति काम के लिए आगे नहीं आवेगा। जब आप किसी काम का या सड़क के बनाने के लिये इनिशियेटिव लेंगे तो आप काम करने के लिए आगे आवेंगे। इसलिए हम यह चाहते हैं कि काम के लिये इनिशियेटिव आप का रहे और लोग आगे आकर काम करेंगे।

अब यह प्रश्न होगा कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया जाए और विशेषतौर से दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस पर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक ने हमको यहां चुन कर भेजा है और पब्लिक की सेवा करने के लिये तैयार रहना चाहिये। पब्लिक में जाने के बाद इस पर अमल होना चाहिये। उन्होंने काफी अच्छी बात कही कि हमें पब्लिक से पूछे बगैर कोई काम नहीं करना चाहिये। लेकिन जनता में जाने के बाद भी इस काम को तो हमें करना ही है। कानून तो हमें ही बनाना पड़ता है। कानून वहां से बन कर नहीं आवेगा।

अब रहा यह कि इसे जनमत को भेजा जाए इसीलिए कि जनमत जाग्रत हो। यदि हम गांव के लोगों को देखें तो आपको मालूम होगा कि वे लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोग आगे आकर अपने गांवों में सुधार के कामों को करें और उनको इस प्रकार का अवसर प्राप्त हो। हमने यहां पर यह कहा है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जावे। हिन्दी में अभी तक नहीं आया है जितना जल्दी होगा इसकी हिन्दी नकल करा दी जावेगी जिससे जो लोग अपनी इसमें राय देना चाहें, दे सकें। जनमत को भेज कर इसको टाला जाना मैं समझता हूं कि यह आवश्यक नहीं है। रही बात यह कि सोचने के लिए सब को अवसर होना चाहिये। मैं कहूंगा कि इसके लिए मैं सहमत हूं कि सोचने के लिए अवसर हो और वह अवसर हमारे सामने आवेगा। कई अवसर हमारे सामने अलग अलग मौकों पर आने वाले हैं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इसको जनमत के लिए भेजना उचित प्रतीत नहीं होता। सलेक्ट कमेटी में काफी अवसर मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी आशा करता हूं कि जो कुछ यह विधेयक हमारे समक्ष है, इस विधेयक के द्वारा प्रान्त के अन्दर से ही महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी। मैं स्वयं ऐसा मानता हूं कि प्रतिक्रिया होगी और जागीर एबोलिशन के बाद यह दूसरा बड़ा काम है। जागीर एबोलिशन का काम राजस्थान में बड़ा काम हुआ। उसके बाद यह एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम होने वाला है।

एक माननीय सदस्य : वह सैद्धान्तिक था....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी बिल्कुल सैद्धान्तिक है और वह भी बड़ा सैद्धान्तिक था। इसके बाद हम डेमोक्रेसी की एक बहुत मजबूत नींव अपने यहां डाल सकेंगे। श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। हमने इसमें सब का सहयोग चाहा है। आपने दूसरी बात यह कही कि प्रोपोर्सन इलेक्शन के आधार पर इलेक्शन हो जावे तो यह मुसीबत दूर हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इससे डिफिकल्टी दूर हो जावेगी, यह बात समझ में नहीं आती। हमारे यहां पब्लिक अकॉउन्टस् कमेटी और एस्टीमेट कमेटी के चुनाव होते हैं। उनको हम देखते हैं...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वहां सब के हारमोनियस रिलेशन्स रहते हैं। वहां पार्टी के लिहाज़ से कुछ नहीं रहता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बाहर का असर वहां कैसा होगा ? असल में तो ग्रामों में बहुमत में आकर लोग पोलिटिकल बातें सोचने लगते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि पोलिटिकल पार्टीज़ गांववालों को अपने गांव का सुधार करने के लिये खुद पर छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा होगा। जितनी ज्यादा खींचातान होगी उतनी ही उलझनें ज्यादा होगी। मेरे दिमाग में ऐसी पार्टी की कोई बात नहीं है। मैं यह कहूँगा कि जहां तक बने बाहर का, वातावरण का इन्टरफियरेन्स गांववालों पर न हो और गांव वालों को अपनी समस्या को हल करने और अपने गांवों का निर्माण करने के लिये ऑपोरचुनिटीज उनको दी जाए।

फिर कोऑप्शन के बारे में प्रश्न उठा। यह कहा जाता है कि इसमें कृषि पंडित की क्या आवश्यकता है यह बताया गया है। मैं यह कहूँगा कि इसके पीछे एक मूल कारण था कि फूड प्रोडेक्शन को हम खास इमपेक्शन देना चाहते हैं। कृषि का स्टेटस् बढ़े इसलिये उसको इसमें रखा है। यह गवर्नमेंट की तरफ से नोमीनेशन की बात नहीं रखी है। जो सदस्य होगा वह खुद कोऑप्ट करेगा। कृषि पंडित एक्स ऑफिशिय की तरह से आता है। रूल्स प्रेस्क्राइब्ड के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि सारे के सारे रूल्स प्रेस्क्राइब्ड करते यह तो एक मुश्किल बात थी इसलिये कहीं भी रूल्स प्रेस्क्राइब्ड होंगे, वह कानून के अनुसार होंगे। इसमें कोई विरोधाभाव की बात नहीं आवेगी।

अन्त में मैं जिन्होंने प्रपोज़ल मूव किये हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने प्रोपोजलों को वापिस ले लें। क्योंकि २

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अक्टूबर से हमें इस योजना को लागू करना है। यदि हम इसको जनमत के लिए प्रसारित करते हैं तो इसमें काफी समय लगने की संभावना है। उसके बाद वह सलेक्ट कमेटी में जावेगा तो पहले ही हम इसको सलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं। २ अक्टूबर इसके लिये उपयुक्त समय है जिस रोज़ हमारे राष्ट्र पिता का जन्म हुआ था और उसी रोज़ गांव के स्वावलंबन की नीव रखी थी। मैं समझता हूं कि वह तारीख आगे बढ़े यह उचित नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे दर्ख्वास्त है कि आप अपने मोशन वापिस लेंगे तो उचित होगा।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of clarification, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि १।। हज़ार से ज्यादा की आबादी पर एक पंचायत होगी। जहां पर ६० या ७० हजार की आबादी होगी वहां पर इस हिसाब से ३५ से ४० पंचायतें होंगी। और ३५, ४० सरपंच होते हैं। सरपंच पंचायत समिति में जाते हैं वहां पर उसका क्या विसयुलाइज करते ? सरपंच वहां पर जावेंगे और पंचायत समिति के सदस्य बनेंगे। अगर आपकी १ हजार की या १।। हज़ार की आबादी पर एक पंचायत बने तो ३५ से ४० सदस्य जावेंगे। उसके अलावा ४ या ५ आदमी और भी हो जावेंगे। इस तरह लगभग ५० की साइज होवेगी। जब कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की राय के अनुसार सदस्यों की संख्या २० से ३० ही होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में आप विचार करें कि आपका क्या विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अव्वल तो ४०, ५० सदस्य नहीं होंगे क्योंकि हर ब्लॉक में ऐसे गांव मिलेंगे कि जिनकी आबादी ३,४,५ हज़ार की होगी। उसको स्पिलिट अप करने का विचार नहीं है। मैं समझता हूं कि ३० के करीब सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से डवेलपमेंट के काम के लिए स्टेन्डिंग कमेटी का प्रोविजन है। मेरे ख्याल से ३ या ४ स्टेन्डिंग कमेटी होंगी और उसके अन्दर एक्सपर्ट के तौर पर सरपंच के अलावा बाहर का सदस्य भी लिया जा सकता है अगर वे लोग चाहें। इसका प्रावधान इसमें है। इसकी तादाद बढ़ सकती है लेकिन इसके लिये दूसरा ज़रिया है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Now that stage is passed and the question has been put.

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भाषण में ज़िक्र किया था और वह रूल्स का प्रश्न है। इसलिए मैं इस पॉइन्ट को प्रेस कर रहा हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : What is the point of order ? Is it point of order or point of clarification ?

श्री भैरोंसिंह : Point of order.

श्री उपाध्यक्ष : Point of clarification in the shape of point of order.

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : That you have already said...

श्री भैरोंसिंह : Let me explain my point of order. पॉइन्ट यह है कि जो बिल पेश किया गया है वह एक इन्डिपेन्डेन्ट बिल है और इस बिल के द्वारा अमेंडमेंट कर रहे हैं दूसरे बिलों में । इसके द्वारा पंचायत एक्ट में, म्यूनिसिपल एक्ट में और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं । एक बिल के द्वारा तीन बिलों में एक साथ अमेंडमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह उचित नहीं कहा जा सकता है । यदि अमेंडमेंट करना है तो पहले उस बिल में अमेंडमेंट बिल लाइये, यानि यदि म्यूनिसिपल बिल में या पंचायत बिल में कोई संशोधन करना है तो पहले "पंचायत अमेंडमेंट बिल, १६५६" इस नाम से बिल लाकर अमेंडमेंट कराइये । लेकिन इस एक ही बिल के द्वारा तीन बिलों में अमेंडमेंट कर रहे हैं । इसका इन्डिपेन्डेन्ट नाम रखा गया है । सदन में दो, तीन बार इस प्रकार की रूलिंग हो चुकी है कि यदि किसी बिल में संशोधन लाया जाय तो उस बिल का संशोधन विधेयक इस नाम से पहले लाया जाय और उसको पास कराया जाय । इस प्रकार तीन बिलों में का अमेंडमेंट एक स्वतन्त्र बिल के नाम से नहीं कराया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : I have followed the point of order.

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल आॅर्डर में नहीं है and it should not be passed.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पेश हो गई ।

श्री उपाध्यक्ष : We have been following the practice of this type and moreover the position could be considered at the time when the Bill is taken clause by clause. I, therefore, hold that your point of order is not well taken.

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा that it has not been the practice in the House.

श्री उपाध्यक्ष : Well, these are my observations.

श्री भैरोंसिंह : आॅब्ज़रवेशन हो सकते हैं । But observations should be on the practice of the House.

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है । इस प्रकार की व्यवस्था थी और यदि विचार किया जाय तो विचार प्रकट कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir. मैं स्पष्ट रूलिंग चाहूँगा चेयर से । किस प्रकार एक बिल के द्वारा तीन इन्डिपेन्डेन्ट एक्टस में अमेंडमेंट किया जा सकता है ।

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई): Ruling of the Chair has been given and must be accepted.

श्री उपाध्यक्ष : On propositions of anticipation I am not prepared to give my observations. So far as the present position is concerned, I have given my observations.

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने विधेयक को जनमत हेतु प्रसारित करने के लिए प्रस्तुत किया था उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत समिति तथा ज़िला परिषद् विधेयक, १९५९ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

१. मिनिस्टर इन्चार्ज
२. श्री दामोदरलाल व्यास
३. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा
४. श्री तेजाराम गहलोत
५. श्री जयचंद्र मोहिल
६. श्री रामप्रसाद लड्ढा
७. श्री लक्ष्मण हीरात
८. श्री धन्नालाल हरित
९. श्री नारायणसिंह (डिग्गी)
१०. श्री बी० एन० जोशी
११. श्री तेजपाल
१२. श्री सम्पतराज जैन
१३. श्री बरकतुल्लाखां
१४. श्री रामचन्द्र चौधरी
१५. श्री शिवनाथसिंह
१६. श्री मोहरसिंह
१७. श्री प्रभुलाल पुरोहित
१८. कुमारी शन्नो देवी
१९. श्री लच्छुराम
२०. श्री रघुवीरसिंह
२१. श्री दलपतसिंह
२२. श्री अनूपसिंह
२३. श्री रामनारायण वर्मा
२४. श्री दयाकृष्ण विजय
२५. एडवोकेट जनरल

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री मुक्तिलालजी मोदी का नाम और एड कर दिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : फिर २५ से अधिक हो जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मेरी पार्टी में से किसी आदमी को, श्री रामनारायणजी या दूसरे को, जनसंघ के जो दो सदस्य हैं उनमें से एक को विथड्रा कर लीजिये और इनको ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Is the suggestion acceptable ?

वे कह रहे हैं कि जनसंघ में से किसी एक को हटा लिया जावे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह स्पष्टीकरण कर दिया जाय कि श्री मुक्तिलाल-जी मोदी क्या जनसंघ में शामिल हो गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय की जगह।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री दयाकृष्ण विजय का नाम ओमिट करके श्री मुक्तिलाल मोदी का नाम एड किया गया।

डॉ० **बहादुरसिंह** : उसका क्लेरिफिकेशन हो जाय कि क्या श्री मुक्तिलाल मोदी जनसंघ में शामिल हो गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : This is for you to decide outside the House.

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

११. २६ म० पू०

राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) अमेन्डमेन्ट बिल, १६५६

(विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) बिल, अमेन्डमेन्ट १६५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) अमेन्डमेन्ट बिल, को १६५६ पुरः स्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूं

ठा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूँ।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी (वैरठ): माननीय उपाध्यक्षजी ....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : हाऊस के अन्दर तनख्वाह और भत्ता बढ़ाने का जो बिल आया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी स्टेज़ है विरोध करने की ? अभी तो शुभारम्भ हुआ है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : विचारार्थ लिया गया...

श्री उपाध्यक्ष : अब आ रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) अमेन्डमेन्ट बिल, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी

श्री उपाध्यक्ष : Yes, shri Mukti lal Modi.

श्री मुक्तिलाल मोदी (वैराठ): माननीय उपध्यक्ष जी,

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, यह पहले उनसे स्पष्टीकरण करा लिया जाय कि क्या वह जनसंघ की ओर से बोल रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं जनसंघ की ओर से नहीं बोल रहा हूं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण मत कराइये।

Yes Shri Mukti Lal Modi.

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, पहले भी इस हाऊस में निवेदन किया था और जब कि आज इस हाऊस में मेम्बर्स की तनख्वाह बढाने का बिल लाया गया है मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर फाइनेन्स की कमी है, यह कहा जाता रहा है और राजस्थान के अन्दर जो उन्नति हो रही है उसमें गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से लॉन लेकर काम किया गया है और उससे राजस्थान के अन्दर उन्नति का मार्ग दिखाई देता है लेकिन बनिस्बत उन लोगों के जिनके लिए दो, दो रुपया तनख्वाह में बढाने के लिए हाऊस में कहा करते हैं कि फाइनेन्स की कमी है असेम्बली के मेम्बर्स की तनख्वाह और भत्ता बढा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले क्या निवेदन किया था उस प्रश्न को नहीं लाइये । अब क्या निवेदन करना चाहते हैं वह प्रश्न लाइये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्षजी, आज इस हाऊस के अन्दर २५० रूपये तनख्वाह और १५ रूपये दैनिक भत्ते का जो बिल पेश किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं । वह इसलिये कि आज जब कि सारे राजस्थान की जनता के लिये हम कानून बनाते हैं उसी तरह से माननीय सदस्यों ने अपने लिये ढाई सौ रुपये का प्रोविज़न रखा है वह बहुत ज्यादा है । उसकी जगह केवल १०० रुपये ही होना चाहिये बनिस्बत ढाई सो रुपये के । पन्द्रह रुपया जो दैनिक भत्ता रखा है वह भी बहुत ज्यादा है । साढे बारह से जो पन्द्रह रुपया किया गया है वह भी नहीं होना चाहिये ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): बाल बच्चो वालों के लिये है कंवारों के लिये नहीं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जितना ज्यादा आप कहेंगे उतना ही ज्यादा मैं बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी, आप चेयर को एड्रेस करते हुए बोलिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्षजी, ये मुझे छेड़ रहे हैं । उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम लोग जिस जनता की तरफ से चुन कर आये हैं आज हम लोग जब गांवों में जाते हैं तो हमें लोग कहते हैं कि आपको तो सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है आप इसीलिये चुनाव में खड़े होते हैं आप जनता की तो सेवा करते नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो चुनाव पर चले गये। आप तो यह बतलाइये कि रूस और चीन में क्या तरीका है, वह बता दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्षजी रूस के अन्दर ऐसा है कि वहां जो मेम्बर होते हैं उनको आने जाने का किराया मिलता है और उनके लिये खाने पीने का अरेन्जमेन्ट होता है। उनको वहां तनख्वाह नहीं मिलती।

एक माननीय सदस्य : उनके बच्चों का क्या होता है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मुझे क्या मालूम बच्चों का क्या होता है।

डॉ० बहादुरसिंह : इनके बच्चे नहीं हैं तो कैसे बता सकते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्षजी, वहां ऐसा है कि वहां पर तनख्वाह नहीं होती है आने जाने का किराया और खाने पानी का उनका होटल में इन्तज़ाम होता है तनख्वाह नहीं मिलती। यहां हम ढ़ाई सो रूपया तनख्वाह और १५ रुपया रोजाना भत्ते का जो कानून बनाते हैं मेरा उनके लिये कहना है कि इसमें इस तरह से एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय मोदी आरम्भ रखें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह जो तनख्वाह के ढाई सो रुपये का जो बिल रखा गया है वह पास नहीं होना चाहिये इसके बजाय आने जाने का खर्चा व यहां आने पर कुछ खर्चा और दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यानि पचास रुपया प्रति दिन...

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं नहीं, दस रुपया रोज़ रखना चाहिये। १५ रुपया जो रखा गया है वह भी गलत है। दस रुपये में ही काम चल जाता है। वैसी हालत में ढाई सो रुपया जो तनख्वाह के रूप में रखा है वह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तनख्वाह नहीं अलाउन्स है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अलाउन्स के नाम से भी जो ढ़ाई सो रुपया मिलता है वह नहीं लेना चाहिये। मेरी तो सबसे यही प्रार्थना है कि आगे इलेक्शन आनेवाले हैं, हमें उन्नति के मार्ग को दिखाना है, आगे इलेक्शन में कामयाब होना है...

श्री उपाध्यक्ष : इस बिल से इलेक्शन का क्या सम्बन्ध है ? आप इलेक्शन का जिक्र क्यों कर रहे हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, वह मैं यों कह रहा हूँ माननीय सदस्यों की समझ में आ जाय कि हमें इस काम के लिये पैसा नहीं लेना चाहिये ताकि जनता हमारे में विश्वास कर सके ! उपाध्यक्षजी, यहां से जो पैसा लिया जाता है उसमें से ज्यादातर सामाजिक रूढ़ियों में खर्च होता है। कानून असेम्बली में जरूर बनते हैं लेकिन हमारे यहां के लोग भी उसी के माफिक व्यवहार नहीं करते। इसलिये मेरा यह

Page No.67

निवेदन है कि जो यह तनख्वाह बढ़ाने का बिल हाउस के सामने रखा है उसके लिये माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि इस बिल का समर्थन न करें ।

डा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझ रहा हूं कि स्कूल में जब आखिरी दिन होते हैं और छुट्टियां होनी होती है वैसे समय में स्कूल के लड़कों का जो मूड होता है वह मूड सीरियस न होकर हंसी में उड़ाने का मूड होता है उसी प्रकार का मूड आज इस सदन का भी हो रहा है । कोई भी बात कही जाय उसे वह कोई सीरियस होकर ग्रहण नहीं कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस तो सीरियस मूड में है किन्तु वह मुक्तिलालजी मोदी के भाषण का एप्रीसियेशन था ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : और मोदीजी के भाषण के बाद आप फरमायेंगे तो आपका भी एप्रीसियेशन उसी प्रकार होगा ।

डा० श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज अफसोस की बात है कि आज एक तरफ तो हम अपने पे और अलाउन्स की वृद्धि कर रहे हैं दूसरी तरफ हमारे राजस्थान की यह हालत है कि हम जनता पर बराबर टैक्सेज़ बढ़ाते जा रहे हैं । आज हालत यह है कि जनता इन टैक्सों से परेशान है और एक तरफ हम अपनी तनख्वाह में वृद्धि कर रहे हैं । आज हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां बैठ कर हम कितना काम करते हैं उस पर भी साढे बारह रुपया जो प्रतिदिन का भत्ता मिलता है उसको बढ़ा कर पन्द्रह रुपया कर रहे हैं । बारह रुपये में तो एक हाथी एक रोज़ का खाना आराम से खा सकता है लेकिन एक हाथी को जितना खाने को चाहिये उससे भी अधिक पास हम कर रहे हैं । दो सौ रुपया मासिक एक अच्छी पे हो सकती है । जैसा हम काम करते हैं वह सब जानते हैं । कितने समय लेजिस्लेचर में बैठे रहते हैं और कितना समय हम इसको देते हैं । हम दो सौ रुपये के साथ भी न्याय नहीं कर पाते वहां हम ढाई सौ रुपया वेतन करवाना चाहते हैं । इसलिये अफसोस की बात है कि सारा सदन का जिस प्रकार का मूड मैं देख रहा हूँ जो इस बिल को पास करने पर तुला हुआ है मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं आज आप बाहर की हालत देखिये । आप यहां से निकल कर सड़क पर चलिये तो आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनके पास खाने को नहीं वहां आप अपने लिये साढ़े बारह रुपये से बढ़ा कर पन्द्रह रुपया करना चाहते हैं ताकि जनता को यह मालूम हो सके कि हम विधान सभा में बैठ कर किस प्रकार अपनी तनख्वाहों को बढाने का प्रत्यन करते हैं । आज हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि यह जो पचास रुपया अलाउन्स के रूप में बढ़ाया जा रहा है वह नहीं बढ़ना चाहिये । पिछली असेम्बली के सदस्यों का मुझे यहां तक अनुभव है जिन्होंने पन्द्रह पन्द्रह, हजार रुपया बैंक में जमा कर लिया था जिनके पास एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ । आज हम देखते हैं कि इस असेम्बली में आने पर हमें पता नहीं कि यह पचास रुपये की जो वृद्धि की जा रही है वह किस कारण से की जा रही है ? जब कि माननीय सदस्यों को सब प्रकार की सहूलियतें दे रखी हैं । उनको प्रथम श्रेणी का

(ठा० श्री मदनसिंह)

किराया मिलता है उसके बाद भी आज ही मैंने एक सर्क्युलर पढ़ा है उसके अनुसार हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में आप जाइये आपको कन्सेशन टिकट मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन ने ऐसा कौनसा काम किया है जिसके कारण यह पचास रुपये आप बढ़ाने जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप क्या चाहते हैं ?

ठा० श्री मदनसिंह : मैं इस पचास रुपये की बढ़ोत्तरी का घोर विरोध करता हूं। मैं ही नहीं जनता इसका विरोध करेगी। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है २०० रुपये का भी सही उपयोग मैं नहीं मानता। चुनाव आगे भी आयेंगे इस प्रकार हम पैसे को बढ़ाते गये तो जनता हमारा विश्वास नहीं करेगी। मैं समझता हूं प्रगतिशीलता का दावा करने-वाले माननीय सदस्य इसका विरोध करेंगे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : विरोध तो आप जरूर कर रहे हैं किन्तु पैसा आप जरूर ले लेंगे।

ठा० श्री मदनसिंह : अगर पास भी हो जाय तो मैं मेरे इन पैसों को सरेन्डर करता हूँ।

श्री गिरधारीलाल : मुआवजा भी छोड़ दें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ़ से और बैराठ से आये हुए माननीय सदस्यों ने जो इसका विरोध किया और जो उन्होंने अपने विरोध की वजूहातें बताईं मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे बहुत अफसोस है कि इस बिल के असल मुद्दे को न समझते हुए यह समझ लिया कि वेतन का विस्तार किया जा रहा है! उनको समझना चाहिये था कि यह किस भावना से किया जा रहा है। आज की मंहगाई और तमाम आवश्यकताओं को देखते हुए इसे बिल के रूप में लाया गया है।

यह कहना कि जिस तरह का बिल का माननीय सदस्य दांता रामगढ़ ने घोर विरोध किया है इस बिल का, मैं समझ नहीं पाया कि वे, ठीक है, घोर विरोध कर सकते हैं। सरेन्डर करें वेतन और अलाउन्स भी करें तो आपत्ति नहीं है।

(हंसी)

इसलिये मैं समझता हूँ कि....

ठा० श्री मदनसिंह अध्यक्ष : महोदय, मैं अपना पूरा का पूरा वेतन अलाउन्स सरेन्डर करता हूं बशर्ते कि इसका एक एक पैसा सभी सदस्यों में बांट दिया जावे।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : वह क्लब के सुपुर्द कर दिया जावेगा।

ठा० श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं हो सकती। माननीय सदस्यों के अनाज की व्यवस्था में....

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जावे।

Page No.69

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

'हां' पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, विधेयक विचारार्थ लिया गया।

ठा० श्री मदनसिंह : Ayes have it sir.

(हंसी)

(करतलध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : यही तो मैं कह रहा हूं।

(हंसी)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट) बिल, १९५९ को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स) इमोल्यूमेंट, बिल, १९५९ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ११ बज कर ४३ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, १८ मई, १९५९)

स्कम्भ　　　　स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

मल्टीपर्पज़ हाई स्कूल, इटावा के विद्यार्थियों का निष्कासन ।

पटवारियान तफा, किशनगढ़ के विरुद्ध शिकायत ।

भू दान यज्ञ में दी गई भूमि ।

बी. टी. सी. एवं पी. टी. सी. अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड का वितरण ।

सरकारी बीड़ों में चारे का स्टोर ।

करोली में खानों के ठेके ।

भारत सरकार का राजस्थान पर ऋण ।

जोधपुर डिविज़न में सन् १९४७–४८ में दी गई जागीरें ।

राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल ।

ज़िला गंगानगर में अतिवृष्टि तथा आग लगने से ध्वस्त घरों के लिये सरकारी सहायता ।

तहसील सराडा, खेरवाडा व सलूम्बर के अभाव ग्रस्त गांव ।

गांव खींवाडा, तहसील देसूरी का स्कूल भवन ।

बीमा विभाग का कार्यालय-काल ।

कोटडा तहसील के विकास खंड में श्रमदान ।

बाली तहसील में जागीरदारों के गल्त तस्दीक किये गये दावे ।

मेसर्स जयपुर डवेलपमेंट सिन्डीकेट को सोप स्टोन का ठेका ।

गढ़मोरां, तहसील नादोती में मिडिल स्कूल ।

बालिका विद्यालय, किशनगढ़ ।

पटवारी, कोटार के विरूद्ध रिश्वत की शिकायत ।

प्राइमरी स्कूल, हरिजन बस्ती, हसनपुरा ।

तहसील नोला में चरागाह ।

ग्राम महमदगढ़ के एक अध्यापकीय स्कूल के अध्यापक का डेपूटेशन ।

हिंडोली विकास खण्ड के ग्राम-सेवक व ग्राम-सेविका ।

घोषणा ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह सूचित किया कि जनलेखा समिति, १६५६–६० के लिये श्री हरिदेव जोशी तथा प्राक्कलन समिति, १६५६–६० के लिये श्री भोलानाथ को सभापति नियुक्त किया गया ।

सदन की निम्नांकित समितियां श्री अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत की गई जिनके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :–

कार्य सलाहकार समिति (Business advisory committee).

१ श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ।
२ श्री हरिदेव जोशी ।
३ श्री श्रीमानसिंह ।
४ श्री भैरोंसिंह (१४) ।
५ श्री रघुवीरसिंह ।
६ राजा श्री मानसिंह ।

विशेषाधिकार समिति (Committee of Privileges).

१ श्री आबिदअली (सभापति) ।
२ श्री भैरोंसिंह खेजड़ला ।
३ श्री बृजमोहनलाल शर्मा ।
४ श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री ।
५ श्री नाथूराम भील ।
६ श्री बेनाराम गहलोत ।
७ श्री रामचन्द्र ।
८ मेजर श्री फतेहसिंह ।
६ श्री रघुवीरसिंह ।
१० श्री दयाकृष्ण विजय ।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति (Committee on Government Assurarces).

१ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (सभापति) ।
२ श्रीमती गौरी पूनिया ।
३ श्री अमृतलाल यादव ।
४ श्री रामकरणसिंह ।
५ श्री लच्छूराम ।

याचिका समिति (Committee on Petitions).

१ श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा । (सभापति) ।
२ श्री मूलचन्द डागा ।
३ श्री अमृतलाल पायक ।
४ श्री हरिकिशन ।
५ श्री भंवरलाल ।
६ श्री अर्जुनदास ।
७ श्री नरेन्द्रसिंह ।
८ श्री शिवचरणदास ।
६ श्री मोहरसिंह ।
१० डॉ० चन्द्रकला ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति (Committee on Subordinate legislation).

१ श्री बरकतुल्लाखां (सभापति) ।

२ श्री रामचन्द्र चौधरी।

३ श्री सोहनलाल भटनागर।

४ श्री रामप्रसाद लड्ढा।

५ श्री चन्दनमल वैद।

६ डॉ० बहादुरसिंह।

७ श्री महेन्द्रसिंह पंवार।

८ रावराजा श्री सरदारसिंह।

९ डा० श्री मदनसिंह।

१० श्री तेजाराम गहलोत।

सदन की मेज़ पर रखा गया पत्र

सचिव, विधान सभा ने इस सत्र में विधान-सभा द्वारा पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज़ पर रखा जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

(क) वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई:-

(1) The Nathdwara Temple Bill, 1959

(2) The Rajasthan Passenger and Goods Taxation Bill, 1959

(ख) वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई :-

(1) The Rajasthan Sales Tax (Amendment) Bill, 1959.

(2) The Rajasthan Agricurltural Income Tax (Amendment) Bill, 1959.

(3) The Rajasthan Court Fees Act (Adaptation) Ordinance Amendment Bill, 1958.

(4) The Rajasthan Court Fees and Stamp Duty Laws (Extention) Amendment Bill, 1959.

(5) The Rajasthan Finance (Agricultural Income Tax) Bill, 1959.

विधायी कार्य

पुर: स्थापित किये गये विधेयक

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुर: स्थापित किये गये :-

(१) राजस्थान बन्दोबस्त लगान अतीत प्रभावी प्रयुक्ति (वैधकरण) विधेयक १९५९।

(२) राजस्थान लैन्ड एक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५९।

(३) राजस्थान उप-अनुदान पुनर्ग्रहण वैधिकरण विधेयक, १९५९।

(४) राजस्थान पंचायत समिति

Page No.73

तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६ ।

प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उपस्थपान के हेतु समय की वृद्धि

निम्नांकित विधेयकों प्रवर समितियों के प्रतिवेदनों के उप-स्थापन के हेतु निश्चित समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया गया:—

(१) राजस्थान िनेन्सी (संशोधन) विधेयक. १६५६ ।

(२) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १६५६ ।

प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया विधेयक

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६ एक प्रवर समिति को इस आदेश के साथ सुपुर्द किया गया कि समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे ।

समिति के निम्नांकित सदस्य हैं :-

१. प्रभारी मंत्री
२. श्री दामोदरलाल व्यास ।
३. ,, पुरूषोत्तमलाल शर्मा ।
४. ,, तेजाराम गहलोत ।
५. ,, जयचन्द्र मोहिल ।
६. श्री रामप्रसाद लड्ढा ।
७. ,, लक्ष्मण हीरात ।
८. ,, धन्नालाल हरित ।
६. ,, नारायणसिंह (डिग्गी) ।
१०. ,, बी. एन. जोशी ।
११. ,, तेजपाल ।
१२. ,, सम्पतराज जैन ।
१३. ,, बरकतुल्लाखां ।
१४. ,, रामचन्द्र चौधरी ।
१५. ,, शिवनाथसिंह ।
१६. ,, मोहरसिंह ।
१७. ,, प्रभुलाल पुरोहित
१८. कुमारी शन्नो देवी ।
१६. श्री लच्छूराम ।
२०. ,, रघुवीरसिंह ।
२१. ,, दलपतसिंह ।
२२. ,, अनूपसिंह ।
२३. ,, रामनारायणवर्मा ।
२४. ,, मुक्तिलाल मोदी ।
२५. एडवोकेट जनरल ।

राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्टस) संशोधन विधेयक, १६५६

उपरोक्त विधेयक सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुर: स्थापित किया गया । तत्पश्चात् विधेयक विचारार्थ लिया जाकर सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६०६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में भूदान प्राप्ति व वितरण के आंकड़े मार्च, १९५९ के अंत तक

क्रमांक	नाम जिला	भूमि प्राप्ति एकड़	दाता	भूमि वितरण एकड़	प. संख्या
१	जयपुर	१४,६६१	७२२	१४,६६१	१,५०१
२	भरतपुर	२,१२५	१५६	९१०	२८१
३	टोंक	१४,२८५	८७४	८,१४२	१,४३४
४	सीकर	२,८४१	८६	१,१२४	१८४
५	अलवर	३६१	३५	१३५	४२
६	झुंझुनू	११४	१५	११४	४४
७	सवाई माधोपुर	४४९	७१	३४६	७४
८	जोधपुर	८,१७६	२४३	३,५६६	६८
९	जैसलमेर	४,२३२	४३	१७३	१५
१०	पाली	११,०९२	३३२	४,२८२	३०२
११	बाडमेर	४६	३	—	—
१२	जालोर	६१८	३०	६१८	५३
१३	सिरोही	२,९१७	१३३	१,२०६	११७
१४	नागोर	३३,५३७	२,०३०	१६,३७९	७७०
१५	बीकानेर	२,४५,८१२	१६६	७,६२१	३२०
१६	चुरू	११,९९१	१,०७२	४,९४७	२४२
१७	गंगानगर	२४००	७७	—	—
१८	चित्तोड़गढ	१७,४०७	५३	१,००३	२५५
१९	उदयपुर	८,८६५	८२	४,०२३	१,०५४
२०	भीलवाड़ा	१२,८६१	३०२	९,२५४	२,३५०
२१	डूंगरपुर	१,९२६	७३	—	—

१	२		४	५	
२२	बांसवाड़ा	२२,७५३	९७४	५,४१२	३७०
२३	कोटा	६,२२८	३४२	७४५	१३७
२४	बूंदी	६२६	२३	५००	८३
२५	झालावाड़	१,२४३	१४०	३०६	८२
२६	अजमेर	६,०७०	५६२	५८६	१०६
		४,३३,७११	८,६४६	८५,०७६	६,८६४

११६३६]

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६१३ का उत्तर देखिये]

राव राजा श्री देवीसिंहजी को प्रदान हुआ :-

१ बासना त० सोजत-पटवारखाना था।

राय बहादुर राव राजा श्री नरपतसिंहजी को प्रदान हुए :—

१ पालड़ी

२ बीठीयां उर्फ जसवंतनगर त० बाली-पटवारखाना पालड़ी में था।

महाराज श्री देवीसिंहजी को प्रदान हुए :—

१	पादू कलां	त० मेड़ता	पटवारखाना
२	बीठीयां लाडपुरा	,, ,,	पटवारखाना
३	नरसिंह बासनी	,, ,,	निल
४	धायला मय बास	,, ,,	पटवारखाना
५	डांगावास	,, ,,	पटवारखाना
६	पीपलिया	,, जैतारण	
७	आसरलाई	,, ,,	
८	मुरडावा	,, सोजत	
९	धीरू	,, बिलाड़ा	निल
१०	भागीरिया	,, ,,	पटवारखाना
११	लीलरिया	,, ,,	निल
१२	डांगीयावास	,, जोधपुर	पटवारखाना
१३	सलावस	,, ,,	पटवारखाना
१४	नन्दवास	,, ,,	पटवारखाना
१५	गवालु	,, ,,	पटवारखाना
१६	गटनोखा	,, ,,	निल

महाराज श्री हरीसिंह जी को प्रदान हुए :-

१७	गुड़ा एन्दला	त० पाली	पटवारखाना

१८ बाला	त० पाली	पटवारखाना
१६ लाम्बा	,, ,,	पटवारखाना
२० खारड़ी	,, ,,	निल
२१ सोपहिंगावास	,, सोजत	निल
२२ विनावास	,, ,,	पटवारखाना
२३ वटबड़ा	,, ,,	पटवारखाना
२४ देयरिया	,, जैतारण	पटवारखाना
२५ बोयल	,, बिलाड़ा	पटवारखाना
२६ चालला	,, ,,	निल
२७ वैमन	,, ,,	पटवारखाना
२८ बावड़ी	,, जोधपुर	पटवारखाना
२६ गुड़ा बिश्नोइयां	,, ,,	पटवारखाना
३० तनावड़ा	,, ,,	निल
३१ धासोतारा	,, पचपदरा	पटवारखाना
३२ लिलीया	,, मेड़ता	पटवारखाना

महराज श्री हिम्मतसिंहजी को प्रदान हुयेः—

३३ खारिया मीठापुर	त० बिलाड़ा	पटवारखाना
३४ उदलियावास	,, ,,	निल
३५ पीपवाड़िया	,, ,,	पटवारखाना
३६ काला ऊना	,, ,,	पटवारखाना
३७ रामपुरिया	,, ,,	निल
३८ जैतिवास	,, ,,	निल
३६ कालू आनन्दपुर	,, जैतारण	पटवारखाना
४० मालपुरिया	,, ,,	पटवारखाना
४१ लितरिया	,, ,,	निल
४२ भूवलिया	,, ,,	निल
४३ जसवन्ताबाद	,, मेड़ता	पटवारखाना
४४ गैमलियावास	,, ,,	पटवारखाना
४५ नगराला	,, ,,	पटवारखाना

४६ खजवाना	त० नागोर	पटवारखाना
४७ नान्दड़ा खुर्द	त० जोधपुर	निल
४८ जाचीवाल कलां	,, ,,	पटवारखाना

महाराज श्री दलीपसिंहजी को प्रदान हुये :—

४६ बीजड़ा	त० देसुरी	पटवारखाना
५० इन्दरबाड़ा	,, ,,	पटवारखाना
५१ गुड़ा लास	,, पाली	पटवारखाना
५२ सेवकी कलां	,, जोधपुर	पटवारखाना
५३ सालवा	,, ,,	पटवारखाना
५४ खेड़ी सालवा	,, ,,	निल
५५ चवां	,, ,,	पटवारखाना
५६ सीसरवाड़ा	,, सोजत	पटवारखाना
५७ सेदावास	,, ,,	पटवारखाना
५८ ठाकरवास	,, ,,	निल
५६ रीयां	,, बिलाड़ा	पटवारखाना
६० इन्दावड़	,, मेड़ता	निल
६१ बायड़	,, ,,	निल
६२ लाम्बिया	,, जैतारण	पटवारखाना
६३ रुण	,, नागोर	पटवारखाना
६४ सैननी	,, ,,	निल

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६३० का उत्तर देखिये)

फहरिस्त देहात जिनमें चारागाह मुकर्रर नहीं किये गये हैं—तहसील, नोखा, जिला—बीकानेर

(१) कक्कू
(२) हंसासर
(३) शेखसर
(४) नोखा
(५) मामटरगर
(६) सलंडिया
(७) बीनासर
(८) मांडिया
(९) रोड़ा
(१०) बरखड़ा
(११) मीयाला
(१२) कलीसर
(१३) दावा
(१४) भूलवास
(१५) केडली
(१६) टांट
(१७) सीलवा
(१८) सीलका
(१९) सोमलसर
(२०) दासरा
(२१) रायसर
(२२) सीवपुर
(२३) मटटू
(२४) ग्रालवा
(२५) मुकाम
(२६) नीमडीयासर
(२७) सीधोयासर
(२८) मैयासर
(२९) भोम मैयासर
(३०) लालसर
(३१) कुचोर आथूनी
(३२) कुचोर अगुणी
(३३) बन्धा
(३४) मेऊसर
(३५) महरामसर
(३६) बासीधदावतान
(३७) जैसंगदेसर कलीया
(३८) बादनू
(३९) बीदासरिया
(४०) लालमदेसर बड़ा
(४१) लालमदेसर छोटा
(४२) साजनवाली

(४३) जसरासर
(४४) वैरसर
(४५) कुंकणिया
(४६) बसता धरपुरा
(४७) कुरजड़ी
(४८) राणीवास
(४९) काकड़ा
(५०) ऊडसर
(५१) झाटेती
(५२) वावरिया
(५३) जैसलसर
(५४) धूंधालिया
(५५) गुंदूसर
(५६) बलसेऊ
(५७) बैलनीयासर
(५८) मूंदड़
(५९) दूधवास
(६०) भोम वीतनीयासर
(६१) देसलसर मंडलावतांन
(६२) देसलसर पिरोहितांन
(६३) देसलसर भाटियांन
(६४) हिंयादेसर
(६५) किसनासर
(६६) जांगलू
(६७) मनयोना
(६८) जैगला मांगलियान
(६९) जंगला पनो दरोगा
(७०) सूरपुरा
(७१) रासीसर बड़ा
(७२) रामीसर पिरोहतान
(७३) रामीसर तालड़िया
(७४) रासीसर पंचायती
(७५) सिन्धू
(७६) किरलासर
(७७) मारककसर
(७८) सोजा
(७९) कीरतासर
(८०) मोरखाना
(८१) मयकंपदेसर
(८२) नधाला
(८३) डीगसर
(८४) मूंजासर
(८५) मीथरासर
(८६) मुरीदसर
(८७) रातड़िया
(८८) कुंमासर
(८९) लूमायर
(९०) शाठीका
(९१) मैयासर
(९२) नाधूसर
(९३) साईंसर
(९४) पांचू

(९५) पधू पादला
(९६) सोमाणा
(९७) सारूंडा
(९८) चीताणां
(९९) सावणां
(१००) वासी
(१०१) मांडेलिया
(१०२) कुंदस्

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६३२ का उत्तर देखिये)

हिन्डोली विकास खण्ड के ग्राम सेवक व ग्राम सेविकाओं की सूची

क्र०सं०	नाम ग्राम सेवक	नाम क्षेत्र	नाम गांव जहां हैडक्वार्टर है।
१	श्री रामबाबू सक्सेना	गोठड़ा	गोठड़ा
२	श्री मोहम्मद रफीक	चेतां	चेतां
३	श्री नूरमोहम्मद	दबलाना	दबलाना
४	श्री मोहनलाल गुप्ता	उमर	उमर
५	श्री बंशीलाल पालीवाल	सथूर	सथूर
६	श्री प्रभातचन्द्र थोमस	बड़ा नया गांव	बड़ा नया गांव
७	श्री दुलीचन्द गौड	रानीपुरा	रानीपुरा
८	श्री अब्दुलहमीदखां	श्रोवन	श्रोवन
९	श्री शिवानन्द शर्मा	थाना	थाना
१०	श्री बालमुकुन्द शर्मा	हिन्डोली	काछोला
	ग्राम सेविकाएं		
१	श्रीमती चन्द्र ज्योति स्वर्ण	दबलाना	दबलाना
२	श्रीमति मनोरमा खैर	हिन्डोली	हिन्डोली
३	श्रीमती धन कंवर गौतम	चेतां	चेतां

———

शुद्धि—पत्र

(सोमवार, दिनांक १८ मई, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
११४८९	२०	रियायल	रियायत
११४९८	अन्तिम से६	Yee,	Yes,
११५०६	८	Consctious	conscious
,,	१७	तहसील सराड	तहसील सराडा
११५०७	१	... कि	क्या यह सही है कि
११५०९	अन्तिम से९	राजरव	राजस्व
११५०९	अन्तिम से३	चायत	पंचायत
११५१२	३	लए	लग
११५२१	१४	जावेंगी	जावेगी
११५३८	शीर्षक	विभिन्न समितियों के मनोनीत सदस्य	पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक
११५४०	१८	सनय	समय
११५४१	अन्तिम से३	उपर	ऊपर
११५४२	४	अभिभाषण	अभिभाषण
,,	५	व्यवस्था की	व्यवस्था को
,,	६	उसी की	उसी को
११५४९	४	कुमारी सन्नो देवी	कुमारी शन्नो देवी
११५५९	२९	थियोरेटिक्ली	क्योरीटिकली
११५५९	अन्तिम से४	शिफारिश	सिफारिश
११५६२	२४	इंगन्लैड	इंगलैन्ड
११५६३	१९-व २९	शख्त	सख्त
११५६५	२३	सदस्यों कै	सदस्यों को
११५६८	१३	सवष्टिट्यूर	सब्स्टीट्यूट
११५७०	शीर्षक	१५ मई	१८ मई
११५७१	८	सरकारी	सरकार
११५७३	२२	सरकार इस	सरकार ने इस
११५७६	३	कॉलेजेड	कोलेजेज
११५७६	अन्तिम से ५	इलोक्टोरेट	इलेक्टोरेट
११५८४	२१	दूसरी ओौर	दूसरी ओर
११५८७	अन्तिम से७	वैमनश्य	वैमनस्य
११५८८	अन्तिम से३	उपयकिंत	उपयांकित

१	२	३	४
११५६२	११	मिशाल	मिसाल
११५६७	अन्तिम से २	अमेंजमेंड	अमेंडमेन्ट
११६०१	अन्तिम से ५	मेम्बह	मेम्बर
११६०४	११	सारी हुई सारी	सारी की सारी
११६०७	२५	ऑफिशिय	ऑफिशियो
११६१०	अन्तिम से ७	में का	में
११६११	६	एक्टस	एक्ट्स
११६१४	अन्तिम से १२–११	(ओफिसवर्स)	ऑफिसर्स
,,	अन्तिम से ६	इमोल्यूनेन्टस	इमोल्यूमेन्ट्स
११६१५	१	को १६५६ पुरः स्थापित करने के लिये आ	१६५६ को पुरः स्थापित करने के लिये आज्ञा
११६१६	अन्तिम से ७	ग्रया	गया
११६२०	२२	टा० श्री मदनसिंह	ठा० श्री मदनसिंह
११६२४	शीर्षक	इगोल्यूमेन्ट्स	इमोल्यूमेन्ट्स
११६२५	३	(ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट) बिल	ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यू-मेन्ट्स) संशोधन विधेयक
,,	७	(ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स) इमोल्यूमेन्ट्स, विल	(ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यू-मेन्ट्स) संशोधन विधेयक
११६२८	८	निम्नांकित	निम्नांकित
११६२९	७	Assurarces	Assurances